राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का ४२वां दिवस [संख्या २५

गुरुवार, ४ दिसम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११. १० बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न श्री लक्ष्मीचन्द

मेड़ता-पुष्कर रोड

८०२. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सत्य है कि मेड़ता से पुष्कर जाने वाली सड़क को डोडवाना से सीधी थावला वाया टेला मिलाया जाने पर आंठ मील का चक्कर कम होता है जिसके कारण समय की व जनता के पैसे की बचत हो सकती है और क्या जनता ने उक्त सुझाव सरकार के पास भेजा था ?

यदि हां, तो कब तथा उस पर क्या निर्णय सरकार ने लिया ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : चक्कर कम होने वाली बात सही है । इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : प्रस्ताव सरकार के पास कब आया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई आया नहीं है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : तो क्या विचाराधीन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा विचाराधीन नहीं है ।

सरपंच, किशनगढ़ रेनवाल

८०३. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister for Local Self Government be pleased to state:—

(a) Is it correct that the Chief Panchayat Officer, Jaipur, under his letter No. 2127 dated 23-1-58 has issued a notice on Sarpanch, Kishangarh Renwal to get the Kabutarkhana in the bazar vacated by its present occupants and also threatened disciplinary action against the

(श्री पी० के० चौधरी)

Sarpanch in the event of his failure to comply with these orders ?

(b) Is it correct that under the Act the Chief Panchayat Officer is not authorised to issue such vacation order ?

(c) Is it also correct that Tehsil Panchayat Phulera had also issued similar orders in the case though it was not entilated to entertain the case under section 57 of the Act ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (ए) तहसील पंचायत ने कबूतर निवासको खाली कर सार्वजनिक विश्राम हेतु रखने का आदेश दिया था। पंचायत को तहसील पंचायत द्वारा दिये गये आदेश का पालन करने के लिये सूचना दी गई थी और पालन न करने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लिखा गया था।

(बी) यह अनुशासन का मामला है यदि कोई पंचायत आदेश का पालन नहीं करती है तो अनुशासनात्मक कार्यवाही आवश्यक हो जाती है।

(सी) राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा ५८ (६) के अनुसार प्रत्येक तहसील की पंचायतों पर तहसील पंचायत का जनरल सुपरविज़न होता है। अत: तहसील पंचायत का आदेश अवैधानिक नहीं माना जा सकता।

श्री मूलचन्द डागा : नोटिस क्या था ?

श्री दौलतराम सारण : नोटिस कहां है ? यह नोटिस नहीं था। ऐसा था कि एक शिकायत थी। तहसील पंचायत ने ग्राम पंचायत को आदेश दिया था और ग्राम पंचायत उसके आदेश का पालन नहीं कर रही थी तो तहसील पंचायत ने सी० पी० ओ० को सूचना दी और सी० पी० ओ० ने ग्राम पंचायत को हिदायत दी कि तहसील पंचायत की हिदायत का पालन किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : यह कबूतर खाना क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह एक मकान है जिसमें कबूतर रहते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : ग्राम पंचायत सैक्टर में क्या तहसील पंचायत ऑटोमेटिकली अपील ऐन्टरटेन कर सकती है ?

श्री दौलतराम सारण : ग्राम पंचायत ने फैसला किया था कबूतर खाने के बारे में और दुबारा जब ग्राम पंचायत ने खुद ने ही उसको नहीं माना तो यह मामला तहसील पंचायत के पास गया और उसने ऐप्लीकेशन दी और शिकायत की तब तहसील पंचायत ने फैसले के माफिक उसका पालन करने की हिदायत की, फिर भी नहीं किया तब सी. पी. ओ. के पास गया।

श्री मूलचन्द डागा : क्या कबूतर खाना पंचायत में वेस्ट हो चुका था ?

श्री दौलतराम सारण : सार्वजनिक तौर पर कबूतर खाना गांव में बनाया गया था।

श्री मूलचन्द डागा : यह पंचायत को सुपुर्द कर दिया गया था क्या ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी मुझे जानकारी नहीं है। शायद कर दिया था।

Page No.3

चम्बल बैराज हेतु तार की खरीद

८०४. श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister-in-charge of Irrigation be pleased to state:—

(1) Is it correct that 7000 ft. of ½" wire rope were purchased from M/s Abdul Hussian Karimbhai and Unique Industrial Corporation on 3-3-58 for Chambal Barrage at Kotah at an inflated rate of Rs. 3.50 n.p. per foot ?

(2) Is it correct that M/s. Modi and Modi Co. tendered to supply the wirea 62 n.p. per foot ?

(3) Is it correct that quotations were called on 27-2-58, tenders were opened on 1-3-58 and orders placed on 1-3-58.

(4) Is it correct that Machanical Engineer got the rate of Rs. 3.53 n.p. per foot approved from the S.E. Chambal Barrage, Kota on 27-2-58 ?

(5) Is it correct that the whole transacation is in contravention of all financial rules as well as the instuctions laid down in Chambal Central Boards circulars governing such purchase ?

6. Is it correct that the Audit authority have raised objections against these irregular purchases, which has involved the Government in a loss of Rs. 20,160 (Rs. 24,500 Rs. 4,340) on this transaction ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (1) It is correct that 3,000 ft. and 4000 ft. of ½" wire rope was purchased on the Chambal Project from Messers Abdul Hussian Karimbhai and Messers Unique Industrial Corporaticn at the then prevailing rates of Rs. 3,50 N.P. and 3.40 n.P. per foot respectively on 3-3-58.

(2) Yes, for Supply on forward delivery, after arrrngements were made by purchaser for foreign exchange and import licence.

(3) Yes.

(4) Yes.

(5) No.

(6) Audit authorities have raised objections, but the purchases are neither irregular ncr involved loss to Government.

श्री पी० के० चौधरी : As the tenders were called on 27-2-58 and they were to be opened on 1st March, that means after one day, how did the Mechanical Engineer get the rate of Rs. 3.50 approved from Chambal telegraphically ?

श्री रामकिशोर व्यास : It was approved telegraphically. That was a general market rate on that day.

श्री पी० के० चौधरी : It was not the market rate.

श्री रामकिशोर व्यास : It was.

श्री पी० के० चौधरी : When the Unique Industrial Corporation did not submit

(श्री पी० के० चौधरी)

his tender one 28th Feb. how his tender was entertained on day later on Ist March ? Is it that because you wanted to accommodate M/s. Abdul Hussian Karim Bhai's higher rate ?

श्री रामकिशोर व्यास : No.

श्री पी० के० चौधरी : Then why was it entertained after the date ?

श्री रामकिशोर व्यास : The exact date on which Karim Bhai tendered is not available with me at present ?

श्री पी० के० चौधरी : Have you got a copy of the audit objections with you ?

श्री रामकिशोर व्यास : No not here.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that uptil now all the purchases of wire rope were made from the Director General of Disposals of the Government of India at the rate of 62 n.p- ?

श्री रामकिशोर व्यास : They were not available with the Diretcr General of Disposals.

श्री पी० के० चौधरी : But When you require such a huge quantity of wire, why the requirements were not assessed earlier, atleast two months before ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं थोड़ा इसे साफ कर दूँ। वायर रोप का इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्टेड है और मार्केट में इसकी बहुत शॉर्टेज़ है इसलिये जिस रेट पर मिलता है उसी रेट पर लेना पड़ता है। सन् ५७ में हमने कोशिश की कि फॉरिन एक्सचेन्ज के जरिये इसे बाहर से मंगा सकें। जून ५७ में हमने कोशिश की। लेकिन जनवरी, ५८ में फॉरिन एक्सचेन्ज मिला और जनवरी में लिखा हुआ अब तक माल नहीं मिला। इतनी छोटी सी चीज़ के कारण मशीन बन्द पड़ी हो और काम रुका हुआ हो तो प्रिवेलेन्ट मार्केट रेट पर्चेज़ करने में क्या हर्ज है ?

श्री पी० के० चौधरी : The purchase was for more than Rs. 20,000. Why open competition was not allowed by having a longer time that instead of inviting the tenders on the day and opening them on the other day ? Is not corrct that this contrevenes the provisions of the General Financial Rules ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपसे कहा कि मार्केट में यह चीज़ बहुत कम अवेलेब्ल है, इसलिये जल्दी जल्दी में लेना पड़ता है। इसमें इर्युलेरिटि कुछ नहीं हुई है, टेलिग्राफिकली एप्रूवल दिया है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि २०,००० रुपये का माल खरीदने के लिये सफीशियेन्ट समय नहीं देना चाहिये between the calling of the tender and opening them ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें कम्पीटिशन का प्रश्न नहीं था, बल्कि कोई माल देने वाला ही नहीं था। वह तो कह रहा था

Page No.5

(श्री रामकिशोर व्यास)

कि फॉरिन एक्सचेन्ज भी गवर्नमेन्ट ही एरेन्ज करे और गवर्नमेन्ट ही ऑर्डर प्लेस करे ।

श्री पी० के० चौधरी : यह पहले आपको कैसे मालूम हुआ कि मार्केट में माल अवेलेबल नहीं है । आप पहली को पहुँचते हैं और दो को खरीद लेते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मार्केट में माल अवेलेबल नहीं है ।

प्रश्न संख्या ८०५

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

बिल्लोचिस्तान कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उदयपुर, के चेयरमैन द्वारा रुपयों, का गबन

८०६. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister-in-charge Co-operative Department be pleased to state—

(a) Is it correct that Mukhi Gordhan Dass, Chairman Baluchistan Co-operative Housing Society, Udaipur, misappropriated an amount of Rs. 25,000 in December, 1950 and a further amount of Rs. 7,650 in January, 1951 ?

(b) Is it correct that the Managing Committee of the Society was dissolved by the Register, Co-operative Societies, Rajasthan, vide his order No. 6886-94 dated 6th April, 1957 on account of its irregular functioning ?

(c) Is it also correct that on an appeal from the Managing Committee of the said society the Minister set aside the orders of the Registrar, Co-operative Societies dated 6th April, 1957, and restored the old Managing Committee inspite of its gross irregularities ? If so, why ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (a) No.

(b) Yes.

(c) Several complaints about the irregular working of the society had been received. The Registrar, Co-operative Societies got an enquiry conducted under section 46 of the Rajasthan Co-operatives Societies Act. The Enquiry Officer reported serious irregularities and gross mismanagement on the part of the managing committee. The Registrar, Co-operative Societies therefore dissolved the society under section 51 of the Act. It was urged in the appeal by the managing committee that the irregularities were of a minor nature. All audit objections were also reported to have been satisfied. The accounts had also been read to the general meeting and shown to the members. The grounds were considered satisfactory and the appeal was accepted. However, the precaution of placing the Assistant Registrar, Co-operative Societies Udaipur on the managing committee

(श्री नाथूराम मिर्धा)

was taken and the society asked to amend its bye-laws to make this possible.

श्री पी० के० चौधरी : Is it not correct that the chairman of this society withdrew Rs. 25000 in 1950 and 7600 in 1951 without entering in the cash book ?

श्री नाथूराम मिर्धा : २५,००० रुपये गोरधनदास ने लिये थे जब कि मकानों के कन्स्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हुआ था। उस समय उनके पास उक्त सोसाइटी के रुपये रहे थे और उनकी ऐन्ट्री कैश बुक में नहीं हुई थी लेकिन जब कन्स्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ तब सारे रुपये ६ पर्सेन्ट का व्याज देकर उसने वापिस लौटा दिये। यह इर्‌ग्युलेरिटी जरूर थी, जिसके लिये उसको चेतावनी दे दी गई है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या उसकी ऑथोरिटी थी कि इस तरह के लोन को without entering into cash book of the society ले सकता था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गलती थी, इस लिये उनको कहा गया कि आयन्दा इस तरह की गलती न होने पावे। सोसाइटी को इससे हानि नहीं हुई बल्कि लाभ ही हुआ, ६ पर्सेन्ट के हिसाब से व्याज दे दिया।

श्री पी० के० चौधरी : ये रुपये कितने दिन तक उनके पास रहे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ७-८ महीने तक रहे।

श्री पी० के० चौधरी : आपका जो ज़जमेंट है इस केस में, उसको क्या हाउस की टेबल पर रखेंगे ?

Judgement No. 85.

श्री नाथूराम मिर्धा : ज़जमेंट की आप कॉपी चाहेंगे तो दे सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : मेरा कहने का मतलब यह है will you please keep a copy of the judgement on the table of the House ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कॉपी चाहेंगे तो दे दी जायगी।

श्री पी० के० चौधरी : I am asking for it.

श्री नाथूराम मिर्धा : कायदे से। You apply regularly.

श्री पी० के० चौधरी : What is this application Hon'ble Speaker ? I am asking whether he is prepared to lay a copy on the table of the House.

श्री नाथूराम मिर्धा : You will have to apply for it on a regular application.

श्री अध्यक्ष : He says 'No', if you want a copy, you can take according to the rules.

सरपंच पीलीबंगा (तहसील सूरतगढ़) के खिलाफ शिकायतें

८०७. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(डॉ० चन्द्रकला)

(१) क्या यह सच है कि सरपंच पीलीबंगा तहसील सूरतगढ़, जिला गंगानगर के खिलाफ बहुत शिकायतें हैं? यदि हां, तो क्या?

(२) क्या डिविजनल पंचायत ऑफिसर बीकानेर ने इस बारे में जांच करके कोई रिपोर्ट दी है?

(३) उक्त रिपोर्ट के मिलने पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां। आरोप यह थे : (१) काइन हाउस के रजिस्टर में गड़बड़। (२) सरकारी पत्र लेने से इन्कारी। (३) फाटक व्यवस्था में गड़बड़ी करना। (४) पंचायत का द्रव्य अधिकार से अधिक पास में रखना। (५) कार्यवाही रजिस्टर नियमानुसार न रखना। (६) भूमि-विक्रय में अवैध कार्यवाही करना।

(२) जी हां।

(३) शिकायतें तथ्यहीन पाई गई।

डॉ० चन्द्रकला : बीकानेर डिविजनल पंचायत ऑफिसर ने जांच करके रिपोर्ट कब दी थी?

श्री दौलतराम सारण : मैंने कहा, जी हां।

डॉ० चन्द्रकला : मैं तो समय पूछ रही हूँ, कब?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : तारीख तो नहीं है। शायद ६ महीने हो गये।

डॉ० चन्द्रकला : सरपंच के विरुद्ध जो शिकायतें थीं उनको बीकानेर डिविजनल पंचायत ऑफिसर ने सत्य बताया या नहीं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शिकायतें थीं नहीं, करवाई थीं। उनकी हमने जांच करवाई, इन्क्वायरी के बाद कहा गया कि इनमें सत्यता नहीं पाई गई। एक शिकायत थी कि रजिस्टर आदि ठीक तरह मैन्टेन नहीं किया गया। दूसरी शिकायत यह थी कि सांड़ को खुला छोड़ दिया गया। इनकी इन्क्वायरी कर रहे हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

प्रश्न संख्या ८०८

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८०९

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये) श्री लक्ष्मीचन्द।

जयपुर पेपर मार्ट द्वारा कागजों के कोटा में गड़बड़ी

८१० **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचौर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि राजस्थान में श्री गोपाल पेपर मिल के कागज का चीफ डिस्ट्रीब्युटर जयपुर पेपर मार्ट है?

(२) क्या यह सत्य है कि जयपुर पेपर मार्ट कागजों का ज्यादातर कोटा महावीरप्रसाद शंकर स्टोर, जयपुर व प्रभुदयाल शंकरलाल

Page No.8

(श्री लक्ष्मीचन्द)

टक्साली के नाम की बिक्री बता कर राजस्थान के बाहर भेजता है, जिसके कारण प्रकाशकों को कागजों की कमी होने से पाठ्य पुस्तकें समय पर छापने में मजबूरी होती है ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : प्रश्न १ और २ का जवाब साथ ही दे देता हूं। राजस्थान में कागज़ पर कोई कन्ट्रोल नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार के पास इस किस्म की शिकायत आई है कि पुस्तकें छापने के लिए कागज़ नहीं मिलता है ?

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं।

श्री तनसिंह : जयपुर पेपर मार्ट क्या है ? इसका सरकार से क्या सम्बन्ध ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : सरकार से सम्बन्ध नहीं है, प्राइवेट है। उसका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई सम्बन्ध नहीं है, और न हम कुछ जानते हैं।

प्रश्न संख्या ८११

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

भवातड़ा पुलिस थाना

८१२. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचौर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर के भवातड़ा पुलिस थाना को हटा कर सरवाना में लाया गया है ? यदि हां तो कब ?

(२) क्या वहां पर पुलिस थाना बनाने के लिये एक काश्तकार का खेत रोका गया है ? यदि हां, तो उस काश्तकार को क्या मुआवजा दिया गया है, यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार ने लैंड एक्वीजिशन एक्ट के अन्तर्गत इस खेत को ऐक्वायर किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या यह सत्य है कि उक्त काश्तकार ने खेत रोकने मुत्तल्लिक कई दर्ख्वास्तें सरकार के पास पेश की हैं, यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

(५) क्या यह सत्य है कि इस प्रकार गैर कानूनी कार्यवाही कर उक्त काश्तकार को इस वर्ष फसल से महरूम रखा गया है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां, यह दिनांक १. ७. ५७ को बदला गया।

(२) जी नहीं अभी तक नहीं हालांकि स्थान ज़िला अधिकारियों ने चुन लिया है ?

(३) अभी तक किसी खेत को एक्वायर नहीं किया गया। ४ व ५ श्री बेला रेवारी ने एक प्रार्थना-पत्र श्रीमान् एस० पी० साहब की सेवा में प्रेषित किया कि उसको पुलिस अपने खेत में जो कि थाने के मकान के वास्ते तय किया गया है हल जोतने नहीं देती है, परन्तु यह शिकायत जांच करने पर असत्य सिद्ध हुई। उसको पुलिस ने खेती करने से नहीं रोका।

श्री लक्ष्मीचन्द : कौनसी जमीन रोकी है, कौनसी जमीन थाने के लिए चाही है।

श्री रामकिशोर व्यास : अभी मकान बनाया नहीं है।

श्रीतन सह : बनाया नहीं कब्जा कर लिया है।

श्री रामकिशोर व्यास : वह अभी खेती कर सकता है, कोई रुकावट नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : खेती करने से रोका था, उनकी शिकायत उसने पेश की थी। आपने उत्तर दिया है कि काश्तकार को खेती करने से नहीं रोका गया।

श्री रामकिशोर व्यास : मकान बनाने की तजवीज की है, खेत को एक्वायर नहीं किया है।

श्री मूलचन्द डागा : पिछले साल काश्त की थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह काश्त कर सकता है, उसे कोई रुकावट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात।

आदिवासियों से जंगल से लकड़ियों की भारी लाने पर रकम की वसूली माउन्ट आबू

८१३. **श्री लक्ष्मण हीरात** (गोगुंदा) : क्या मन्त्री वन-विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सिरोही ज़िले के माउन्ट आबू पर जो आदिवासी रहते हैं उनसे १९५५ से अब तक कितनी रकम जंगल से लकड़ियों की भारी लाने की वसूल की गई है ?

(२) क्या यह सही है कि वहां के आदिवासियों पर जंगल से भारी लाने के कारण रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों ने २० रुपया प्रति भारी का जुर्माना किया है ?

मंत्री वन-विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) कुछ भी नहीं।

(२) जी नहीं।

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या यह सरकार के ध्यान में है कि वे आदिवासी भूमिहीन हैं और वे जंगल से लकड़ी ला कर जीवन निर्वाह करते हैं, उनसे टैक्स लेते हैं, इस सम्बन्ध में सरकार कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने निवेदन किया कि टैक्स नहीं है सिर पर लकड़ी लाने के लिये।

श्री श्रीभानसिंह : जो इल्लीगल ग्रेटीफिकेशन लेते हैं, क्या सरकार सख्त कदम उठा रही है उसको रोकने के लिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इल्लीगल ग्रेटीफिकेशन की कोई शिकायत नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : शिकायत के रूप में ही कहा है माननीय सदस्य ने।

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने जवाब को समझा नहीं, सुना नहीं, नहीं तो वे खड़े नहीं होते। मैंने कहा कि टैक्स नहीं लगता है।

श्री लक्ष्मण हीरात : सरकार के पास कोई शिकायत आई है, या फोरेस्ट विभाग के पास कोई शिकायत आई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई शिकायत फोरेस्ट विभाग के पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। शिकायत कहीं नीचे हो तो पता नहीं है। वहां पर १२ भीलों का चालान किया गया है। वे गीली लकड़ी काट कर ले आये थे। इसके लिए ६ पर ४० रुपये और ६ पर २५ रुपये जुर्माना किया गया है। उन्होंने उसकी अपील की है। यह केस मेरे नोटिस में है।

प्रश्न संख्या ८१४

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८१५

श्री अर्जनदास

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८१६

श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा।

कस्तूरचन्द आत्मज हीरालाल घरटमैन, बारां

८१७. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कस्तूरचन्द आत्मज हीरालाल का इस समय घरटमैन के पद पर बारां में कार्य कर रहा है, कितने वर्षों से निर्माण विभाग में किस पद पर कार्य कर रहा था ?

(२) किस विशेष सेवा के उपलक्ष्य में कस्तूरचन्द को घरटमैन का पद प्रदान किया गया है ?

(३) निर्माण विभाग का पदोन्नति एवं पदच्युत के सम्बन्ध में आधार क्या है ?

(४) क्या कस्तूरचन्द के साथ किया गया व्यवहार उक्त आधार पर आधारित था ? यदि हां, तो कैसे, यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) लगभग ६ वर्ष से। अस्थाई मोहर्रिर के पद पर।

(२) कोई विशेष सेवा पर नहीं।

(३) योग्यता और आवश्यकता।

(४) जी हां। ऐसे ही।

श्री अध्यक्ष : श्री लालूराम।

म्युनिसिपेलिटी द्वारा जमीन फरोख्त करने के सम्बन्ध में नज़राना

८१८. **श्री लालूराम टटवाड़िया** (टौंक): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) राजस्थान में म्युनिसिपेलिटी द्वारा कहां कहां किस प्रकार से क्या क्या नज़राना जमीन फरोख्त करने के सम्बन्ध में लिया जाता है ? यह नज़राना कब तक वसूल किया जावेगा।

(२) क्या यह सत्य है कि निवाई म्युनिसिपेलिटी द्वारा जनता से नये भवन निर्माण हेतु कच्चे से पक्का मकान बनवाने पर भी नजराना व टैक्स वसूल किया जात

Page No.11

(श्री लालूराम)

है ? यदि हां, तो क्यों तथा ऐसी हालत में हरिजन लोग कच्चे से पक्का मकान कैसे बना सकेंगे ?

(३) क्या सरकार हरिजनों को मकान बनाने के लिये जमीन फ्री देने का इरादा रखती है ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री : (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) नजराना केवल भूतपूर्व जयपुर राज्य की निम्न नगरपालिकाओं द्वारा जयपुर अधिनियम के अन्तर्गत लिया जाता है, जो सामान्य नियम बन जाने पर नहीं लिया जावेगा। चौमूं, दौसा, लालसोट, नारायना, कोटपुतली, आमेर, बसवा, फुलेरा, जोबनेर आदि। जितनी भी म्युनिसिपेलिटी पुराने जयपुर राज्य में थी, उनमें लिया जाता है।

(२) केवल उन्हीं मकानों के निर्माण का टैक्स या नजराना लिया जाता है जो खास से पुख्तों बनाये जाते हैं।

(३) हरिजनों को मकान हेतु रियायती दरों पर जमीन दिये जाने तथा आवश्यक नियम बनाने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश दे रखे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान जमीन-विक्रय कानून आप एक बना चुके हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : म्युनिसिपेलिटी में एक नहीं बना है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

दौसा लालसोट रोड का निर्माण

८१९. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) दौसा लालसोट रोड पर मील १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, व २४ की रोड कब से नहीं बनी ?

(२) इसको ठीक करने का ठेका किस सन् में किस व्यक्ति को दिया गया था ?

(३) उपरोक्त सड़क का ठेका जिस व्यक्ति को दिया गया था, उसके समय पर कार्य पूरा न करने पर उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(४) अब उपरोक्त रोड को कौन ठीक करेगा तथा यह सड़क कब तक ठीक हो जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री : (श्री नाथूराम मिर्धा : (१) जनवरी १९५७।

(२) सन् १९५७ में श्री दिनेन्द्र प्रसाद मनमोहनलाल गोयल को।

(३) ठेका रद्द कर दिया गया।

(४) पुनः स्वीकृत ठेकेदार। स्वीकृति विचाराधीन है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : क्या यह सत्य है कि टेन्डर हो गये हैं और भटनागर के दफ्तर में पड़े हुए हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि टेन्डर हो चुके हैं और इन्जीनियर साहब के दफ्तर में पड़े हैं ?

Page No.12

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा स्वीकृति विचाराधीन है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : टेन्डर खुले या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : खुल गये।

प्रश्न संख्या ८२०

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थिति)

प्रश्न संख्या ८२१

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री ज्ञानचन्द मोदी।

पशुओं की चराई से आय

८२२. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या मन्त्री, वन-विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) वन-विभाग पशुओं की चराई द्वारा प्रति वर्ष औसतन कितनी रकम वसूल की जाती है।

(२) इस रकम का कितना हिस्सा यह विभाग चरागाह की उन्नति एवं पशुओं के आराम व जल आदि की व्यवस्था के लिए व्यय करता है ?

(३) क्या सरकार को विदित है कि वन-विभाग के समीपस्थ देहातों के किसानों को हल, जूड़ा आदि के लिये लकड़ियों का पर्मिट देने की व्यवस्था जिला सवाई माधोपुर में अधिकारियों द्वारा इस वर्ष कतई बन्द कर दी गई, अगर हां, तो क्यों ?

(४) प्रान्त में जहां जहां गेम सेन्च्यूरी कायम की गई हैं उन क्षेत्रों से पशुओं की चराई की कितनी रकम प्रतिवर्ष वसूली की जाती रही है ?

(५) क्या गेम सेन्च्यूरी कायम की जाने पर भी वहां पशु चराई की व्यवस्था रहेगी तथा सरकार सदा की भांति चराई वसूल करेगी ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) ६,५०,००० रुपये।

(२) इस रकम में से कुछ नहीं, किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ४ लाख रुपया का प्राविज़न है।

(३) जी हां। जंगल का सुचारूरूप से रक्षा करने के लिये।

(४) गेम सेन्च्यूरी से पशु चराई की आय का अलग हिसाब नहीं है।

(५) इस बारे में योजना अनुसार जहां भी मुमकिन हो चराई बन्द होना चाहिये, लेकिन जहां चराई खुला रहेगी वहां फीस वसूली होगी।

श्री तनसिंह : औसतन ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रश्न है "वन-विभाग में पशुओं की चराई द्वारा प्रति वर्ष औसतन कितनी रकम वसूल की जाती है ?" यह जवाब दिया है, "६,५०,००० रुपये।"

श्री ज्ञानचन्द मोदी : उनकी सुविधा के लिए क्या योजनायें बनाई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किनकी सुविधा के लिये ?

श्री अध्यक्ष : जो चार लाख की योजना है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसमें ऐसा है, कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सॉइल कन्जरवेशन विभाग है, वह २०० एकड़ के ग्रास प्लॉट्स वगैरह रखता है। ऐसे फोरेस्ट एरियाज़ को क्लोज़ करके प्लान्टेशन करते हैं, ऐसे एरिया को क्लोज़ करके अच्छी ग्रास पैदा करते हैं और वह पांच साल तक क्लोज़ रहता है। जब उसको खोलते हैं तो वह जानवरों की चराई के लिए काम में आता है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

बस्सी तहसील की दनाऊ पंचायत का हैड क्वाटर देवगांव में रखने का प्रस्ताव।

८२३. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर जिले की बस्सी तहसील की दनाऊ पंचायत का हैड क्वार्टर देवगांव में रखने के लिये कितनी दरख्वास्तें व प्रस्ताव विभाग में दिये हैं ?

(२) उन आवेदन पत्रों तथा प्रस्तावों पर कब तक निर्णय होगा।

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) पांच।

(२) शीघ्र ही होगा।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : कब तक विचाराधीन रहेगी ?

श्री दौलतराम सारण : जल्दी ही फैसला किया जायगा।

प्रश्न संख्या ८२४

श्री अध्यक्ष : श्री बी. एन. जोशी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८२५

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८२६

श्री नारायणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सुगनचन्द।

डिस्पेन्सरियां, जिला चित्तौड़गढ़

८२७. **श्री सुगनचन्द** (बैंगू) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) चित्तौड़गढ़ जिले में कितनी डिस्पेन्सरियां हैं और कितनी डिस्पैंन्सरियां ऐसी है जहां डॉक्टर नहीं हैं और कब से नहीं हैं ?

(२) जहां जहां पर डॉक्टर नहीं हैं वहां की पूर्ति कब तक हो जावेगी और अब तक नहीं होने का क्या कारण है ?

(३) बैंगू डिस्पेन्सरी में इस साल कितने मरीज भर्ती हुए हैं ? क्या मरीजों को रखने के वार्ड बने हुए हैं ?

(४) उक्त डिस्पेन्सरी में कितने बैड्स साबुत हैं और मौजूद कितने हैं ? यदि नहीं तो, सरकार ने वार्ड बनाने की क्या कार्यवाही की

(श्री सुगनचन्द)

है तथा कितनी दर्ख्वास्तें इस सम्बन्ध में सरकार को पेश की हैं।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) चित्तौड़गढ़ जिले में १६ अस्पताल हैं जिनमें निम्नलिखित डिस्पेन्सरियों में डॉक्टर नहीं हैं :

देवगढ़ राजस्थान बनने के समय से।

दलौद १६५६ से।

नदवई राजस्थान बनने के समय से।

भैंसरोडगढ़ सितम्बर १६५७।

गौसुन्डा जनवरी १६५८।

(२) जन-सेवा आयोग द्वारा डॉक्टर उपलब्ध होने पर उपरोक्त डिस्पेन्सरियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सकेगी। डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण अब तक वहां के स्थानों की पूर्ति नहीं की जा सकी है।

(३) इस वर्ष अब तक २१ रोगियों को बैंगू डिस्पेन्सरी में भर्ती किया गया है। मरीजों के लिए अलग वार्ड नहीं है।

(४) उक्त डिस्पेन्सरी के लिए ६ रोग शैय्याएं स्वीकृत तथा मौजूद हैं। वार्ड बनाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। इस विषय में कोई दर्ख्वास्त सरकार के पास नहीं आई है, वे विचाराधीन हैं।

श्री सुगनचन्द : मंजूरी है साहब, पर एक भी क्वार्टर नहीं है। इसके विषय में काफी प्रश्न भी पूछे गये और उत्तर भी मिला है कि जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जा रही है पर वह जल्दी से जल्दी कब पूरी होगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब इसमें जल्दी ही कार्यवाही की जा रही है।

श्री मूलचंद डागा : हर साल सरकार की ओर से कितनी डिस्पेन्सरीज खोली जाती हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिस्पेन्सरीज नहीं खोली जाती, मैंने अर्ज किया कि प्राइमरी हैल्थ सेंटर खोले जाते हैं, ८० की लिमिट द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है उनमें से ३४ या ४४, पूरी तरह से संख्या मुझे याद नहीं, खोल दिये गये हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि शफाखानों में जो दवाई होती है उसे डाक्टर बेच देते हैं, इस कारण मरीजों को फायदा नहीं होता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी बात तो नहीं है, बीमारों का तो सब जगह बहुत रश हो रहा है, अगर फायदा नहीं होता, तो क्यों जाते।

एक माननीय सदस्य : क्या सरकार के ध्यान में ऐसी बात आई है कि सरकारी दवाइयाँ भी डॉक्टर बेचते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सुगनचंद : पहले भी जल्दी का आश्वासन दिया गया था और अब भी जल्दी से जल्दी का आश्वासन दिया है, वह जल्दी से जल्दी कब पूरी होगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिपार्टमेंट में और ब्लॉक में बात हो रही है, जल्दी ही कार्यवाही की जायगी।

प्रश्न संख्या ८२८

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल पंवार।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

किसानों द्वारा तकावी के लिए प्रार्थना-पत्र जिला झालावाड़

८२९ **श्री रामचंद्र** (डग) : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) झालावाड़ जिले में कितने किसानों ने सन् १९५७-५८ में कुए खुदवाने तथा बैल खरीदने के लिए तकावी के लिए प्रार्थना-पत्र पेश किये ?

(२) कुल कितने रुपयों की मांग की गई और कितनी सहायता तकावी के रूप में दी गई ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) झालावाड़ जिले में सन् १९५७-५८ में ४०८ किसानों ने कुएं खुदवाने के लिए व ७४६ किसानों ने बैल खरीदने के लिए प्रार्थना-पत्र पेश किये।

(२) कुएं खुदवाने के लिये २,५,२८७५) रु० व बैल खरीदने के लिये २,३८,०३२) रु० की मांग थी। राज्य सरकार द्वारा मु० ४६९५०) रु० कुएं खुदवाने के लिये १३६ किसानों को व ५,१९२५) रु० बैल खरीदने के लिये ३०२ किसानों को तकावी के रूप में तकसीम किये गये। तहसीलवार सूची साथ में संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रामचंद्र डग : अध्यक्ष महोदय, जो तालिका मुझे मिली है उससे विदित होता है कि झालावाड़ जिले में ११५३ किसानों ने दर्खास्तें दीं, साढ़े पांच लाख रुपयों की, जिसमें से ४३८ किसानों को ११००००) के करीब रुपया दिया गया। यह तकावी बहुत कम है। जब कि खाद्यान्नों के प्रश्न को देखते हैं और अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन चलाये जाते हैं तो जो यह रुपया दे रहे हैं वह कर्ज के रूप में है, न कि किसी सब्सिडी के रूप में। इसलिये में आपके मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि झालावाड़ जिले के किसानों की जैसी गिरी हुई दशा है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे आश्वासन दें कि उन्हें अधिक तकावी दी जायगी।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आगामी वर्ष में सहृदयता पूर्वक विचार किया जायगा।

श्री मूलचंद डागा : क्या जो ज्यादा कहेगा, उस पर ज्यादा विचार किया जायगा

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

बालोतरा नगरपालिका द्वारा सोने चांदी पर चुंगीकर घटाने सम्बन्धी प्रस्ताव

८३० **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या बालोतरा जिला बाड़मेर की नगरपालिका ने सोना-चांदी पर चुंगी-कर घटाने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पास करके डाइरेक्टर, लोकल बॉडीज के पास स्वीकृत के लिए भिजवाया है। तो अभी तक स्वीकृति नहीं प्रदान करने का क्या कारण है ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : जी हां। कानूनी या अन्य त्रुटियों के कारण म्युनिसिपल बोर्ड बालोतरा से बार बार पत्र व्यवहार करना अनिवार्य रहा, अभी तक उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री दयाकृष्ण विजय : यहां से क्या लिखा गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यहां से पहले तो जब उन्होंने भेजा था तो यह नहीं मिला कि जनता से राय ली या नहीं। कानून के माफिक जनता की राय जानना जरूरी था। फिर पहले और अब की रेट्स में क्या फर्क था, यह उन्होंने नहीं दिया। २८-१०-५८ को उन्हें फिर पूछा गया कि पहले की और अब की रेट्स में क्या फर्क है।

श्री अनूपसिंह : जनता को राय क्यों जरूरी है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : ऐसा कानून बना हुआ है, आपही का बनाया हुआ है।

श्री अनूपसिंह : जनता के रिप्रेज़ेन्टेटिव तो म्युनिसिपेलिटीज़ में पहले से हैं ही।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : राजस्थान म्युनिसिपेलिटी एक्ट १९५१ में पास हुआ है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि कानून में चुंगी कर घटाना आवश्यक नहीं है।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : जरूरी है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : So far as reduction is concerned, it is not at all necessary under the provisions of the Act.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो पॉलिसी की बात है।

श्री पी० के० चौधरी : गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गोल्ड और सिल्वर पर ऑक्ट्राय रिड्यूस करना या बढ़ाना ? what is the policy of the Government ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : इसमें इस तरह का होना चाहिये कि गोल्ड और सिल्वर के भावों में एक जगह से दूसरी जगह में फर्क नहीं आये, क्योंकि यह इन्टरनेशनल कोमोडिटी है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

ग्राम लुआवद (तहसील इटावा) थानेदार द्वारा अफीम की बरामदगी

८३१. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा) : क्या गृह-मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम लुआवद, तहसील इटावा में नवनीतलाल महाजन के यहां से सवा चार सेर तथा गोपीलाल राठी के यहां से १ थैला अफीम का, थानेदार कुन्जबिहारीलाल अयाना ने बरामद किया ?

(२) क्या यह भी सही है कि गोपीलाल से ७००) रू० व नवनीतलाल महाजन से १५००) रू० रिश्वत ले कर केस दबा दिया गया ?

(३) क्या यह भी सही है कि मुखबिर सीताराम जोशी व मांगीलाल, क्लर्क पंचायत को थानेदार ने खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिये मजबूर किया ?

Page No.17

(श्री रामनारायण)

(४) क्या थानेदार ने उनके सीने पर पिस्तौल तान कर हस्ताक्षर करवाये ?

(५) क्या इसकी शिकायत पुलिस उच्चाधिकारियों तक पहुंची ? यदि हां, तो परिणाम क्या निकला ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) जी हां । परन्तु दोनों के यहां से कितना कितना अफीम बरामद किया गया, यह मालूम नहीं ।

(२) प्रारम्भिक जांच से ऐसा ही ज्ञात हुआ है ।

(३) इसके प्रति अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मामले की जांच हो रही है ।

(४) जी नहीं ।

(५) जी हां । शिकायत आने पर प्रारम्भिक जांच की गई जिस पर थानेदार को मोअत्तिल किया गया और अब नियमानुसार विभागीय जांच उसके खिलाफ हो रही है ।

श्री मूलचन्द डागा : उनका प्रोसीक्युशन किया गया या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो चीज है वह अवेलेबल नहीं, सबूत क्या हो सकता है ?

श्री भैरोंसिंह : रिश्वत का केस रजिस्टर हुआ कि नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्क्वायरी हुई है, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हो रही है ।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि केस रजिस्टर नहीं हुआ है ।

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : सबूत काफी हैं तो फिर केस रजिस्टर क्यों नहीं किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हो रही है । केस रजिस्टर करने लायक सबूत मिल जायगा तो केस रजिस्टर किया जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : केस के रजिस्ट्रेशन के लायक सबूत नहीं मिला है तो फिर सस्पेन्शन क्यों किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : सस्पेन्शन के लायक सबूत है । इन्क्वायरी करने की स्टेज के लिये मैटिरियल था, क्रिमिनल केस के लायक मेटर अभी है नहीं । वह मिल जायगा तो केस रजिस्टर किया जायगा ।

श्री मूलचंद डागा : सस्पेन्शन कौन-सी तारीख को किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : सस्पेन्शन की डेट तो इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन दो सज्जनों ने रिश्वत दी उनके खिलाफ प्रोसीक्युशन की कार्यवाही की या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया कि डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी होने के बाद अगर सबूत हुआ तो प्रोसीक्युशन किया जायगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें क्या डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी होगी, वे तो प्राइवेट इन्डिविज्युअल्स हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्राइम एस्टेब्लिश होगा तभी तो केस रजिस्टर होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

कोटा डिविजन में मलेरिया यूनिट द्वारा कार्य

८३२. श्री रामचन्द्र (डागा) : क्या चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा डिविजन में मलेरिया कन्ट्रोल प्रोग्राम के तहत कितने मलेरिया यूनिट कहां कहां कार्य कर रहे हैं ?

(२) क्या झालावाड़ जिले में कोई यूनिट कार्य कर रहा है ?

(३) यदि नहीं, तो क्या झालावाड़ जिला मलेरिया प्रभावित क्षेत्र नहीं माना गया है ?

(४) इस जिले में पिछले पांच वर्षों में औसतन कितने व्यक्ति मलेरिया ज्वर से पीड़ित हुए ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) कोटा डिविजन में मलेरिया कन्ट्रोल प्रोग्राम यूनिट के अन्तर्गत एक यूनिट कार्य कर रहा है जो चार सब-यूनिटों में विभाजित है। इनके हैडक्वार्टर्स कोटा, बूंदी, बारां व रामगंज मंडी हैं।

(२) झालावाड़ जिले में कोई यूनिट कार्य नहीं कर रहा है परन्तु झालारा-पाटन व झालावाड़ खास में कोटा यूनिट के द्वारा ही डी. डी. टी. छिड़काव कराया जा चुका है।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(४) पिछले पांच वर्षों में इस जिले में औसतन २८३६८ व्यक्ति मलेरिया ज्वर से पीड़ित हुए।

श्री रामचन्द्र : झालावाड़ में हैडक्वार्टर क्यों नहीं रखा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां बीमारी कम है।

श्री रामचंद्र : आपने आंकड़े निकाले, वे कहां से निकाले गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : विभाग से निकाले गये।

श्री रामचंद्र : मेडिकल, डिस्पेन्सरीज से आयुर्वेदिक और दूसरे औषधालयों के कुल मिला कर या केवल डिस्पेन्सरियों के ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये तो हमारी डिस्पेन्सरियों के आधार पर हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

राजस्थान प्रदर्शनी सन् १९५७-५८ में कुल कितना सामान खरीदा व गुम हुआ

८३३ श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान प्रदर्शनी सन् १९५७-५८ में जो साड़ियां, नक्शे, नमूनें आदि खरीदे गये थे उनका इन्द्राज स्टोर्स एन्ड स्टोक रजिस्टर में कब किया गया ?

(२) इस प्रकार का सामान कुल कितनी कीमत का खरीदा गया था ? प्रदर्शनी के बाद कितना सामान गुम होना (लोस्ट) पाया गया, इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

Page No.19

(श्री भैरोंसिंह)

(३) क्या यह सही है कि इस प्रदर्शनी के अकॉउन्ट्स की, अकॉउन्ट्स ऑफिसर इन्सपेक्शन फाइनेन्स ने जांच करके एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें कई अनियमितताओं का जिक्र किया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? कृपया अकॉउन्ट्स ऑफिसर की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल अगले वीक में ले लिया जाय। इन्फोर्मेशन कम्पलीट नहीं आई है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : इन्फोर्मेशन आयेगी भी कि नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जरूर आयेगी।

प्रश्न संख्या ८३४

श्री अध्यक्ष : श्री धन्नालाल हरित।

(अनुपस्थित)

डाइरेक्टर, आयुर्वेदिक विभाग द्वारा दौरा

८३५ श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) डाइरेक्टर, आयुर्वेदिक विभाग ने अपनी नियुक्ति से अब तक किस डिविज़न में और कितने कितने दौरे किये ?

(२) डाइरेक्टर अपने मुख्य कार्यालय पर किस किस वर्ष से कितने कितने दिन रहे ?

(३) डाइरेक्टर स्वयं को एक वर्ष में कितने इंस्पेक्शन करने चाहिये ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) डाइरेक्टर, आयुर्वेदिक विभाग ने अपनी नियुक्ति से अब तक जिस जिस डिविज़न में जितने दौरे किये हैं, उनका संख्या-विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(२) दौरे की तारीखों के तथा आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त वे अपने बाकी समय में अपने मुख्य कार्यालय में ही रहे हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	कार्य के पूर्ण दिन दि० १६, ७, ५५	मुख्य कार्यालय पर उपस्थिति के दिन
१९५५—५६	१६६	११६
१९५६—५७	३६५	२४९
१९५७—५८	३६५	२०६
१९५८—५९	२७३	१८२

सितम्बर ५८ तक।

(३) डाइरेक्टर स्वयं को एक वर्ष में कितने इन्सपेक्शन करने चाहिये, इस विषय में अभी तक कोई नियम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या डिपार्टमेंट में इस प्रकार के कोई रूल्स बने हुए हैं कि इतने दौरे डिप्टी डाइरेक्टर और इतने डाइरेक्टर को करने चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिये कोई नियम तो नहीं बने हुए हैं लेकिन आमतौर से जहां पर जरूरत होती है, दौरा करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आवश्यकता का मापदंड क्या है ? क्या कोई शिकायत होती है उस

Page No.20

(श्री भैरोंसिंह)

पर जाते हैं या कोई वैद्य करें तब, या स्वयं दौरा करते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे स्वयं भी दौरा करते हैं और शिकायत पर भी जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो दौरों का अभी ब्योरा बताया उसमें छुट्टियां भी शामिल हैं या छुट्टियों के अलावा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे ख्याल से उसमें छुट्टियां भी शामिल हैं और दौरों में भी छुट्टियां आजाती हैं तो शामिल होती हैं।

श्री भैरोंसिंह : छुट्टियां ५० पर्सेन्ट से कम किसी भी हालत में नहीं होती। इस हिसाब से ५०-६० दिन तक अपने कार्यालय में रहे और बाकी के समय दौरे पर रहे इससे सारा काम सफर करता रहा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि १९५५-५६ में १६६ दिनों में से ११६ दिन तक कार्यालय में रहे। ५६-५७ में ३६५ दिनों में ३४९ दिन तक कार्यालय में रहे। ५७-५८ में ३६५ दिनों में २०६ दिन तक कार्यालय में रहे। दौरे किये उनमें वे दिन भी शामिल हैं जब कि उनको अजमेर से जयपुर आना पड़ा है।

श्री भैरोंसिंह : जब जयपुर में हैडक्वाटर था तब तो ज्यादा दौरे नहीं होते थे। अब अजमेर हैडक्वाटर हुआ है तो ज्यादा दौरे होने लगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनको कई मीटिंगों में जयपुर आना पड़ता है। इसमें कोई गल्ती की बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने जांच की है इस बात की कि आयुर्वेद विभाग के डाइरेक्टर ने जितना टी० ए० चार्ज किया, उतना किसी दूसरे अधिकारी ने नहीं किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी सूचना तो मेरे पास नहीं है कि किसी ने किया या नहीं। और भी दूसरों ने किया होगा, अगर आप इसके सम्बन्ध में प्रश्न पूछते तो उत्तर देता।

श्री अध्यक्ष : यदि दौरा कम करते हैं तो सदस्य कहते हैं कि कम दौरे क्यों किये और ज्यादा करते हैं तो कहते हैं कि ज्यादा क्यों किये।

श्री भैरोंसिंह : दौरे अजमेर से जयपुर तक आम तौर से होते हैं और कभी कभी अजमेर से उदयपुर के होते हैं।

एक माननीय सदस्य : जयपुर तो दूर नहीं है।

प्रश्नसंख्या ८३६

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८३७

श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

बयान फतेहपुर सीकरी (यू. पी.) की सड़क का निर्माण

८३८. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री जुगलकिशोर)

(१) बयाना से फतहपुर सीकरी (यू.पी.) को जाने वाली पुरानी सड़क के पुनः निर्माण का कार्य कब आरम्भ हुआ था ?

(२) अब तक इसका कितना भाग पूरा हुआ है ?

(३) बाकी का भाग अभी तक क्यों नहीं आरम्भ किया गया ?

(४) इस सड़क के पूरा होने में अभी कितना समय और लगेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) ३०-६-१९५३ में।

(२) ६ मील।

(३) अर्थाभाव।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को सूचना देना चाहता हूं कि तीन मील से ज्यादा नहीं बना है। क्या इसकी जांच करने के लिए आप तैयार हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास जो सूचना है उसमें मेरे ख्याल से ६ मील के दो काम एक श्री गंगाप्रसाद को और दूसरा श्री सत्यपाल को दिया और उन्होंने यह काम २८-५-५६ को और २५-५-५६ को इन दोनों ने समाप्त कर दिये और ६ मील का काम किया।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यदि यह ६ मील नहीं हो और तीन मील ही हो, तो क्या आप इसकी जांच करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बराबर। यदि आप लिख कर इसके लिये देंगे तो मैं बराबर इसकी जांच करूंगा और संतोषजनक उत्तर दूंगा।

जलाऊ कोयले का कोटा, किशनगढ़

८३६ : श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) क्या रसद मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) किशनगढ़, जिला अजमेर के लिए जलाऊ कोयले का कितना कोटा निर्धारित है ?

(२) उक्त कोयला सप्लाई का ठेका किसको कितने समय के लिए दिया गया है ?

(३) उक्त ठेकेदार के नियुक्त होने के बाद कितना कितना जलाऊ कोयला कब कब किशनगढ़ को दिया गया ?

(४) किशनगढ़ के कोटे का कितना कोयला अन्यत्र भेज दिया गया ?

रसद मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जलाऊ कोयले का कोटा जिलेवार निर्धारित होता है। किशनगढ़ को सन् १९५७-५८ से पहले जयपुर जिले के कोटे में से माल मिलता था और उस समय वहां कलेक्टर, जयपुर की सिफारिश पर ६ से १२ वैगन तक कोयला अलॉट किया जाता था। अजमेर में मिलने के पश्चात् किशनगढ़ को सन् ५७-५८ में चार वैगन कोयला दिया गया है। यह कोयला जयपुर के कोटे में से काट कर दिया है। कोयले का कोटा राजस्थान का बहुत कम है और मांग अधिक है, अतः इससे अधिक कोयला उस समय दिया नहीं जा सका।

(२) उक्त कोयले का ठेका ता० १-४-५७ से ३१-३-५८ तक मैसर्स हीरालाल मूलचन्द

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

किशनगढ़ को व १-४-५८ से ३१-३-५६ तक मैसर्स गनपतलाल अग्रवाल को दिया गया है।

(३) मैसर्स गनपतलाल अग्रवाल, किशनगढ़ को एक वैगन तो अप्रैल ५८ से सितम्बर ५८ की छः माही में व ३ वैगन अक्टूबर ५८ से मार्च ५६ की छः माही में दिये जा चुके हैं। इस प्रकार एक साल याने अप्रैल, ५८ से मई, ५६ तक के लिये चार वैगन का कोटा दिया गया है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता। इसका स्पष्टीकरण प्रश्न (१ के उत्तर में किया जा चुका है।

श्री ज्वालाप्रसाद : क्या अजमेर डिस्ट्रिक्ट को जो कोटा पहले मिलता था फॉरमर अजमेर के जमाने में, उससे अब कम मिलता है जब किशनगढ़ नहीं जुड़ा था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कम नहीं मिलता है।

एक माननीय सदस्य : पहले कितना मिलता था और अब कितना मिलता है।

श्री अध्यक्ष : कम नहीं मिलता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जितना मिलता था, उससे ज्यादा नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बन्दियों को रियायत पाने के नियम

८४० : श्री रामचंद्र (डग) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान के बन्दियों के बन्दीकाल में रियायत पाने के क्या नियम हैं ?

(२) क्या यह रियायत सब ही बन्दियों को समान रूप से दी जाती है अथवा अवस्था के अनुसार ?

(३) क्या सरकार १८ वर्ष अथवा कम आयु वाले बन्दियों को अधिक रियायत देने का विचार रखती है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) बन्दियों के बन्दीकाल में रियायत पाने के नियम राजस्थान जेल मैन्युअल पार्ट ३ पेज १२ से १६ में दिये हुए हैं।

(२) यह रियायत सब ही बन्दियों को समानरूप से दी जाती है।

(३) नहीं।

श्री रामचन्द्र : क्या १८ वर्ष से कम की उम्र के बन्दियों को रिफोर्मेशन के विचार से कुछ अधिक रियायत देने का सरकार विचार रखती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो नियम हैं, उसके अनुसार रियायत दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या ६० वर्ष से ज्यादा उम्र वाले बन्दियों के साथ रियायत करने का सरकार का विचार है ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सड़कों के अन्तर्गत आने वाली भूमि का मुआवजा

८४१. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.23

(श्री भैरोंसिंह)

(क) क्या यह सही है कि निम्नलिखित सड़कों के अन्तर्गत आने वाली भूमि का मुआवजा अभी तक मालिकान जमीन को नहीं मिला है ?

(१) मारवाड़ जंकशन से जोधपुर वाया सरदार समद,

(२) मारवाड़ जंकशन से जोधपुर,

(३) जोधपुर बिलाड़ा रोड पर दांतीवाड़ा से पिपाड़ सिटी ।

(ख) उपरोक्त भूमि कब-कब और किस-किस कानून के अन्तर्गत अवाप्त की गई थी ?

(ग) इनके मुआवजे के कागजात किस स्टेज पर हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि नम्बर (१) पर उल्लेखित सड़क के मुआवजे के कागजात गुम हो गये हैं ? यदि हां, तो किस तरह तथा कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

(ङ.) क्या यह सही है कि मालिकान भूमि से इस अवाप्त की गई भूमि का लगान, भूमि अवाप्त करने के पश्चात् भी लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां, सही है ।

(ख) कार्यवाही चालू है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ.) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (क) में जो भूतपूर्व जोधपुर रियासत में जो जमीन सड़कों के अन्तर्गत आई थी उसके कागजात खो गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : खोये नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस संबन्ध में, कागजात खो जाने के सम्बन्ध में एक अधिकारी के खिलाफ कागजात चल रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास कोई इस प्रकार की सूचना नहीं है । कागजात चल रहे हैं ऐसी सूचना है । क्या हुआ ? पूरे केस की इन्क्वारी होगी, मेरे पास सूचना नहीं है । लेकिन अब तो कागज़ मिल गये हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस बात की जांच कराएगी कि ये कागजात बाद में नये बनाये गये और इस कारण से बहुत से काश्तकारों को नुकसान होगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कागजात अभी चल रहे हैं । इससे किसानों को मुआवजा मिल जावेगा ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा मतलब यह है कि कुछ काश्तकारों को मुआवजा मिलने में नुकसान होगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी जानकरी डिटेल में करके रिपोर्ट पेश कर दें उसके बाद में गौर करेंगे कि.......

श्री अध्यक्ष : सदन के सामने कई दफे मुआवजे के प्रश्न आते हैं । ये मामले १०-१० और १२-१२ वर्ष पुराने हैं । जो जमीन उनसे ले ली गई है और उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है, यह तो वाकई में

(श्री अध्यक्ष)

शोचनीय बात है। इसी तरह नहरों के बारे में भी होता है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि डिटेल में जाकर उन लोगों को राहत पहुँचाने की कोशिश करें।

(हर्ष-ध्वनि)

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष, इतनी सड़कें और बंध इतनी तादाद में बन रहे हैं कि उनको देखते हुए लैन्ड रेवेन्यू कर्मचारियों की तादाद कम है और उसको तय करने में थोड़ा समय लगता है लेकिन अब तो काफी ऑफिसर काम के लिये लिये गये हैं। इस मुआवजे को जल्दी से जल्दी देने की कार्यवाही हो रही है। यह जोधपुर स्टेट के जमाने में सड़कें बनी थी उसकी कार्यवाही अभी हो रही है। हर एक लैण्ड एक्विजिशन के एक्ट निकलते हैं उसके बारे में चारों तरफ से कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

चोरियां—रूपनगर

८४२. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पिछले ६ माह में ग्राम रूपनगर, जिला अजमेर में किस किस के यहां चोरियां हुईं ?

(२) उक्त चोरियों के सिलसिले में किस किस बावरी को कितने कितने समय तक पुलिस कस्टेडी में रखा गया ?

(३) किस किस बावरी के खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं होने पर पुलिस को छोड़ना पड़ा ?

(४) निरपराध व्यक्तियों को इस तरह परेशान करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) केवल एक चोरी, श्री कन्हैयालाल पासी, ग्राम रूपनगर के घर में हुई।

(२) मांगिया पुत्र बिरजू एवं जोधिया पुत्र जीवा बावरियों पर सन्देह था और उन्हें पुलिस के अधिकार में १२ दिन रखा गया।

(३) पूरे सबूत न होने के कारण दोनों को पूछताछ के पश्चात् छोड़ दिया गया।

(४) किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया गया।

डॉ० बहादुरसिंह : रूपनगर में फिर से चोरियां न हो इसके लिये कोई प्रबन्ध किया है ?

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उनको बिना गिरफ्तार के ही थाने में रोके रखा था ?

श्री रामकिशोर व्यास : हां, कुछ और बावरियों को भी पुरानी चोरियों के बारे में बुलाया था।

श्री भैरोंसिंह : उनको गिरफ्तार करने के बाद में रोका ?

श्री अध्यक्ष : तफतीस के सिलसिले में बुलाये गये थे।

श्री भैरोंसिंह : उनको पीटा गया और उनको जंगले में रखा गया।

श्री रामकिशोर व्यास : (अश्रव्य) वहां पर जेल से बुलाया गया।

पुलिस थाना गिडा के आस-पास औषधालय का अभाव

८४३. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार की जानकारी में है कि पुलिस थाना गिडा, जिला बाड़मेर में व उसके ३० मील के इर्द गिर्द कोई भी डिस्पेन्सरी या औषधालय नहीं है ? यदि हां, तो इस रेगिस्तानी इलाके में चिकित्सा-सुविधा नहीं करवाये जाने का क्या कारण है ?

(२) क्या यह सही है कि, वहां से न तो पोस्टमार्टम के लिए ही कोई लाश और न कोई बीमार डॉक्टर के पास पहुँच सकता है ? यदि हां, तो सरकार वहां एक डिस्पेन्सरी या औषधालय कब तक खोल देने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(१) जी हां, गिडा पुलिस थाना जिला बाड़मेर में व उसके आस पास २२ करीब मील इर्दगिर्द कोई सरकारी एलोपैथिक डिस्पेन्सरी व आयुर्वेदिक औषधालय नहीं है । ग्राम डिगा की आबादी केवल ७५६ की है, इसलिये वहां कोई डिस्पेन्सरी नहीं खोली गई है ।

(२) डिस्ट्रिक्ट कमेटी में आने पर विचार किया जायेगा ।

श्री अनूपसिंह : वहां पर बड़ी जन-संख्या है । उस बड़े इलाके के लिए और कोई साधन नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिस्पेन्सरी या औषधालय खोलने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवल-पमेंट कमेटी की सिफारिश की आवश्यकता होती है और उसके अनुसार ही वहां खोलते हैं । आप वहां ऐसा प्रस्ताव रखिये ।

श्री अनूपसिंह : क्या किसी सरकारी कर्मचारी ने दूर करके रिपोर्ट नहीं की, सरकार को ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने बताया कि जितने औषधालय या डिस्पेन्सरीज़ खोलते हैं तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज़ को ही पूछ कर खोलते हैं । माननीय सदस्य भी उसके एक सदस्य हैं इसलिए उनको वहां पर प्रस्ताव रखना चाहिये ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : सरकार ऐसी व्यवस्था ही क्यों नहीं कर देती कि बीमारी ही नहीं आये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बीमारी नहीं है इसलिए औषधालय नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

भरतपुर जिले के भिन्न-भिन्न भागों तक बिजली पहुँचाने की योजना

८४४. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या मंत्री, विद्युत्-विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत भरतपुर जिले के भिन्न-भिन्न भागों तक बिजली पहुँचाने की कोई योजना बनाई गई है ?

(२) यदि हां, तो वह क्या है ?

(३) भरतपुर शहर में इस समय किन-किन कामों के लिये कितने कितने किलोवाट बिजली की आवश्यकता है ?

(४) क्या वहां के बिजलीघर द्वारा उक्त

Page No.26

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

सभी कार्यों के लिए अपेक्षित मात्रा में बिजली दी जा रही है ?

(५) यदि नहीं ? तो क्यों ?

(६) क्या सरकार ने वहां तक जल-कूपों से पानी निकालने के लिये बिजली देने की व्यवस्था की है ?

(७ यदि नहीं, तो वहां की जनता के कष्ट को दूर करने का सरकार क्या विचार कर रही है तथा यह कष्ट कब तक दूर कर दिया जावेगा।

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां।

(२) भरतपुर के डी. सी. सिस्टम को रुफ्ता-रुफ्ता ए. सी. सिस्टम में बदलना था। इसके अलावा २ डिजल सैट्स एक १५६ के डब्ल्यू व एक २५६ के डब्ल्यू व २ एक एक हजार के डब्ल्यू टर्बाइन्स लगाने थे। भरतपुर से डीग तक ११. के. वी. लाइन ले जानी थी। धौलपुर से बारी की लाइन को फिर से ठीक करने की व्यवस्था थी। रास्ते में पड़ने वाले देहातों में भी बिजली देने की व्यवस्था की जायगी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में भरतपुर को चम्बल से बिजली देने का विचार है। आज भरतपुर में लोड देखते हुए २ एक एक हजार के डब्ल्यू अतिरिक्त टर्बाइन्स लगेंगे।

(३) यह लोड इस प्रकार है :

१.	वाटर वर्क्स	१३० के डब्ल्यू
२.	वेगन फेक्टरी	११०० ,,
३.	भरतपुर ऑइल मिल्स	४०० ,,
४.	ग्लास फेक्टरी	२०० ,,
५.	भरतपुर ट्रेडर्स कम्पनी ऑइल एन्ड दाल मिल्स	२०० ,,
६.	हरचन्दलाल एन्ड सन्स दाल मिल्स	२०० ,,
७.	आइस फेक्टरी	६० ,,
८.	मदनलाल अमरचन्द आइल एन्ड दाल मिल्स	६० ,,
९.	नाथूलाल भगवानप्रसाद	५० ,,

(४) जी नहीं।

(५) नई टर्बाइन लग जाने पर यह मांग पूरी की जा सकेगी।

(६) भरतपुर नगर के जल-कूपों से पानी निकालने के लिए बिजली देने की व्यवस्था योजना में है।

(७) राजस्थान विद्युत्-बोर्ड को आदेश दे दिये गये हैं। यदि टर्बाइन के लगने में देर हो और पानी की व्यवस्था जल्दी हो तो उस डिमान्ड के लिए नये डिजल सेट लगाने पड़ें। तो लगाये जायेंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इस वक्त जो किलोवाट बिजली पैदा हो रही है वह पब्लिक के अलावा किस किस कन्सर्न को दे रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस वक्त इसका रेकॉर्ड मेरे पास नहीं है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : वेगन फेक्टरी को दे रहे हैं या पब्लिक को दे रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : ४०० का नया

Page No.27

(श्री रामकिशोर व्यास)

सेट लगाया वह ज्यादातर बेगन फेक्टरी के लिए बिजली देता है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अमेरिकन सेट जनता के फायदे के लिए आया था न कि बेगन फेक्टरी के लिए ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह भी जनता के फायदे के लिए ही है, इन्डस्ट्री को चलाने के लिए है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उसके लिए गवर्नमेन्ट से अलग एग्रीमेन्ट हुआ है क्योंकि पब्लिक को नल-कूपों की जरूरत है और यह उसके लिए न देकर बेगन फेक्टरी को देने से क्या अधिक फायदा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : नल-कूपों को भी दी जा रही है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह कब तक हो जायगी योजना पूरी ?

श्री रामकिशोर व्यास : योजना तैयार होगी ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : कब तैयार होगी ?

श्री अध्यक्ष : तृतीय योजना के लिए कह रहे हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : ८०५ का उत्तर देना था ।

सरकारी अस्पतालों में विजिटर्स की नियुक्ति

८०५. **डॉ० चन्द्रकला** (रावराजा श्री सरदारसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा के अस्पतालों में विजिटर्स सरकार की तरफ से मुकर्रर किये हुए हैं ?

(२) अगर हां, तो उनकी क्या क्या योग्यतायें हैं । और क्या-क्या फन्क्शन्स हैं ?

(३) क्या जनाने हॉस्पिटल्स में भी कोई विजिटर्स मुकर्रर किये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१ जी हां ।

(२) सदस्य नगर प्रतिष्ठित सज्जन हैं । उनके कर्त्तव्य आदि सरकार के पत्र संख्या डी ४६०० । एम० एच० ५१ दिनांक १३–७–५१ द्वारा निर्धारित किये जा चुके हैं ।

(३) जी नहीं । अपितु इस कमेटी के केवल स्त्री सदस्य (फीमेल विजिटर्स) ही जनाने अस्पताल में प्रवेश कर सकते हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : जनाने हॉस्पिटल में विजिटर्स क्यों मुकर्रर नहीं हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक लिस्ट बना रखी है उसमें लेडीज़ भी शामिल हैं ।

प्रश्न संख्या ८०८

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

Page No.28

बस रूट के पर्मिट, जिला गंगानगर

८०६ **श्री मोहरसिंह** (श्री मुरलीधर व्यास की अनुस्थिति में) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १६५७-५८ में गंगानगर जिले में किन किन व्यक्तियों को कितने बस रूट पर्मिट प्रदान किये गये ?

(२) क्या कुछ लोगों ने अपने बस रूटों के पर्मिट्स दूसरों को बेच दिये हैं ?

(३) यदि हां, तो किन लोगों ने ?

(४) बस रूटों के आज्ञा-पत्र देने में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
(१) फहरिस्त 'ए' संलग्न है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) बसों के पर्मिट देते समय आर० टी० ए० धारा ४७ व ४८ मोटर विहिकल्स एक्ट में वर्णित बातों का ध्यान देती है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री मोहरसिंह : क्या यह सही नहीं है कि हनुमानगढ़ जाने वाली बस रूट पर एक पर्मिट बेचा गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बेचे जाने के सम्बन्ध में 'ना' कर दिया।

श्री मोहरसिंह : क्या यह सही है कि यह पर्मिट ६७ हजार रुपये में हनुमानगढ़ के एक महाजन को बेचा गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यदि ऐसा है तो आर० टी० ओ० के दफ्तर में लिख कर शिकायत भेजिये। मेरी जानकारी में तो किसी को नहीं बेचा गया।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास।

प्रधानाध्यापक राजकीय हाई स्कूल, भुसावर द्वारा पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र

८१५. **श्री अर्जुनदास** (अजमेर पश्चिम) : Will the Home Minister be pleased to answer the following :

(a) Is it a fact that the persent Head Master of Government High School Bhusawar made application in writing to the S. I. Police, Bhusawar and S. P. Bhartpur in July, august, 1958 against one Kehari Singh Pandey ?

A copy of the application may kindly be placed on the table of the House.

(b) Is Shri Kehari Singh Pandey a Congress man ?

(c) What action has been taken against Shri Kehari Singh Pandey ?

गृहमन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :
(अ) जी हां।

(ब) जी हां।

(स) कुछ नहीं; क्योंकि प्रार्थना-पत्र से कोई हस्तक्षेप करने योग्य (कॉग्नीजिबल) अपराध नहीं बना।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

Page No.29

प्रश्न संख्या ८१६

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल 'काला बादल' ।

सिटी इम्प्रूवमेन्ट, कोटा द्वारा प्लॉट अलॉट करना

८२१. श्री भैरवलाल 'काला बादल' (अकलेरा-सु) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट कोटा ने गुमानपुरा, नयापुरा तथा भीमगंज मन्डी वार्ड में कितने प्लॉट काट कर किन किन लोगों को अलॉट किये ? लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) नयापुरा बी ब्लॉक कोटा में सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा श्री सौभाग्यमल सुराणा को जमीन का पट्टा कब दिया गया व उक्त जमीन के कितने रुपये लिये गये ?

(३) क्या यह सही है कि श्री सौभाग्यमल सुराणा ने अपने अलॉट किए गये उपरोक्त प्लॉट को मोहन मेडिकल हॉल को बेच दिया है ? यदि हां, तो कितने में बेचा ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है ।

(२) श्री सौभाग्यमल सुराणा को अटालायोजना के अन्तर्गत ६,६३० वर्गफुट जमीन का विक्रय पत्र दिनांक ३-२-५५ को आठ आना प्रति वर्गफुट की दर से ३,३१५ रु० में किया गया ।

(३) ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है अतः प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : क्या यह सही नहीं है कि प्लॉट १२ हजार में मोहन मेडिकल स्टोर को बेच दिया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसका उत्तर भाग (३ में दे दिया गया ।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : यह इसमें मौजूद है । मोहन मेडिकल स्टोर को यह प्लॉट बेचा गया, मैंने जानकारी मांगी है सरकार से ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं इसका उत्तर दे चुका ।

प्रश्नसंख्या ८२४

श्री अध्यक्ष : श्री बी. एन. जोशी ।

(अनुपस्थित)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री ।

म्युनिसिपल बोर्ड, सांभर लेक में सरकार द्वारा नामजद व्यक्ति

८२५. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर-सु) : क्या मंत्री स्वायत्त शासन विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान की टाउन व सिटी म्युनिसिपेलिटियों में रिजर्व्ड सीट्स पर शिड्यूल्ड कॉस्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों को ही लिया जाता है ?

(२) यदि हां, तो सांभर म्युनिसिपल बोर्ड सांभर लेक में किन किन व्यक्तियों को कौनसी

(श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री)

तारीख को सरकार द्वारा नामजद किया गया। कृपया उनके नाम तथा जाति बतलावें ?

उप-स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई) (१) राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ एक्ट १६५१ की धारा ६।१ के अन्तर्गत टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ में सरकार किसी महिला सदस्या को या पिछड़ी जाति के सदस्य को बोर्ड की सदस्यता के लिए मनोनीत करती है। पिछड़ी जातियों की सूची सैकिंड शड्युल में दी गई है। सिटी म्युनिसिपेलिटियों में ऐसा प्रावधान नहीं है।

(२) सरकार ने अपनी विज्ञप्ति संख्या डी. ४८७०। एफ १. २८। एल. एस. जी। ए० ५८ दिनांक २६-५-५८ द्वारा निम्न व्यक्तियों को सांभर नगरपालिका हेतु नामजद किया था :

१. श्री हाफिज़ गुलाम मोहम्मद पुत्र श्री अजीमुद्दीन, जुलाह; निवासी सांभर।

२. श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी श्री देवकीनन्दन शर्मा।

श्री मूलचन्द डागा : ये व्यक्ति कौनसी जाति में आते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पिछड़ी जाति में।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : गुलाममोहम्मद मुसलमान हैं। वे इसमें किस जाति में हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जुलाहा हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : मैं यह पूछना चाहता हूं कि अन्डर शिड्युल्ड-कॉस्ट १६५० में किस जाति में आते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बैकवर्ड क्लॉसेज की लिस्ट बन रखी है जो टाउन म्युनिसिपल एक्ट के साथ संलग्न है। जुलाहा जाति को भी पिछड़ी जाति माना गया है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : बैकवर्ड क्लॉसेज़ को रिजर्वेशन देने का प्रोविज़न किस एक्ट के अन्तर्गत किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : टाउन म्युनिसिपल एक्ट। उस कानून के अन्तर्गत किया है और पिछड़ी जातियों की लिस्ट दी हुई है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : शिड्युल्ड कास्ट को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सारे राजस्थान में हम शिड्यूल्ड कास्ट को और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को रिजर्वेशन देते हैं। यहां एक जुलाहा था जो शिड्यूल्ड कॉस्ट में आता है, कलेक्टर की रिकमन्डेशन पर उसको नियुक्त किया गया है।

श्री पी० के० चौधरी : किस की रिकमन्डेशन पर नामजद किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कलेक्टर की रिकमन्डेशन पर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि वहां पर जितने भी हरिजन हैं वे सब कॉंग्रेस के विरोधी हैं, इसलिये कोई नामजद होने को तैयार नहीं हुआ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह गलत है।

श्री पी० के० चौधरी : सांभर इले-

(श्री पी० के० चौधरी)

क्शन में दो हरिजन आये हैं तो फिर नामजद क्यों किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इलेक्शन में आने पर कोई रुकावट नहीं है ।

राजस्थान केनाल के सुपरिन्टेन्डिंग इंजीयर द्वारा शिड्यूल्ड कॉस्ट के उम्मीदवारों को रखने में भेद-भाव पूर्ण नीति का बर्त्ताव

८२८. **श्री भीमसेन** : (श्री धर्मपाल की अनुपस्थिति में) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान केनाल के सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर अपने विभाग में शिड्यूल्ड कॉस्ट के उम्मीदवारों को रखने में भेदभाव पूर्ण नीति का बर्त्ताव करते हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि हाल ही में एक ड्राईवर का यह पता लग जाने पर कि वह शिड्यूल्ड कॉस्ट का है बिना किसी गलती के उसको नौकरी से अलग कर दिया ? यदि नहीं, तो उक्त ड्राईवर को नौकरी से निकालने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) यह निराधार है कि ए० ई०, राजस्थान केनाल अपने विभाग में परिगणित जाति के अभ्यार्थियों के रखने में भेद भाव पूर्ण नीति का बर्त्ताव करते हैं ।

(२) यह भी ठीक नहीं है कि किसी चालक को यह जान कर कि वह परिगणित जाति का है, बिना किसी गलती के पदच्युत किया है ।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि श्री परसराम नामक ड्राईवर को एस० ई० ने बिना कारण के नौकरी से अलग कर दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : बिना कारण के नहीं हटाया, वर्कचार्ज बेसिस पर उसको लिया था; उसका काम ठीक नहीं होने के कारण हटाया गया ।

श्री भीमसेन : क्या उसको चार्जशीट दी गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : चार्ज शीट देने की आवश्यकता नहीं है । उसको वर्क चार्ज बेसिस पर लिया गया था उसका काम ठीक नहीं पाया गया इसलिये हटा दिया गया ।

टीन व सीमेंट के कोटा में कमी, जिला झुंझुनू

८३६. **श्री गिरधारीलाल** (श्री लच्छूराम की अनुपस्थिति में): क्या मंत्री, नागरिक रसद विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनू में दो वर्ष से टीन व सीमेंट का कोटा नहीं आ रहा है ? अगर हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह भी सही है कि जिले के अधिकारियों के बार बार लिखने पर भी नतीजा कुछ नहीं हुआ ?

(३) इतने लम्बे समय तक कोटा न मिलने की जिम्मेदारी किस पर है ?

(४) क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ इस कोटे के विलम्ब के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठायेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

Page No.32

नगर रसद विभाग मंत्री : (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (१) जिला झुंझुनूं में अक्टूबर सन् १९५६ से जी० सी० आइरन शीट्स का कोटा नहीं आया था क्योंकि आइरन व स्टील कन्ट्रोलर ने राजस्थान के कोटे का माल पिछले एक वर्ष से प्लान करना बन्द कर दिया था। जिसके लिये लिखा-पढ़ी व बातचीत की गई है और चल रही है। अभी-अभी नालीदार चद्दर ४० टन झुंझुनूं जा चुका है। सीमेंट का कोटा बराबर जा रहा है।

(२) इसका स्पष्टीकरण प्रश्न १ के उत्तर में किया जा चुका है।

(३) इसका भी स्पष्टीकरण प्रश्न १ के उत्तर में किया जा चुका है।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवनाथसिंह : क्या यह सही है कि फॉरेस्ट का जो कोटा अभी दिया गय है वह भी वहां नहीं पहुँचा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी मेरी जानकारी नहीं है।

श्री शिवनाथसिंह : मैं जानकारी दे रहा हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद : गुप्ता लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

१२. ५ म० प०

सदन में सदस्यों के यथास्थान बैठने की व्यवस्था सम्बन्धी

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल नं. ४ की ओर दिलाना चाहता हूं "The member shall sit in such order as the Speaker may determine", और माननीय अध्यक्ष, इसके साथ रूल नं. २१९ भी है। "While the House is sitting a member (vii) shall keep to his usual seat while addreesing the House." इन दोनों को साथ में पढ़ कर जो व्यवस्था की है, उस हिसाब से उधर कांग्रेस के सदस्य बैठते हैं और इधर विरोधी पक्ष के सदस्य बैठते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार कोई कांग्रेसी सदस्य साधारणतया पर्मानेन्टली इधर नहीं बैठ सकता। इस सम्बन्ध में मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि आप श्री मनरूपराम जिन्होंने कांग्रेसी सदस्यता स्वीकार कर ली है उनको उस तरफ बैठने का आदेश प्रदान करें।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन यह कर दूँ कि माननीय सदस्य श्री मनरूपराम पर कल एक माननीय सदस्य ने चार्ज लगाया था। मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में एक एक्स्प्लेनेशन दें। जो आरोप लगाये गये थे वे उनकी नॉलेज में आ गये होंगे।

श्री भैरोंसिंह : वे इधर बैठकर नहीं, बल्कि उधर जाकर देना चाहेंगे।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : अगर उन्होंने कांग्रेस जोइन कर ली है तो वे खड़े होकर कह दें।

श्री अध्यक्ष : हमें कोई ऐसी सूचना नहीं है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : तो उनको

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कहा जाय कि वे खुद खड़े होकर सफाई कर दें।

श्री अध्यक्ष : आप उनको बाध्य क्यों कर रहे हैं ?

श्री अर्जुनदास : Let him say that he has not joined the Congress. He may give you the information, Sir.

श्री ज्वालाप्रसाद : On a point of order, Sir ......

श्री अर्जुनदास : If the Hon'ble Member has really joined Congress, he should better go there.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir, he has not joined the Congress.

श्री अध्यक्ष : I say Order ! Order !!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कांग्रेस विधान के बारे में......

(थपथपाहट)

श्री अर्जुनदास : Is it a point of information or is he lecturing ? let us know what is this ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ....

(थपथपाहट के कारण अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : Please state your point straight way.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि किसी के लिये यह कह देना कि वह कांग्रेस पार्टी का मेम्बर हो गया है इसलिये उनको उधर से उठा कर इधर बैठने के लिये कहा जाय, यह उचित नहीं है......

श्री अध्यक्ष : There is no point of order. Order ! Order !!

(फिर भी कुछ सदस्यों के खड़े हो जाने पर)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : (अश्रव्य)

(पुन: कुछ और सदस्यों के खड़े होने पर

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !! There is no point of order, please resume your seat.

श्री अर्जुनदास : The Hon'ble Member is not sitting down. It is contempt of the House. Sir, The Hon'ble Member should resume his seat.

श्री श्रीमानसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने सब मिशन किया था कि जो माननीय सदस्य के खिलाफ चार्ज लगाये गये हैं उसका वे एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो देने दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : अगर वे देना चाहेंगे तो उसकी व्यवस्था हो जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : कांग्रेस जोइन कर ली है या नहीं, इस बारे में तो कहें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : अगर वे एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे तो जरूर समय दिया जायगा।

श्री श्रीमानसिंह : जो चार्ज लगाये

(श्री श्रीमानसिंह)

गये हैं क्या वे सही हैं, इस बारे में तो कह दें ।

१२. ८ म० प०

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम मिर्धा :

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

(१) मोटर विहिकल्स रूल, १९५१ में संशोधन संबंधी गृह विभाग की विज्ञप्ति ।

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर विहिकल्स एक्ट, १९३९ की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत गृह विभाग की विज्ञप्ति संख्या डी ७७७७ । एफ. १।४।२० एच. बी. ५८ दिनांक १४ अक्टूबर, १९५८ को जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स रूल्स, १९५१ में संशोधन किया गया है, वह सदन की मेज पर रखता हूँ ।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन किया गया है और जो सदन की मेज पर रखा गया है, वह १४ अक्टूबर १९५८ का है और ४ अक्टूबर को आज करीब डेढ महीने का अर्सा हो गया । डेढ महीने के बाद माननीय मन्त्री महोदय उस विज्ञप्ति को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, इस बारे में कई बार प्रश्न उठाये गये कि जो भी अमेन्डमेन्ट किये जाते हैं वे तुरन्त ही विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने चाहिये । १४ अक्टूबर को संशोधन हो गया, उस नोटिफिकेशन को डेढ महीने का अर्सा निकल गया और आज वह विधान सभा के समक्ष रखा गया है । इस तरह की पहले भी कई बार आपत्ति की गई थी; इसलिये मेरा आप से निवेदन है कि आप मंत्री महोदय को यह आदेश दें कि भविष्य में इस प्रकार की बात नहीं होगी और जो कुछ हुआ है उसके लिये वे खेद प्रदर्शित करें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसके बाद यह पहला ही सेशन था और इसमें पेश कर दिया गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इमीजियेटली होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : पहले जितनी देरी होती थी उसमें काफी कमी हो गई है ।

(२) वित्त लेखा १९५६–५७ तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य का वित्त-लेखा १९५६–५७(१ अप्रेल से ३१ अक्टूबर, १९५६) तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूँ ।

(३) नेशनल प्रोजेक्टर्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन इत्यादि के संचालकों के वार्षिक प्रतिवेदन का उपस्थापन

अध्यक्ष महोदय, मैं नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, न्यू देहली, के संचालकों का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन तथा ९ जनवरी, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक के लेखों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूँ ।

१२. १० म. प.

विधेयकों का पुरःस्थापन

राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी (संशोधन) विधेयक, १६५८

(पुरःस्थापन)

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक।

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी (संशोधन) विधेयक, १६५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करता हूँ।

यह राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी अमेन्डमेंट बिल, १६५८ पुरःस्थापित करने की अनुमति किसलिये ली जा रही है इसका कारण स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीजन्स में लिखा हुआ है कि "According to Rajasthan Armed Constabulary Act, 1950, no administrative powers and control are vested in the Inspector General of Police or in Deputy Inspector General. It is considered desirable to make provision for the same. Further, the nomenclature 'a company of the constabulary' is not suitable............

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस संशोधन विधेयक के द्वारा जो संशोधन किया जा रहा है कि आर. ए. सी. को सीधा आई. जी. या डी. आई. जी. के अन्डर में, उनके कन्ट्रोल में सुपरविजन में और एडमिनिस्ट्रेशन में रख दिया जावे, मैं उसका विरोध करता हूँ।

इस तरह की व्यवस्था करने से शायद गृहमन्त्री महोदय की यह मंशा होगी कि जो राजस्थान में जन आन्दोलन हों और उनको काबू में लाने में, उनका सामना करने में, उनको दबाने में और उनको कुचल डालने में सरकार की पुलिस किसी भी प्रकार से असफल रहे तो इस कानून के मातहत आई. जी. या डी. आई. जी. आर. ए. सी. के जवानों को हुक्म दे दे कि तुरन्त चलो, यहां आओ, और जन-आन्दोलन को कुचल डालो, आम जनता पर लाठी चार्ज करो, प्रदर्शनकारियों पर डंडे बरसाओ, गोलियां चलाओ, अश्रु गैस छोड़ो और सारी स्थिति को तुरन्त काबू में कर डालो।

मैं निवेदन करूंगा कि शायद हो सकता है, पिछले दिनों में मिनिस्टर साहब को यह शिकायत यहां के पुलिस अधिकारियों से और पुलिस कर्मचारियों से रही हो कि उन्होंने यहां चलने वाले जन-आन्दोलन को और प्रदर्शन को कुचला नहीं, काबू में नहीं कर पाये, उनका यह कटु अनुभव रहा हो कि पुलिस के कर्मचारी करप्ट हों या कलेक्टर और एस. पी. आदि उच्च पुलिस अधिकारी करप्ट हों और शायद यह भी हो कि पिछले जन-आन्दोलन के अवसर पर जनता का दमन करने से यहां की पुलिस ने इन्कार कर दिया हो, लाठियां भी डाल दी हों और शायद उन्होंने अपनी लाठियां उठाने से इन्कार कर दिया हो और इसलिए संकट उत्पन्न हो गया हो उनके सामने कि किसी दिन ऐसा न हो कि जिससे इस पुलिस विभाग में कोई बहुत बड़ा असन्तोष फैल जावे, उनकी मिथ्या नीतियों के कारण से

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किसी दिन ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जावे कि फिर कभी भीड़ आ जावे और पुलिस कर्मचारी उनके सामने लाठियां डाल दें।

इसलिए शायद उन्होंने यह तजवीज निकाली है कि आर. ए. सी. के नौजवानों को, जिनको साल भर खूब खिलाया-पिलाया जाता है और इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि मौका आवे तो लम्बे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर में न जाकर आई. जी. या डी. आई.-जी. सीधे इस अधिकार में हों कि वे कमान्डेन्ट को, या असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट को हुक्म दे दें कि अपनी आर. ए. सी. की बटालियन को लेकर जौहरी बाजार में चले जाओ, अपने सिपाहियों को जौहरी बाजार में भेज दो, राजस्थान के किसी हिस्से में भेज दो जहां दस बीस हजार की भीड़ आ रही हो उस पर लाठी चार्ज करो। जो आज तक कानून की व्यवस्था थी, जो उसकी मंशा थी उसके अनुसार आई. जी. को आर. ए. सी. के लिये ऐसा कोई हुक्म नहीं था।

आई. जी., डी. आई. जी. या पुलिस का कोई भी सर्वोच्च अधिकारी उनको हुक्म नहीं दे सकता था कि तुम जाकर फलां जगह सत्याग्रहियों पर या प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करो, अश्रु गैस छोड़ो, गोलियां चलाओ, उन पर दमन और अनुशासन करो। परन्तु इस संशोधन के द्वारा वैसा कर दिया गया।

मैं निवेदन करूंगा कि इसके द्वारा आई. जी. और डी. आई. जी. महोदय को वे अधिकार मिल जावेंगे कि जब चाहें, जिस समय चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस सिलसिले में चाहें आर. ए. सी. के नौजवानों को वे हुक्म दे सकते हैं और इस प्रकार का काम उनसे करवा सकते हैं जो करना उनका काम नहीं है।

आज पुलिस कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त है। उनका अपने अधिकारियों से संघर्ष चल रहा है, वे अपने अधिकारों के लिये लड़ रहे हैं। हो सकता है इन तरीकों से उनके इस असन्तोष को दबाया जाय। पर असन्तोष को रोकने का यह तरीका नहीं है। उनके ग्रीवेन्सेज जो हैं उनको दूर करने की बात दूर रही, पुलिस की फोर्सेज को कन्सोलिडेट करने की बात दूर रही, जिन पुलिस अधिकारियों की अयोग्यता के कारण यह असन्तोष फैल रहा है उन अयोग्य अधिकारियों को दूर करने की बात दूर रही, वे उल्टे उन्हीं अयोग्य अधिकारियों के हाथों में आर.-ए. सी. के जवानों को सौंपने जा रहे हैं। शायद इसका कारण यह है कि गृह मंत्री महोदय के मन में यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि अगर यही हालत रही तो कहीं ऐसा न हो कि ये पुलिस कर्मचारी उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करना प्रारम्भ कर दें इसलिये आर. ए. सी. को उनके हाथों में देना जरूरी समझा गया। उन आर. ए. सी. के कमान्डेन्ट को, असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट को सबको आई. जी. और डी. आई. जी. के अन्डर में रखना चाहिये। मैं कहता हूँ कि अगर इस प्रकार की आशंका उनके मन में काम कर रही है तो यह अच्छे भविष्य की सूचक नहीं है।

इस प्रकार की सारी परिस्थितियों में एक बात और है कि आर. ए. सी. के नौजवान सिविक लाइफ से दूर रहते हैं। पुलिस में काम करनेवाले सिपाही, सब-इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर, एम. पी., डी. एस. पी., आई. जी., डी. आई. जी, जनता के साथ कुछ ज्यादा

Page No.37

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सम्पर्क में आते हैं, इस कारण उनके मनों में जनता के प्रति कुछ सद्भावना हो सकती है, नित्य सम्पर्क में रहने के कारण जनता के लोगों से वे परिचित हैं और इस कारण वे कभी डंडा उठावेंगे तो सिर देख कर उठावेंगे कि कौन मुलजिम है, कौन दोषी है और कौन निर्दोष है इसका थोड़ा बहुत ख्याल उनको हो सकता है पर जहां तक आर. ए. सी. वालों का सवाल है वे अन्धाधुन्ध जनता पर अपना रौब जमावेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, अश्रु गैस छोड़ेंगे और गोलियां चलावेंगे। उनका एक ही लक्ष्य रहेगा कि किसी तरह से जनता को कुचल दिया जाय, उनकी भावनाओं को समाप्त कर दिया जाय, उनके आन्दोलन को समाप्त कर दिया जाय।

मैं इन परिस्थितियों में निवेदन करूंगा कि अगर यह संशोधन इस एक्ट में कर दिया गया तो इसका मतलब यह होगा कि आप पुलिस और मिलिटरी दोनों के बीच की अवस्था का सेमी-मिलेटेन्ट रूल राजस्थान में लागू करना चाहते हैं।

अगर आप यही प्रगति चाहते हैं तो मिलिटरी अपने हाथ में ले लीजिये और जिसको जब जैसा आॅर्डर देना चाहें देते रहें।

कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं, कोई ऐसा संकट आ सकता है जिसमें सारे फोर्स को उपयोग करने की आवश्यकता राजस्थान सरकार को महसूस हो। पर सरकार यह संकट कहां समझती है? उसने इसका उपयोग पिछले दिनों में किया है। जयपुर में जन-आन्दोलन चला और उस अवसर पर इस सरकार ने टोपधारी आर. ए. सी. के नौजवानों को जयपुर में बुलाया था। उसने बोर्डर पर रह कर स्मगलिंग को रोका है या नहीं, किडनेपिंग और एब्डक्टिंग को रोका है या नहीं, बोर्डर पर होने वाले नाना प्रकार के अनैतिक व्यापारों को रोका है या नहीं, यह कोई नहीं कह सकता, सरकार भी नहीं कह सकती। जनता को इस में संशय है पर यह निश्चित है कि उन्होंने पूरे जन-आन्दोलन को कुचलने की कुचेष्टा अवश्य की है। इसका परिणाम क्या हुआ? पिछले दिनों सरकार ने यह महसूस किया कि इन जवानों की जरूरत है। आई. जी. ने हुक्म दिया। कमाडेन्ट ने कह दिया कि हम आपका हुक्म नहीं मानते। हम डाइरेक्टली आपके अन्डर में नहीं हैं। हम जन-आन्दोलनों को कुचलने के लिए नहीं हैं, हमारा यह काम नहीं है, उबलती हुई जन-भावनाओं को कुचलने के लिये नहीं हैं। इस प्रकार की मुसीबत पिछले वक्त इस सरकार के सामने आई है। राजस्थान सरकार ने इस स्थिति को सहा है और इससे फिर वह इस निर्णय पर पहुंची कि डाइरेक्टली इनको आई. जी. के अन्डर में दे दिया जाय और इसी का परिणाम यह संशोधन है जो हमारे सामने आया है।

जिस प्रकार की पुलिस विभाग की स्थिति है, जो उसका यहां स्टेन्डर्ड है उस प्रकार की परिस्थिति में इन पुलिस अधिकारियों के अधिकार में आर. ए. सी. के जवानों को देने का मतलब होगा कि राजस्थान सरकार यहां राजस्थान में सेमी-मिलिटेन्ट रूल स्थापित करना चाहती है। दूसरी ओर पुलिस में असन्तोष बढ़ रहा है उसको न दबा कर, उसके कारणों को दूर न करके, आप आज इन इनकॉम्पीटेन्ट पुलिस अधिकारियों के अन्डर में इन आर. ए. सी. के जवानों को देने जा रहे हैं और जिस नीति को सोच कर आप देने जा रहे हैं वह नीति इन इनकॉम्पी-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

टेन्ट अधिकारियों के कारण असफल रह जावेगी।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय इस संशोधन को वापिस ले लें। अभी समय है। आप राजस्थान में सेमी-मिलिटेन्ट रूल स्थापित न करें। नहीं तो इसके परिणाम आपकी नीति के लिये घातक होंगे। हमारे आई. जी. और दूसरे पुलिस अधिकारी इतने कॉम्पीटेंन्ट नहां हैं कि वे पुलिस फोर्सेज के बल पर जनता में शान्ति और सुरक्षा की स्थिति बनाये रख सकें। जब यह हालत है इन अधिकारियों की तो वे इन आर. ए. सी. के जवानों के बल पर भी क्या कर पावेंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इन नौजवानों को इन अधिकारियों के अन्डर में न दें। अगर नहीं लेते हैं और पुलिस का संकट उनके आंखों के सामने है तो मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह इसको अपनी अनुमति प्रदान न करे।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं.......

श्री अध्यक्ष : No more debate plesae.

श्री भैरोंसिंह : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, पर क्लॉज ६५ का जो प्रोविजो है, मैं उसके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश करूंगा कि जो बिल पेश किया जा रहा है वह लेजिस्लेटिव कॉम्पीटेन्सी के बाहर है।

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६५ का जो प्रोविजो है उसमें लिखा है कि Provided that when a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the Assembly, the Speaker may permit a full discussion there on.

श्री अध्यक्ष : आप बताइये, क्या ऑब्जेक्शन है।

श्री भैरोंसिंह : जिस कानून में यह संशोधन किया जा रहा है, वह कानून राजस्थान सरकार ने बनाया था 'राजस्थान आर्म्ड कान्सटेबुलेरी एक्ट (१२ वां) ऑफ १६५०'। सन् १६५० में इस प्रकार का कानून बना था। जब यह कानून बना, उस समय सरकार की ऐसी मन्शा थी कि जब मिलिट्री वगैरह को डिस्बैंड कर दिया है और हमारे राजस्थान और पाकिस्तान की सरहद मिलती है और सरहद की रक्षा करना जरूरी है। इसके लिए भारत सरकार यहां कोई मिलिट्री नहीं रख सकती। उस स्थिति में राजस्थान सरकार ने एक प्रकार की मिलिट्री जिसको राजस्थान आर्म्ड कॉन्सटेबुलेरी का नाम दिया कान्स्टीट्यूट की। इस सम्बन्ध में भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार के बीच में इस प्रकार की कई दिनों तक कोरस्पोन्डेन्स चलती रही कि जो सुरक्षा का प्रश्न है वह सुरक्षा का प्रश्न राजस्थान सरकार के अधीन एक विषय है या इसकी पूर्ण जिम्मेदारी भारत सरकार को लेनी चाहिए। भारत सरकार और राजस्थान सरकार की इस कॉरस्पोन्डेन्स के बावजूद भारत सरकार ने आर० ए० सी० के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार को कुछ फण्ड्स अलॉट किये और फण्ड्स अलॉट करने के साथ साथ यह व्यवस्था भी दी कि यह एक प्रकार से सेमी-मिलिट्री है और इसकी जिम्मेदारी सरहद की रक्षा करना है। क्योंकि सरहद की रक्षा करने का प्रश्न राज्य सरकार का नहीं है, यह

(श्री भैरोंसिंह)

प्रश्न भारत सरकार का है। भारत सरकार सरहद की रक्षा कर सकती है। राजस्थान की आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, वह मकसद केवल पाकिस्तान और भारत की सरहद है और उसके ऊपर जो इन्डिया के इन्टरेस्ट्स हैं उनकी सेफगार्ड कर सकें। आज उन इन्टरेस्ट्स से सम्बन्ध में, चाहे पहले सन् ५० में कोई एक्ट बनाया हुआ हो, लेकिन आज उस कानून में संशोधन किया जा रहा है। क्योंकि उस समय राजस्थान की कोई विधान सभा नहीं थी और न उस समय तक आम चुनाव हुए थे। ऐसी स्थिति में सरकार ने एक आरबीट्रेरिली ऐसा कानून बनाया। हो सकता है कि उस कानून का उस समय विरोध किसी ने न किया हो लेकिन जब आज हमारे राजस्थान की विधान सभा की स्थापना हो चुकी है, उसके चुनाव दुबारा भी हो गये हैं, उस स्थिति में, यदि इस प्रकार का कानून कोई पास किया जाये तो मैं समझता हूं हमारी विधान सभा को इस सम्बन्ध में न कानून बनाने का अधिकार है और न इस प्रकार का कानून जो पहले कभी बनाया हुआ है उसमें संशोधन करने का ही अधिकार है। सुरक्षा का प्रश्न भारत सरकार का है और भारत सरकार के डाइरेक्शन्स के अन्तर्गत और भारत सरकार के इस प्रकार के समय समय पर मिलनेवाले आदेशों के अन्तर्गत केवल काम कर सकते हैं बल्कि कोई भी सेमी-मिलिट्री राजस्थान के अन्दर चालू नहीं कर सकते, न उसकी स्थापना कर सकते हैं और यदि कोई स्थापना पहले हो भी गई है तो उसके सम्बन्ध में विधान सभा कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय के ऊपर राजस्थान विधान सभा को विचार करने का अधिकार नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस तरह की आशा नहीं करता था कि इस बिल को इस स्टेज पर अपोज़ किया जायेगा। लेकिन मेरे दिमाग में ख्याल आया कि एक बिल शायद प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन का बिल था उसके जवाब में इस तरह का करना मुनासिब समझा हो। खैर यह तो आपके सोचने की बात है........

श्री अर्जुनदास : आपके लिए नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसके लिए भी मैंने बताया कि पार्लियामेंट के कन्वेन्शन्स हैं....

श्री अर्जुनदास : आपके लिए तो कोई सोचने की बात होती ही नहीं है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री रामकिशोर व्यास : जो उस पर एतराज किये गये वे दो थे। सारांश यह है कि अगर आई० जी० पी० और डि० आई० जी० के मातहत आर० ए० सी० दे दी जाती है तो यह नामुनासिब है, वह चाहे जो कर सकते हैं, चाहे जो उसको हुक्म दे सकते हैं। दूसरा एतराज यह है कि यह लेजिस्लेटिव कॉम्पीटेन्स में नहीं है। पहले एतराज के लिए अर्ज करूं कि शायद दोस्तों को कुछ गलतफहमी है। वे शायद इस बात को जानते होंगे कि आज आर.ए.सी.पर कन्ट्रोल आई.जी. में ही वेस्ट है। आर. ए. सी. की सर्विसेज़, पुलिस सर्विसेज़ हैं, आई.पी.एस सर्विसेज हैं, उनके ट्रान्सफर्स, अपॉइन्टमेंट्स वही आई०जी० और डी आई० जी० करता है यह कोई नई बात नहीं है। हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट यही आई० जी० होता है, जिस प्रकार से सिविल पुलिस और आर्म्ड पुलिस में ट्रांसफर्स और अपाइन्टमेंट्स वगैरह होते हैं उसी के पैरेलल आई०जी०

(श्री रामकिशोर व्यास)

उसका सुपरविजन करता है। वही उनके डिसिप्लिन वगैरह को देखता है। लेकिन इसके लिऐ क्लीयरली एक्ट में मेन्शन नहीं था इसलिए इसको ज्यादा क्लियर करना मुनासिब समझा है। बाकी इसके अन्दर वही चीज चली आ रही है। आज भी आई०जी० ही सारा काम इसका करता है, वही ट्रांसफर्स, अपॉइन्टमेंट्स और वही डिसिप्लीनेरी एक्शन लेता है। इसलिए इसके जरिये से कोई नये अधिकार उनको दिये जा रहे हों, ऐसी बात नहीं है। आज जिन चीजों के बारे में एक्ट में ओमीशन है उसको क्लियर किया गया है।

दूसरी बात, जो, लेजिस्लेटिव कॉम्पीटेन्स के बारे में कही गई तो वह तो राजस्थान आर्म्ड कॉन्टेबुलेरी एक्ट राजस्थान का ही बनाया हुआ है और वह राजस्थान पर ही लागू होता है और यह कहना कि सुरक्षा का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यह ठीक नहीं है। जिस स्टेट की सरहद पाकिस्तान से मिलती है उसकी सुरक्षा का काम उसी स्टेट का है और उसके लिए खर्चा भी स्टेट ही करती है। आर्म्ड कॉन्स-टेबुलेरी का खर्चा तो राजस्थान गवर्नमेंट करती है। हां, सेन्ट्रल गवर्नमेंट कोई मदद करे वह दूसरी बात है। यह एक्ट तो राजस्थान में ही बनाया हुआ है। ....

श्री भैरोंसिंह : आर्म्ड कॉन्सटेबुलेरी को को मदद तो सेंटर से ही मिलती है।

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो सिविल साइड में भी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद लेती है।

श्री भैरोंसिंह : आर्म्ड कॉन्सटेबुलेरी के संबंध में भारत सरकार से कुछ फण्ड्स अलॉट हुए हैं और होते रहते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : वह रेग्यूलर नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : साल की साल आते हैं। रेग्यूलर कैसे नहीं हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : शुरू शुरू में ही दस पन्द्रह लाख के करीब मिले थे। वैसे सारा खर्चा राजस्थान गवर्नमेंट ही बर्दाश्त करती है। बोर्डर की हिफाजत करना राजस्थान स्टेट का ही काम है। इसलिए यह लेजिस्लेटिव कॉम्पीटेन्स में है। अगर आपको नाराजगी हो सकती है, एक्सप्लेनेशन का टाइम मिलना चाहिए और मिलेगा भी। लेकिन जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इसमें ऐसी बात नहीं है जो एग्जिक्यूटिव पावर्स हैं वही उनको दी जा रही हैं। इसलिए मैं आशा करूंगा कि जो एतराज हैं वह वापिस ले लें और इसको आगे बढायें।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जरा सा निवेदन और करना है। वह कान्सटीट्यूशन का ७ वां शिड्यूल है। इसमें एक तो यूनियन लिस्ट है और दूसरे स्टेट लिस्ट। एक लिस्ट है नम्बर १; उसमें लिखा है।

(1) Defence of India and every part thereof including preparation for defence and all such acts as may be conducive, in times of war, to its prosecution, and after its termination, to effective demobilisation.

(2) Naval, military and air force; any other armed forces of the Union.

तो इस प्रकार से थोड़ा सा डिस्प्यूटेड पॉइन्ट है। इसके लिए अगर यह एडवोकेट-जनरल, राजस्थान को रेफर कर दिया जाय

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तो अच्छा हो। It is a Constitutional point. माननीय मन्त्री महोदय ने यह बताया था कि अगर यह सन् ५० का एक्ट है तो वह तो H. H ने बताया था। अगर यह एक्ट किसी बकायदा लेजिस्लेचर के द्वारा पास होता तो कॉम्पटेन्स का सवाल खड़ा नहीं होता और क्योंकि यह उस समय बनाया गया था, इसलिए इसको एडवोकेट-जनरल को रेफर कर दिया जाये और इस पर उनकी राय आने के बाद कुछ अनुमति प्रदान की जाये, तो अच्छा रहेगा।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं थोड़ा सा सूचना के लिए अर्ज कर दूं। सन् ५० का यह एक्ट है और सन् ५० में राजस्थान बन चुका था। उस समय तक राजस्थान का फोर्मेशन हो चुका था इसलिए यह सवाल नहीं उठता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजप्रमुख ने बनाया।

श्री रामकिशोर व्यास : राजप्रमुख तो आज भी है।........

श्री अर्जुनदास : आपका कहना है कि उन्होंने उन दिनों में गलती की थी तो आज भी हम करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने यह आपत्ति उठाई है कि इस सदन को राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी अमेन्डमेन्ट बिल, १६५१ पर विचार करने का अधिकार नहीं हैं। उन्होंने वैधानिक आपत्ति इस बात की उठाई है और दूसरे माननीय सदस्य ने विधान की धारा पढ़कर बताई कि यह आर्म्ड फोर्स होने के नाते यूनियन लिस्ट में आती है। इसलिए इस विधान सभा में इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार, यूनियन गवर्नमेन्ट राज्यसरकार को चूंकि इसके लिए मदद देती है उस दृष्टिकोण से भी और यह एक यूनियन लिस्ट का विषय बन जाता है। मेरे ध्यान में, जो आपत्ति उठाई गई है निराधार है और राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी एक सिविल फोर्स की तरह है, जो कि राज्य सरकार ने ही शुरू की और महज़ इस बात पर कि भारत सरकार ने उनको कोई सहायता दी है या कोई अनुदान दिया है। अगर इस विषय को यूनियन लिस्ट में मानें तो बहुत विषम परिस्थिति पैदा हो जायेगी। इसलिए जो आपत्ति उठाई गई है उसको मैं स्वीकार नहीं करता और जो प्रस्ताव सदन के समक्ष है उस पर मत देना होगा।

प्रश्न यह कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान गई की।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

१२. ३० म० प०

'राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उन्मूलन विधेयक, १६५८

(अग्रेतर विचार–विमर्श)

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ ४।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा

(अनुपस्थित)

Page No.42

जारी   निरन्तर

(श्री अध्यक्ष)

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीभानसिंह

"Add a proviso to sud-clause (4) as follows:-

'Provided that the khudkasht land is not let or sub-let to tenants or sub-tenants.'

लिस्ट नं० २ सीरियल नं० १९

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष क्लॉज़ ४ में है consequences of abolition और हम क्लॉज़ को देखें तो उसमें है :

"...... (1) After the issue of a notification under sub-section (1) of section 3, no right shall be acquired in or over any and in an estete affected thereby except by succession or under a grant or contract in writing made or entered into by or on behalf of the State Government and no fresh clearings for cultivation or for any other purpose shall be made in such land by or on behalf of the holder of such estate otherwise than in accordance with rules made by State Government in this behalf."

मेरा इसमें यह है......

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ ४ है, Notwithstanding anything contained in sub-section (2) the Zamindar or Biswedar shall, subject... .....

श्री श्रीभानसिंह : सब क्लॉज़ ४ में है।

श्री अध्यक्ष : जी हां। सब-क्लॉज़ ४ में है ।

श्री श्रीभानसिंह : बाकी क्लॉज़ में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जी नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : सब क्लॉज़ (४) में रखा है : "Notwithstanding anything contained in sub-section (2) the Zamindar or Biswedar shall, subject to the provisions or Section 28, continue to retain the possession of his khudkasht, recorded as such in the annual registers before the date of vesting.

इसमें यह प्रोविज़ो जुड़वाया है, Provided that the khudkasht land is not let or sub-let to tenants or sub-tenants,

माननीय अध्यक्ष, इसमें जो प्रोविज़न किया गया है वह जमींदारी और बिस्वेदारी की खुदकाश्त लैण्ड है, उसके लिए किया है। जमींदारी एबॉलिशन का जो इतिहास है हमें उसको उस समय से देखना पड़ेगा जब कि सबसे पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने जमींदारी एबॉलिशन एन्क्वायरी कमेटी बैठाई थी, और तब से जो एन्क्वायरी कमेटी सन् ५० या ५१ में बैठी थी आज सन् १९५८ में जाकर राजस्थान सरकार ने इस विधेयक को राजस्थान विधान सभा में रखा तो इतना समय गुजर जाने के बाद हम देखें कि जितने भी या जो वहां इन्ट्रेस्टेड थे या जिन्हें जमींदार या बिस्वेदार कहें उन लोगों को पहले से यह मालूम पड़ गया था कि कांग्रेस गवर्नमेंट या कांग्रेस पार्टी की यह घोषित नीति है कि जितने भी इन्टरमीजियरीज़ हैं, उन सब को एबॉलिश कर

Page No.43

(श्री श्रीभानसिंह)

देना है, तो तभी से जो वहां पर इन्ट्रेस्टेड थे या लैण्डलॉर्ड्स थे वे तभी से इस प्रयत्न में थे और उन्होंने अपने टिनेन्ट्स को, बहुत को, इजेक्ट कर दिया और मास इजेक्टमेंट की कार्यवाही उन्होंने अपने यहां की और उस जमीन को अपनी खुदकाश्त लैण्ड में दर्ज करा लिया पटवारी के रिकार्ड में । बहुत सी जगह जहां पर कि सर्वे और सैटिलमेंट नहीं हुआ था वहां पर तो जो रिकॉर्ड्स वगैरह थे वह सब जमींदारों के आधीन ही थे, और उन्होंने जिस तरह से रिकॉर्ड्स को अपने फेवर में चेन्ज किया वह शायद इस सदन से छिपा हुआ नहीं है । मगर जब हम लैण्ड रिफॉर्म्स का कोई कानून बनाते हैं और जब हमारी घोषित नीति यह है कि राजस्थान के अन्दर जो काश्तकार होगा उसी के हक में जमीन होगी यानी tillers of the soil shall be owners of the land. इस स्लोगन से हमने काम शुरू किया था, और यह जमींदारी एबॉलिशन बिल जो इस विधान सभा में ला रहे हैं, यह इसी मकसद से ला रहे हैं । मगर यह जो मकसद है उस मकसद को हम ऐसे एस्केप कॉलेज़ेज़ में रख देते हैं, जिसके जरिये से जिनको एक्चुअल टिलर्स या कल्टीवेटर्स कहते हैं वे जमीन के मालिक नहीं होते हैं, मगर मालिक वही होते हैं जिन मालिकों को हम इन्टरमीजियेरीज कहते हैं, और जिनको हटाने का प्रयत्न करते हैं । जब ऐसे क्लॉज़ रख देते हैं तो हमारे लैण्ड रिफॉर्म्स की जो प्रगति होनी चाहिए वह रुक जाती है और आज हम जिनको फायदा देना चाहते हैं या बेनिफिट जिन वर्गों को देना चाहते हैं उन वर्गों को बेनिफिट नहीं मिलता है । तब जैसा कि मैंने बतलाया कि जमींदार और बिस्वेदार लोगों ने अपनी खुद काश्त की लैण्ड इतनी ले ली कि उसमें जो सब टिनेन्ट्स हैं वे सब-टिनेन्ट्स आज भी हमारे में विद्यमान हैं, यानी जिस फ्यूडल ऑर्डर को, जिस क्लास को हम लैण्ड से रिमूव करना चाहते थे उस क्लास को रिहेबिलिटेट कर दें (रिहेबिलिटेट कैसे करते हैं) जिससे कि सरकार और काश्तकार के बीच में कोई ऐसे इन्टरमीजियेरीज़ नहीं हो जो कि एक्स्प्लॉयट करें । यानी अब जो खुदकाश्त लैण्ड है उस पर सब-टिनेन्सी प्रेस्काइब्ड नहीं करते हैं, और सब-टिनेन्सी का क्या मतलब होता है ? रेन्ट केश या काइन्ड के अन्दर खुदकाश्त ओनर लेता है और जो लैण्ड रेवेन्यू पे करता है, वह वही है और वह लैण्ड रेवेन्यू सरकार को पे करता है वह जो प्रोवाइडेड है । वह एक्स्प्लॉयट करता है । जो कुछ सब-टिनेन्ट कमाता है खुदकाश्त (ओनर) वह ले लेता है और लैण्ड रेवेन्यू है वह सरकार को पे कर देता है । जिन इन्टरमीजियेरीज़ या जिन मध्यस्थों को हम हटाना चाहते हैं वे बदस्तूर वहीं के वहीं ही रहें । सरकार और काश्तकार का जो डाइरेक्ट रिलेशन चाहते थे वह डाइरेक्ट रिलेशन नहीं हुआ । मगर सरकार और काश्तकार के बीच में इन्टरमीजियेरीज़ वही जमींदार रहें । जमींदार ने अपनी खुदकाश्त के अन्दर जितनी अच्छी अच्छी जमीन थी ले ली । किसी के पास ५०० बीघा है, किसी के पास हजार बीघा है । हम देखते हैं कि इतनी जमीन को वे पर्सनली कल्टीवेट नहीं कर सकते है । वह जरूर उसको लैट व सबलैट करते हैं । सबलैट नहीं तो शेयर क्रापिंग करते हैं । हर तरह से जिन चीजों को टिनेन्सी एक्ट के द्वारा खत्म करना चाहते थे वही चीज बदस्तूर मौजूद हैं, तो फिर लैण्ड पजेशन में क्यों न पूरी खुदकाश्त लैण्ड डिक्लेअर कर दें । जब सरकार ने कहा था जब कि होल्डिंग का एस्सेमेंट कर रही थी सरकार ने सब से बड़ी खामी इस

(श्री शोभानसिंह)

बिल में रखी थी उसने यह नहीं देखा कि जो खुदकाश्त दर्ज है, किसी की एक हजार बीघा, किसी की ५०० बीघा । राजस्थान के अन्दर है तो ५०० बीघा की होल्डिंग पर जमींदार या जागीरदार किस तरह से काश्त करता है । जो अगर हम यह देख लेते तो यह समस्या हमारे सामने नहीं आती, सब-टिनेन्ट्स की । अब यहां पर हम एक प्रोब्लम क्रिएट करते हैं सब-टिनेन्ट्स के लिये । उसका सोल्युशन क्या लायेंगे कि सब-टिनेन्ट्स मुआवजा देकर खातेदारी राइट एक्वायर करें, तो मैं कहता हूं कि यह प्रोब्लम हमारे द्वारा क्रिएट की गई है । एक तरफ तो जिसके पास खुदकाश्त की जमीन नहीं है और वहां का जो टिनेन्ट है उसको कम्पेअर करेंगे और दूसरी तरफ जिनको खातेदारी राइट दिये हैं उनको कम्पेअर करेंगे तो उनमें वास्ट डिफरेंस मिलेगा। इससे तो सब-टिनेन्ट्स की पोजिशन लीगेलाइज हो जायगी या इस लेजिस्लेशन की वजह से एक तरफ तो कहते हैं कि टिनेन्ट्स हैं उनके खातेदारी राइट्स हो जायेंगे और वह टिलर ऑफ दी सोइल हो जायगा और दूसरी ओर वह खुदकाश्त की जमीन का टिनेन्ट ही कॉन्टिन्यु रहेगा । जिस तरह से पहले वह एक्सप्लोइट होता रहा है उसी तरह से एक्सप्लोइट होता रहेगा, वह सब-टिनेन्ट ही मौजूद रहेगा और उसकी पोजिसन को लीगेलाइज़ कर दिया जायगा इस कानून के जरिये से । और फिर क्या रहेगा, फिर दुबारा लेजिस्लेशन आयेगा कि यह प्रोविजन करो कि जो जमीन का खुदकाश्त टिनेन्ट है वह खातेदारी राइट एक्वायर करे इतना मल्टीपल पे करके; यह चीज सिद्धान्त के विरुद्ध है । जिसकी खुदकाश्त दर्ज है उसमें हम यह देखना चाहते हैं कि वह ओटोमेटिकली दर्ज हो । आखिर कितनी दर्ज हो । जो अगर सारी जमींदारी या अपनी जमींदारी का आधा हिस्सा उसने खुदकाश्त में दर्ज करा दिया और उसको खुदकाश्त डिक्लेअर करना पड़ेगा तो कानून बनाने से पहले देखते कि जमींदारी का कितना हिस्सा खुदकाश्त में दर्ज करा दिया है । भरतपुर, झुन्झुनूं, गंगानगर, अलवर वगैरह में ही तो जमींदार हैं । यदि आप, उनका अच्छी तरह से राइट लाइन्स पर सेन्सन कराते, फिगर्स कलेक्ट करते और उनको दूसरी बातों से कोइन्साइड करके फैसला करते तो हमारे सामने खुदकाश्त की प्रोब्लम नहीं आती और सब टिनेन्ट्स क्रिएट करने की नौबत नहीं आती । जागीरदारी एबोलिशन एक्ट में आपने यह प्रोविजन रखा था और उसमें दिक्कत आई । हर दफा उसमें अमेंडमेन्ट लाना पड़ा और आखिर में यह अमेंडमेंट लाये कि जो खुदकाश्त टिनेन्ट्स थे उनको खातेदारी राइट देने के लिये उससे मल्टीपल दिलाना पड़ा, कंपेनसेशन के तौर पर । यही आखिर में इसमें करना पड़ेगा । इस तरह से आप उन पर दुगुना भार डालना चाहते हैं । एक तरफ तो कंपेनसेशन पे करें और दूसरी तरफ खातेदारी राइट्स को एक्वायर करने के लिये बीस गुना या तीस गुना पे करें । इसलिये मैंने यह रखा है कि जो खुदकाश्त की लैंड पर Provided that the khudkasht land is not Let or sub-let to the tenants or sub-tenants.

यह जैसा कि खुदकाश्त लैंड पर अब तक खुदकाश्त दर्ज है उसे जरूर दर्ज करें। लेकिन अगर वह उस पर काश्त नहीं कर रहा है और सब-लैट कर रहा है या लैट कर रहा है तो उस पर उस जमींदार का राइट नहीं होना चाहिये, क्योंकि उसने उस जमीन पर राइट ऑफ कल्टीवेशन एक्सर्साइज़ नहीं किया तो हम किस चीज को लीगेलाइज या वेलीडेट करने जा रहे हैं, हम किस चीज

Page No.45

(श्री श्रीमानसिंह)

को वेलिडेट करना चाहते हैं ? क्या उसी चीज को तो नहीं कि जिसने एक्सप्लोइट किया है वह आगे भी एक्सप्लोइट करता रहे ? यदि हम जमीन टिलर्स ऑफ दी सोइल को देना चाहते हैं तो इसे लीगेलाइज़ करने से फायदा क्या होगा ? जिस ऐम को हम एचीव करना चाहते हैं उसे यदि एचीव नहीं कर सकेंगे तो ऐसा करने से फायदा क्या है ? मैं अगर सब-टिनेन्ट हूँ तो मेरा विश्वास इसमें नहीं रहेगा। यदि आप लेजिस्लेशन, मेरी हालत को सुधारने के लिये लाते हैं तो इससे मेरी हालत सुधरती नहीं है। जब यहां का सब-टिनेन्ट उसी जगह के खातेदारी राइट वाले टिनेन्ट को देखता है तो वह दोनों में वास्ट डिफरेन्स पाता है, इसमें डिवेज़न हो जाता है। एक तो यह है कि यह तो सब-टिनेन्ट है और दूसरा खुदकाश्त टिनेन्ट है तो दोनों में कितना डिस्क्रिमिनेशन होगा। एक हायर प्लेस पर होगा और दूसरा लोअर प्लेस पर हो जायगा। क्या उसने कोई गुनाह किया था जिसके कारण उसको जमीन को जमींदार को खुदकाश्त में दर्ज कर लिया ? क्या ऐसा दर्ज करने में उस सब-टिनेन्ट की गलती थी या जिस में टिनेन्ट कहता हूं उसकी इसमें कुछ गलती थी; कि आपके पटवारी ने किसी तरह से, इन्फ्लुएन्स में आकर जमींदार की खुदकाश्त में दर्ज कर ली ? इसमें उस किसान की गलती नहीं है तो फिर जिसकी गलती नहीं है वह क्यों सफर करे ? लेजिस्लेशन जब हम बनाने जा रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि जो जमीन उसकी खुदकाश्त की है और जो लेट और सब-लेट नहीं की गई है उसी जमीन को आप उस जमींदार की प्रोपर्टी मान सकते हैं। लेकिन जो लैट और सब-लैट हो चुकी है उस पर उसका क्या क्लेम है और उस पर उसने क्या इन्वेस्टमेन्ट किया है ? यहां हम यह आर्ग्युमेन्ट दें कि उसने इन्वेस्टमेन्ट किया होगा या उसने बैलों से या और किसी से मदद की होगी। आर्ग्युमेन्ट रखा है कि जो फंक्शनलैस इन्टरमीडियेटरी है उसको हम रूरल सील से अलग करना चाहते हैं। लेकिन हम यह नहीं चाहते कि वह फंक्शनलैस इन्टरमीडियेट एक्सप्लोट करना कॉन्टिन्यु करें। यदि हम यह कोशिश करते हैं कि किसी तरह से जब खुदकाश्त डिक्लेयर की है, ठीक है वह लीगेलाइज़ पेपर में हो गई, लेकिन पोर्शन ऑफ दी लैंड, जो कि खुदकाश्त में ली है उसे देखते, रेवन्यू ऑफिसर्स के पास भेजते और उनसे पूछते कि कौन सी जमीन उसके खुदकाश्त की है। यह तभी होता जब कि ओनरशिप का क्राइटेरिया नहीं रहता। हर एक जगह ओनरशिप का क्राइटेरिया रखा है उसे आपको हटाना पड़ेगा और लैंड का क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा, पर्सनल कल्टीवेशन का रखना पड़ेगा। यदि आप पर्सनल कल्टीवेशन का क्राइटेरिया, तो खुदकाश्त टिनेन्ट एंड हिकमी ऑफ खुदकाश्त एंड वाट नोट ? इसकी जरूरत नहीं पड़ती इसलिये कि सब-टिनेन्ट की पोज़िशन क्लीयर है और जो लेट आउट लैंड है उस पर जमींदार या बिस्वेदार का हक नहीं है, इसलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आपका संशोधन है क्या ?

श्री दयाकृष्ण विजय : जी हां।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : धारा ४ के अन्दर उपधारा (५) के पार्ट (बी) में मैंने जो संशोधन मूव किया है वह इस प्रकार है :

(श्री दयाकृष्ण विजय)

"Add the following in sub-clause (5), part (b) after the words 'khudkasht land' :—

"In case he produces a certificate of the concerning Gram Ppanchyat regarding that utilisation".

प्रश्न यहां पर यह है कि जब जमींदारी एबोलिशन होगा तब सरकार उस रकम को रेमिट करेगी जो रकम उन्होंने स्टेट गवर्नमेन्ट से लेकर अपनी जमींदारी पर खर्च की है। मैंने इसमें इस बात को बढ़ाना चाहा है कि जो कुछ भी खर्चा उसने अपनी एस्टेट पर किया है, आया वह खर्चा हुआ है या नहीं इस बात का प्रमाण-पत्र वहां की स्थानीय ग्राम पंचायत दे। वैसे तो इसका तरीका स्ट्रिक्ट होना चाहिये था, क्योंकि उसने स्टेट गवर्नमेन्ट से रकम ली है लोन के तौर पर, वह सब उसने जमीन पर ही खर्च की है या नहीं, अगर उसने इन्जीनियरिंग वर्क कराया है तो उसका प्रमाण-पत्र इन्जीनियर से लेना चाहिये या तहसीलदार से लेना चाहिये। लेकिन मैंने यह रखा है कि यदि ग्राम पंचायत यह प्रमाणित कर दे कि लोन के तौर पर उसने जो रकम ली हैं उसका सदुपयोग हुआ है और वह जमीन पर मौजूद है, यह प्रूव हो जावे तो जमींदारी खत्म होने पर उसे वापिस रेमिट करने के लिये हमारी सरकार लाइबल होगी। बिना इसके नहीं बंधेगी। ऐसा न करके यह रख देना कि जो लोन उसने सरकार से लिया है और खर्च किया है उसको रेमिट करने के लिये सरकार जिम्मेदार होगी, मैं समझता हूं इस प्रकार का प्रोविजन आप रखते हैं तो इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा क्यों कि उसके पास प्रूफ नहीं है कि जो कुछ उसने लोन लिया है उसे खर्च करने का जो ब्यौरा उसने दिया है वह सही है। इस प्रकार के ब्यौरे के सही होने की जब तक गारन्टी नहीं होती है तब तक स्टेट गवर्नमेंन्ट लाइबल नहीं रह जाती है कि जो लोन उसने लिया है और खर्च कर दिया है उसे रेमिट किया जाय। केवल आपका कहना पर्याप्त है कि सारा पेमेन्ट करेंगे इसलिये मैंने इस भावना से संशोधन रखा है कि ग्राम पंचायत इसको तस्दीक करदे कि जो लोन लिया था बिस्वेदार या जमींदार ने, वह जमीन के इम्प्रूवमेंट के लिये खर्च हुआ है, तभी वह रेमिट किया जावेगा। बिना इसके स्टेट गवर्नमेन्ट अपने ऊपर लाइबेलिटी ले तो यह न्याय की बात नहीं होगी बल्कि जैसा मैंने निवेदन किया इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। वे जो चाहेंगे, वैसे मनमानी करेंगे। इसी तरह से जब जागीरदारी एबॉलिशन हुआ, और जागीरदारों के कम्पेन्सेशन के फार्म भर गये और गलत आंकड़े भरे गये; इस प्रकार के उदाहरण दिये जा सकते हैं। इन्हीं बातों के कारण कम्पेन्सेशन के फार्म या दरख्वास्त दी, वे फार्म आज तक पेन्डिंग पड़े हुए हैं, किन्हीं की जांच हो रही है, किन्हीं में काट-छांट हो रहा है; बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं मैं चाहता हूँ वे मुकदमें न चलें और उनके केस लटके न रहें और इस बात का प्रमाण मिल जाय कि कितनी रकम ली है, कितनी रेमिट करनी है, स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी रकम का पूरा विवरण मिल जाय, ऐसा विवरण इन्जीनियर, तहसीलदार व ग्राम पंचायत से मिल सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि इस क्लॉज् ५, पार्ट बी में इस प्रकार की बात को बढ़ावें।

इससे पहले कि मैं और कुछ निवेदन करूं, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ, उसका कारण यह है कि खुदकाश्त

(श्री दयाकृष्ण विजय)

की जमीन पर आपने जमींदार और बिस्वेदार को राइट दिया है। लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं कि वे खुदकाश्त की जमीन पर काश्त नहीं करते हैं, खुद टिलर नहीं हैं और उस पर टिनेन्ट काश्त करते हैं.. लेकिन जो टिनेन्ट हैं वे उसके मालिक नहीं, हैं, उनको सिर्फ बैल दे दिये, उनको हल दे दिये और उसके आधार पर जो लोग काश्त कर रहे हैं, उन लोगों को इस प्रकार की जमीन का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए जो संशोधन मूव किया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। इसका कारण एक यह भी है कि सरकार का घोषित प्रिन्सिपल रहा है, पंचवर्षीय योजना में इस बात को स्वीकार किया है कि सरकार और टिलर के बीच में किसी प्रकार के मध्यस्थ को स्वीकार नहीं किया जायगा। इस प्रकार के घोषित प्रिन्सिपल पर विचार करते हैं तो यह निश्चित हो जाता है कि जो खुदकाश्त की जमीन है, जो उस जमीन के मालिक हैं, उन्होंने खुदकाश्त जमीन औरों को सब-लैट कर रखी है, टिजिन नेन्ट के पास जमीन है, शिकमी काश्तकार के पास जमीन है, आसामी के पास है, उनको जमीन का अधिकार दिया जाना चाहिए। जो सब लैटी करने वाला या शिकमी काश्तकार है, उसको अधिकार दिया जाना चाहिए। ऐसी जमीन को जमींदार और बिस्वेदार के हाथ में नहीं देना चाहिए, बल्कि उस आदमी को दे जिसको टिनेन्सी एक्ट के मातहत पॉवर्स दी गई है कि खातेदारी राइट एक्वायर कर लें। यह बात रहते हुए, मैं संशोधन का समर्थन करता हूँ जो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष, मैं ने जो संशोधन रखा है वह यह है कि क्लॉज पांच में जो (बी) सब-क्लॉज है, उसको डिलीट कर दिया जाय :

(5) Nothing contained in this section shall;-... ..

(b) preclude the State Government from remitting wholly or in part any loans advanced by the State Government to the Zamindar or Biswedar and utilised by the latter for the economic or agricultural development of his estate other than his khudkasht land, or, यह हमारी नीति है, हमारा सिद्धान्त है और हम इस सिद्धान्त को इस दृष्टि से देखते हैं कि इस आर्थिक युग में एक क्रान्ति लाना चाहते हैं और हम चाहते हैं मालिकयत को खत्म कर दें। आपने अपने इस एक्ट में साफ लिखा है कि हम मालिक की मालिकयत को खत्म करना चाहते हैं और काश्तकारों को जमीन देना चाहते हैं, उसको मालिक बनाना चाहते हैं, आपका मध्यस्थ को खत्म करने का मकसद और उद्देश्य यह है कि हमारे यहां गरीब और अमीर के बीच में जो खाई बनी हुई है, गरीब और अमीर के बीच में जो अन्तर है, उस अन्तर को हम मिटाना चाहते हैं। लेकिन मुझे मालूम होता है कि आपने बी क्लॉज जो रखा है, वह ऐसा क्लॉज रखा है जिसमें गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया है, सरकार को यह अधिकार दिया गया है, इस अधिकार को देने में कोई बन्दिश न हो, रेस्ट्रिक्शन न हो, उस पर कोई पाबन्दी न हो, ऐसी सरकार को छूट दी गई है। वह किसी भी जमींदार और बिस्वेदार, जिसने चाहे २० साल पहले, १० साल पहले पांच साल पहले चाहे कभी भी किसी स्थिति में उसने जमीन की किसी प्रकार उन्नति की हो, किसी तरह से उसे उन्नत किया हो, तो उसके लिए उसने

Page No.48

(श्री मूलचन्द डागा)

सरकार से जो लोन लिया है, उस काम के लिए, उस लोन को माफ कर दिया जायगा। चाहे आप थोड़ा माफ कर दें, पूरा माफ कर दें, कुछ भी न लें। यह सिद्धान्त इस बी क्लॉज को पढ़ने के बाद मालूम होगा। हमारी पंचवर्षीय योजना है, उसमें एक सिद्धान्त दिया गया है कि आर्थिक आधार पर जो खाई मनुष्य मनुष्य के बीच में है उस खाई की जो गहराई है, जो अन्तर है उसको कम करना चाहते हैं। आर्थिक दृष्टि से। लेकिन एक तरफ जमींदार या बिस्वेदार ने सरकार से लोन ले लिया और लोन लेकर उस जमीन को कुछ थोड़े समय के लिए उन्नत बनाया, और उन्नत जमीन से लाभ लिया, उस लोन के रुपये को माफ करने के लिए आज सरकार को अधिकार मिलता है कि सरकार चाहे, तो उसने जो लोन लिया है सरकार से; जिसकी उसने जमानत दी है, सरकार के पास से रकम उठाई है, अगर सरकार चाहे तो, उसे माफ कर सकती है। आपका उद्देश्य क्या था? आपने इस बिल को पेश करते समय कहा था कि हम मध्यस्थ को खत्म करना चाहते हैं, आपका मतलब क्या है; मध्यस्थ को खत्म करने का? इसलिए हम गरीब को ऊंचा बनाना चाहते हैं, और जो धनवान् ऊंचे बैठे हैं, पूंजीपति हैं, जागीरदार हैं, उनको हल्के हल्के नीचे लाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि उन्होंने लोन लिये हैं सरकार से, उसको हम माफ कर देंगे किस कारण से यह नहीं लिखा है, कानून में। इसके साथ ही कब का लोन है, किस समय का लोन है, चाहे वह कह दें कि १० साल पहले ट्रैक्टर खरीदा है जमीन की उन्नति के लिए, कूए को बनाने के लिए लोन दिया गया है लेकिन उसने काश्तकार से कितना हासिल वसूल किया है, लेकिन सरकार ने कह दिया : "Nothing contained in this section shall......

(b) preclude the State Government from remitting wholly' और यह भी पार्ट का सवाल नहीं है, $\frac{1}{10}$ का, $\frac{1}{20}$ का सवाल नहीं है, पूरा का पूरा चाहे, तो सरकार माफ कर सकती है और उसके लिए सरकार ने किसको पॉवर्स दे रखी है, कलेक्टर साहब को पावर्स दी हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई शख्स लोन लेता है, आज की तारीख में और आज की तारीख में लोन लेकर रुपया लगाता है, और कहता है कि मैंने इतना रुपया लगा दिया है तो सारा का सारा डिस्क्रिशन सरकार को दे दिया गया है, सरकार चाहे तो जमींदार और बिस्वेदार से कोई रकम वसूल न करे, लेकिन जो काश्तकार हैं, जो गरीब किसान हैं और गैर खातेदार हैं, उसको लोन देते हैं तो दूसरे साल उसे जमीन से वंचित करते हैं। क्योंकि वह खातेदार नहीं है, गैर खातेदार हैं। तो वह उस जमीन पर, जिस जमीन पर वह गैर खातेदार है, अपनी रकम, अपनी दौलत लगाता है, लेकिन उसे आप मुआवजा नहीं देते। इसके साथ ही आपने जमींदारी और बिस्वेदारी एबॉलिशन करते समय यह ऐलान किया कि हम उन लोगों को मुक्त करना चाहते हैं जिन्होंने सरकार से लोन लिया है। आपने एक क्लॉज में दिया है कि अगर कोई कर्जा होगा तो किसान जिम्मेदार होगा और दूसरे क्लॉज में दे दिया है कि अगर कोई कर्जा लिया है, कितना, किसने १० हजार रु० लिया हुआ है और १५ हजार रुपया लिया है, ८ हजार रु० लिया है यह नहीं किया कि जो कर्जा लिया है, उसको जिस समय हम मुआवजा देंगे, उस समय उसमें से कम कर देंगे। यह सवाल नहीं है कि सारे के सारे कर्जे को माफ कर देते हैं। इस ओर मैंने ध्यान दिलाया है और मुझे

Page No.49

(श्री मूलचन्द डागा)

आशा है कि इस पर माननीय मंत्री महोदय विचार करेंगे कि आप सारे के सारे लोन को माफ कर देना चाहते हैं, यह जो सिद्धान्त हमारे सामने है, जिस सिद्धान्त से हमने इस बिल को पेश किया है, उस सिद्धान्त के विरुद्ध है, उस विचारधारा के विरुद्ध है, आपका जो एलान है, समाजवाद का सिद्धान्त है, यह उसके विरुद्ध है। मैं चाहता हूँ कि इस क्लॉज़ को डिलीट किया जाय।

श्री अध्यक्ष : (श्री राजस्व मंत्री को संकेत करते हुए) इस तरह का जागीरदार एबॉलिशन एक्ट में भी है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): जी हां।

('यस', 'यस' की आवाज)

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

१ म० प०

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज चार में मेरे दो अमेंडमेंट हैं। एक है सब क्लॉज १ में, वह इस प्रकार है :

"In sub-clause (1) the words "and no fresh clearings for cultivation or for any other purpose shall be made in such land by or on behalf of the holder of such estate otherwise than in accordance with rules made by the State Government in this behalf" be deleted."

दूसरा अमेंडमेंट है मेरा सब-क्लॉज ५ में

श्री अध्यक्ष : I don't think.

श्री पी० के चौधरी : Yes Sir. In sub-clause (5) that the part (b) deleted.

अध्यक्ष महोदय, मैंने सब क्लॉज वन (one) में जो अमेंडमेंट मूव किया है इस लिये किया है, कि यह जो क्लॉज है :

"and no fresh clearingf for cultivation or for any other purpose shall be made in such land by or on behalf of the holder of such estate otherise than in accordance with Rules made by the state Government in this behalf."

मैं इस क्लॉज को रखने की कोई जरूरत महसूस नहीं करता हूँ। क्योंकि इस के सिवाय भी दूसरी है, sub-clause (5), part (b) may be deleted.

मैं डिलीट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि एग्रीकल्चर पर्जप के लिये कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, चाहे किसी जमींदार के अन्डर में है या किसी और के अन्डर में हैं, राजस्थान की एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी प्रोब्लम है कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, उसको एग्रीकल्चर के अन्डर में लाना मैं सबसे बड़ी प्रोब्लम समझता हूं। हालांकि काफी लैंड रिफार्म्स के कानून पास किये हैं, टिनेन्सी एक्ट पास किया, सीलिंग पास कर रहे हैं पर सबसे बड़ी प्रोब्लम हमारी यह है, राजस्थान में टोटल कल्चरेबल लैंड ६ करोड़ एकड़ एप्रोक्सीमेटली है उसमें से ५० पर्सेन्ट कल्चरेबल है पर वेस्ट पड़ी है, वह फिफ्टी पर्सेन्ट लैंड वेस्ट पड़ी है, उसको काश्त के काबिल बनाना, फूड प्रोडक्शन की दृष्टि से सबसे बड़ी प्रोब्लम समझता हूँ। आज लैंड-लैस लेबर्स की भी प्रोब्लम है, सिर्फ लेजिस्लेशन पास करके इसको हल कर लेंगे ऐसा नहीं। आज वेस्ट लैंड को कल्चरेबल बनाने के लिये १० लाख रुपया पंचवर्षीय योजना में

[श्री पी० के० चौधरी]

रखा है, इसलिये एक तरफ तो वह लैंड बड़ी ही फर्टाइल लैंड है क्योंकि सैकड़ों वर्षों से पड़ी हुई है, उसको काश्त के काम में लेने की न तो हमारी स्टेट की तरफ से कोई कोशिश की जाती है और अगर कोई व्यक्ति कोशिश करता है, उस वेस्ट लैंड को कल्टीवेबल बनाता है तो उसके ऊपर इस तरह की रोकथाम डालना, मैं किसी तरह ठीक नहीं समझता। मैं यह मानता हूँ कि लैंड के ऊपर किसी का टाइटल नहीं होना चाहिये। वेस्ट लैंड है उस पर गवर्नमेंट के सिवाय किसी का टाइटल नहीं होगा, पर जो उसको साफ करता है, कल्चरेबल बनाता है, कल्टीवेशन के अन्दर में लाता है उस पर रोक डालने की जो पॉलीसी है वह मेरी समझ में नहीं आती। मैं तो समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिये प्रोत्साहन देना चाहिये कि हमारी तीन करोड़ एकड़ कल्चरेबल लैंड वेस्ट पड़ी हुई है, उसको कल्चरेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट को तो सब्सिडी देना चाहिये, प्रोत्साहन देना चाहिये कि वेस्ट लैंड को कल्चरेबल लैंड बनायें, उसको पर बीघा इतनी देंगे, यह नहीं कि जो चाहे जितनी जमीन पर कब्जा कर लें, इसके लिये सीलिंग फिक्स कर लें। टिनेन्सी एक्ट में रखा हुआ है कि दूसरों के जरिये काश्त नहीं करा सकता यह सब बातें हैं, इसके लिये गवर्नमेंट को प्रोत्साहन देना चाहिये। इस बड़ी प्रोब्लम को सोल्व करने के लिए इनिशियेटिव देने की बजाय रोक डालना मैं ठीक नहीं समझता।

इस क्लॉज़ को डिलीट करने के बाद भी साफ रहता है क्योंकि इसमें साफ है : "No fresh clearing for cultivation or for any other purpose shall be made in such land by or on behalf of the holber for agricultural or any other purpose." तो इसलिये मेरा अमेंडमेंट है कि क्लियरिंग के ऊपर जो पर्पज कल्टिवेशन रखा है, वह डिलीट कर दिया जाय।

दूसरा मेरा अमेंडमेंट है सब क्लॉज़ ५ पार्ट बी. के डिलिशन के लिये इसमें लिखा है : "Nothing contained in this section shall preclude the State Government from romitting wholly or in part any loans advanced by the State Government to the Zamindar or Biswedar and utilised by the latter for the economic or agricultural development of his estate other than his khudkasht land, or" यहां इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पॉवर दिये जाते हैं कि जो कोई लोन उन्होंने एडवांस किया है उसको रेमिट करने का। मैं कहता हूं कि लोन किसी को दिया जाता है तो किसी पर्पज के लिये दिया जाता है। जिस पर्पज के लिये लोन दिया, उस पर्पज में उसे उसने यूटिलाइज किया तो उसका उसको रिटर्न मिलेगा कोई चुकाया है, जमीन के इम्प्रूवमेंट में लगाया है, जमीन में इम्प्रूवमेंट किया है, कुआ वगैरह खुदवा कर इम्प्रूवमेंट किया है तो इसमें कुए के ऊपर राइट दे रहे है, कि एक्वीजिशन के बाद भी उनका राइट रहेगा, इसका रिटर्न उन्होंने जो उनका टिनेन्ट था उससे जरूर लिया है, जो कर्ज दिया है, उसका रिटर्न हर हालत में उन्होंने बाकायदा लिया है, अगर कर्ज लेकर दूसरी जगह कज चुकाया तो भी उसका रिटर्न उसको मिल गया तो मेरी समझ में नहीं आता कि पार्ट बी है उसकी नेसेसिटी क्या है ? सरकार अपने हाथ में यह अधिकार क्यों लेना चाहती है कि हम कर्जा भी माफ कर देंगे, इसका जस्टिफिकेशन हमारी समझ में नहीं आता। क्या इसका

(श्री पी० के० चौधरी)

मतलब यह है कि जो कृपा पात्र होंगे उनके कर्ज माफ कर देंगे। इस क्लॉज को रखने से इसका बहुत मिस्यूज होगा। विडो को माफ करना है, माइनर को माफ करने का सवाल आता है तो कम्पेन्सेटरी तौर पर माफ कर सकते हैं पर एक ब्लैक चैक दे देना कि जिसको चाहे गवर्नमेंट माफ कर सकती है, तो इसका गुड यूज के स्थान पर बहुत मिस्यूज होगा। इसलिये इस सब-क्लॉज के डिलिशन के लिये मैंने अमेंडमेंट मूव किया है।

बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट मूव किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। सब-क्लॉज ४ में उनका अमेंडमेंट था। Provided that the khudkasht land is not let or sub-let to tenants or sub-tenants. क्योंकि यह जो लैन्डलॉर्ड होते है खुद तो उस जमीन पर काश्त नहीं करते और अपने सुपरविजन में दूसरों से काश्त कराते है और पैसा देते है। सही माने में खुदकाश्त वही है जो खुद काश्त करता हो और अपने सुपरविजन में दूसरों से नहीं करवाता हो। जिस व्यक्ति ने किसी को सब लैट जमीन कर दी है तो मेरी समझ में यह खुदकाश्त नहीं कही जा सकती है। इसलिये बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रोविजन पेश किया है उसको मैं ठीक समझता हूं और उनका भी समर्थन करता हूं।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष, मेरा खयाल है कि दो तीन संशोधन इसमें आये हैं वे इस प्रकार के है जिनको यहां पर लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्लॉज ५ में दो संशोधन आये हैं। उसका कारण यह बताया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने लोगों को लोन दिया था, उनमें एक प्रकार का माफी के सिलसिले में एक प्रकार का चैक लगा दिया है जो नहीं लगाया जाना चाहिये। उस पर हूमेनीटेरियन ग्राउण्डस पर विचार किया जाना चाहिये। लेकिन इस पर विचार करने से पहले ही से स्टेट गवर्नमेंट पर चैक लगा दिया है। इसमें हर एक कर्ज को माफ करने का प्रावधान नहीं है। इसमें बहुत से लोगों ने कर्जा लिया है और खुद काश्त की जमीन में उस कर्जे से कोई इम्प्रूवमेंट कराया हो, उसको भी गवर्नमेंट नहीं देती है। उस पर देती है जो दूसरे स्टेट के दूसरे स्थानों पर किया हो। ऐसा हो सकता है कि यह कर्जा करोड़ों वर्ष या सैकड़ों वर्ष या डीकेड तक का लंबा तो है नहीं। वह कर्जा अभी अभी मौजूदा कुछ वर्षों में ही दिया हुआ होगा।

एक माननीय सदस्य : कितने वर्षों का दिया हुआ होगा।

श्री तनसिंह : ५, ७, ८, १० वर्षों...

श्री अध्यक्ष : जागीरदारी एबॉलिशन में कुछ रूल्स बनाये हैं उसके मातिक माफ किया या कैसे किया है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा।

श्री तनसिंह : मान लें कि किसी ने लोन ले कर कुआ बनाया। आप यह समझते हैं कि इस कुंए से जो रिटर्न आवेगी उससे वह रूपया वसूल कर लेगा। मैं यह कहूंगा कि जो पैसा लगान से या कुंए के रिटर्न से आवे उसकी तुलना यदि कर्जे से की जावे तो यह उचित नहीं होगा। जो रिटर्न आवेगी वह तो मामूली होगी। उससे जो रेट में परिवर्तन आवेगा उससे खर्चा पूरा नहीं हो सकता। एबॉलिशन के साथ साथ ये रूपये भी जमा

Page No.52

(श्री तनसिंह)

कराने पड़ते हैं। यदि लोन को स्वीकार नहीं करते हैं तो हमें अननेसेसरी बर्डन और करते हैं।

अब रहा प्रश्न कि अभी जो अमेंडमेंट है कि Add the proviso:—

"Provided that the khudkasht land is not let or sub-let to tenants or sub-tenants."

इस विषय में मुझे निवेदन करना है कि यह समझ की बात है। जब सब क्लॉज ४ में साफ आया है कि जो उसके पजेशन में होगा और अगर उसको सब-लैट कर दिया है तो उसका दूसरा ऑक्युपेंट हो गया। ऐसी हालत में लागू नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर सारे टिनेन्सी के उसूलों को, सारे राजस्थान में लागू करते हैं कि कोई भी काश्त करता है तो उसको खातेदारी देने को तैयार हैं तो वे स्वयं उस सिद्धान्त से उन्हीं लोगों के खिलाफ होने चाहिये जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ दे दें। यह सब पर लागू होना चाहिये। मैं खुद मानता हूं कि जो काश्त करता है उसके पास जमीन रहनी चाहिए। मैं यह बात मानता हूं कि यदि किसी ने एक साल भी किसी को सब-लैट कर दिया है तो उसके पास जमीन चली जानी चाहिए जिसको उसने सबलैट किया है। जब उसमें स्वयं काश्त करने की ताकत नहीं है तो

१—१५ म० प्र०

[श्री निरंजननाथ आचार्य उपाध्यक्ष, पदासीन]

उनके पास ज़मीन नहीं रहनी चाहिए। जब हम इसको इनटोटो स्वीकार करते हैं तो जो सब-टिनेन्ट बनता है उसको हक मिल जावे। यह विधान द्वारा खुदकाश्त होल्डर पर ही नहीं खातेदारी पर भी होना चाहिए। जितने भी काश्त कराने वाले हैं, सब-टिनेन्ट जितने भी हैं उनको खातेदारी के हकूक मिलते हैं तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेन्ट को ऐसा करना चाहिए। अन्यथा ऐसा हो कि उन्हीं उन्हीं से लें यह उचित नहीं। ऐसी हालत में मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूँ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बयाना से आने वाले और पाली से आने वाले माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे हैं, उनका मैं समर्थन करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष, सबसे पहले हमें इस बात पर विचार करना है कि जमींदारी प्रथा कैसे प्रारम्भ हुई। कोई कहता है कि यह प्रथा मुगलकाल से या ब्रिटिश काल से आई। उस समय उन लोगों ने कुछ अपने लेफ्टिनेन्ट थे या वफादार थे उनसे यह कहा कि आप लोग यहां पर लैन्ड रेवेन्यू इकट्ठा करो। धीरे धीरे यह प्रथा बिगड़ी और पूरी तरह से वे लोग उस पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। अब प्रश्न यह आता है कि इस बिगड़ी हुई प्रथा को जो जबर्दस्ती इन काश्तकारों पर थाप दी, उसमें उन लोगों ने किस प्रकार से कर्जा लिया हो चाहे डवेलपमेंट के नाम से लिया या किसी और तरीके से लिया हो, क्योंकि ये लोग काफी होशियार थे उन्होंने सुधार किए और टैक्स बढ़ाए और लैण्ड रेवेन्यू बढ़ाई। उन लोगों को हम क्षमा कर दें तो यह उचित नहीं होगा। मैं पूरी तरह से इसका समर्थन करता हूँ। मान लें कि उन्होंने कर्जा लिया था। जब उन्होंने कर्जा लिया है तो उनसे वह कर्जा बराबर वसूल करना चाहिए। उनके पास खुदकाश्त की जमीन नहीं है और उसके नाम से कर्जा लिया है। इसलिए उनसे वह वसूल किया जाना

(डॉ० बहादुरसिंह)

चाहिए। इसलिए मैं पूरी तरह से दोनों संशोधनों का समर्थन करता हुआ सदन से यही निवेदन करूंगा कि इनको स्वीकार करें।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सत्र क्लॉज ४ में बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह सिद्धान्त स्वीकार किया है कि जितने भी बीच के जो लोग हैं मुनाफा उठाने वाले, हम उनको जल्दी से जल्दी खत्म करें। अभी कुछ दिन पेश्तर सरकार द्वारा बिल लाया गया था उसमें यह प्रावधान रखा था कि खातेदारी राइट्स अपने आप उप-काश्तकार को प्राप्त हो जावेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि एक तरफ सरकार ऐसे बिल पास कराती है और दूसरी तरफ ऐसे प्रावधान रखती है जो अकारथ जाते हैं। हमने जागीर एबॉलिशन में भी यह धारा रखी है और जमींदारी में भी यही रखते हैं जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं। मान लें कि हमने समय के परिवर्तन के अनुसार रखा, लेकिन आज परिस्थिति विपरीत है तो फिर भी उस धारा को अंकित करें, उचित नहीं होगा। आज हम देखते हैं कि यह प्रावधान रखा है कि जिस जमींदार का नाम सरकार के अगले साल वार्षिक रिकॉर्ड में दर्ज होगा खुदकाश्त में मान लिया जावेगा।

मैं निवेदन करता हूं कि हमने जागीर एबॉलिशन में भी यह बड़ी भारी गलती की और अब देखते हैं कि जागीरदार के नाम सैटिलमेन्ट्स के रिकॉर्ड में खुदकाश्त के नाम से दस दस हजार बीघा जमीन पहले दर्ज थी, वे कभी खुदकाश्त नहीं करते थे, वही उनके नाम पर रह गई और उनको उस जमीन का मुआवजा देने का प्रावधान बनाना पड़ा। ऐसी स्थिति में मैं मानूंगा कि एक तरफ सिद्धांत स्वीकार किया है कि मुआवजा खातेदारों को अलग दिया जाय, जागीरदार को और जमींदारों को अलग दिया जाय, और यदि यही उद्देश्य सरकार को उनको खिलाने का है तो मैं निवेदन करूंगा कि मुआवजा बढ़ा सकते हैं। लेकिन खुदकाश्त की जमीन सैटिलमेन्ट्स रिकॉर्ड में दर्ज है वह उनकी मान ली जाएगी तो यह बिलकुल विपरीत चीज होगी। इसलिए यह जो अमेन्डमेन्ट आया है वह बिलकुल ठीक है और उन लोगों को खातेदार नहीं मानना चाहिए उस जमीन का जो कि बिस्वेदारों और जमींदारों के कब्जे में है और काश्त कराते हैं दूसरों से। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करेगी।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ म जो संशोधन पेश हुआ है उसका मैं विरोध करता हूँ। सबसे पहले जो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव रखा है कि किन्हीं ने जमीन सबलैट कर दी है उन बिस्वेदारों या जमींदारों की जमीन का मुआवजा या उस जमीन को उनके खुद की पर्सनल प्रोपर्टी या खुदकाश्त नहीं माना जाना चाहिए और यह माना जाना चाहिए कि वह जमीन उन्होंने सबलैट कर दी है, उनकी वह जमीन ही नहीं है और खुदकाश्त भी नहीं है। मैं यह कहूंगा कि जो जमीन बिस्वेदारी कानून के फोर्स में आने से पहले जिस बिस्वेदार या जमींदार ने यह समझ कर कि यह मेरी जमीन है, मेरी प्रोपर्टी है, उसको सब-लैट कर दी, उसको आज आप उस जमीन का हक न देकर

(श्री अनूपसिंह)

जिसको सब-लैट की गई है उसको हक दे देते हैं तो आप समझिये कि यह मकान मेरा है और मैं उसको सब-लैट करता हूँ और थोड़े दिन बाद वह टिनेन्ट कह दे कि यह मेरा है आपका नहीं है, तो क्या यह सम्भव है। अगर दो तीन साल पहले जिसने सब-लैट कर दी तो क्या आप से आप उसका हक उस पर से चला जावेगा। टिनेन्सी फिफ्थ अमेंडमेंट ला रहे हैं, उसको देखते हुए और इसको देखते हुए जिसने जमीन दे दी उसने कानून के खिलाफ क्या गुनाह किया ? महज किसी भावना से प्रेरित होकर यह संशोधन पेश हुआ है। अगर किसी ने अपना मकान समझ कर किराये दे दिया, किरायेदार कभी नही कह सकता कि मालिक का मकान नहीं है वह तो किरायेदार का है। क्या आप इस बात को मंजूर करते हैं ? इसलिए मैं कहता हूं कि उन्होंने नाहक में, इस प्रकार का संशोधन पेश कर दिया। क्या एक साल के लिए सब-लैट कर दिया, किराये मकान दिया तो क्या उसका हो गया ? आप कहते हैं कि सोइल बिलोंग्स टू दी टिलर। कैसा टिलर है, किस हद तक का है, यह उनको मालूम होना चाहिये। जो इस तरह का संशोधन पेश करते हैं, उसका समर्थन करते हैं और बातें करते हैं; मैं कहूंगा कि उनको जमीन से कोई लेना देना भी नहीं है, जिनके पास जमीन कभी रही नहीं है और वे इसकी वकालत करते हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल : इस प्रकार की तरकीब नहीं सीखी उन्होंने।

श्री अनूपसिंह : (अपना भाषण जारी रखते हुए) यह तो मैं समझ सकता हूं कि आपने कितनी काश्त की है और कितनी काश्त करने के काबिल है। हां, यहां वाद-विवाद करने का उनको अच्छा मौका मिल सकता है। मैं पर्सनली किसी के लिए नहीं कहना चाहता। लेकिन आखिर आपने उस जमींदार के दिल की बात को समझने की कोशिश नहीं की। केवल आपके मन में तो एक ही बात आती है और उसी के अनुसार आप करते हैं। यदि उसने अधिक जमीन रख ली हैं तो सीलिंग का एक्ट आ रहा है, उसके जरिये वह खत्म हो जायगा। आप क्यों पहले ही जमीन लेकर दूसरों को देते हैं। ज्यादा रख ली है तो सीलिंग हो जायगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल : डबल मुआवजा मिलेगा।

श्री अनूपसिंह : किसका मिलेगा ?

श्री पुरुषोत्तमलाल : सीलिंग का।

श्री अनूपसिंह : क्या गवर्नमेंन्ट को नहीं मिलेगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल : यह प्रजातन्त्र का मामला है।

श्री अनूपसिंह : जिनको जमीन से कुछ लेना-देना नहीं रहा है। वे बहुत सी बातें कहते हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा कि यदि आप इस प्रकार से जमीन ले लेते हैं तो जिन्होंने उस जमीन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट से लोन लिया, उस रकम को उस पर लगा कर जमीन को उपजाऊ बनाया, उस जमीन का सुधार किया उस जमीन में घास फूस डाला, मेड़बंधी की, बेरे खुदवाये और उस जमीन को हर तरह से सुधारने की कोशिश की और जिस दिन से बिस्वेदारी कानून के अन्तर्गत उस जमीन का रिजम्प्शन हो जाता है वह तो जमीन उसके हाथ से चली जाती है और उस पर जो

Page No.55

(श्री अनूपसिंह)

गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है वह तो यों की यों ही उस व्यक्ति पर रह जाती है और जो असैट्स उसने बनाई हैं उसका उसको फायदा नहीं मिलता। गवर्नमेंट को तो फायदा मिलता है उस जमीन पर उस व्यक्ति ने खर्चा करके उसको उपजाऊ बनाया और इसलिए जो असैट्स उस जमीन को सुधारने के लिए लगाये गये और कर्जा रह गया है उस जमींदार या बिस्वेदार पर सरकार का, तो वह भी गवर्नमेंट की, जिम्मेदारी रहनी चाहिये। फिर गवर्नमेंट यह क्यों नहीं मान लेती है कि हमने जमीन ली है इसलिए उस पर हमारा जो लेना था वह भी अब नहीं लेंगे वह हमारा है। जिस दिन तक उस जमीन से रकम खर्च कर उस व्यक्ति ने उसको ठीक किया फायदा उठाया सो उठा लिया इसलिए जो खर्चा हुआ वह काट दिया जाय। उसने जो रकम जमा करा दी है वह काट दी जाय, लाइबिलिटी अब सरकार की होगी, यह क्यों नहीं करते।

अंग्रेजों के जमाने से जमींदारी और बिस्वेदारी चलती आयी है। अंग्रेजों के तहत होते हुए, अंग्रेजों से फेवर गेन करने से जिनको जमीन मिल गई तो मैं यह अर्ज करता हूँ कि मान लीजिये की आज आपकी सरकार है और आपने आपकी सरकार के वक्त में कई तरह के फायदे उठा लिए हैं और कांग्रेस की सरकार ने किसी पर रहम फरमा कर जमीन दे दी तो फिर आने वाली गवर्नमेंट ऐसा कानून बनायेगी कि जिस कांग्रेसी सदस्य के पास जमीन रह जायगी, जिन्होंने फेवरेटिज्म से जमीन हासिल कर ली है वह उनके हाथ से वापिस ले ली जायगी यह शासन का गौरव होगा। किसी ने जमीन खरीद कर ली है, कोई नहीं कह सकता कि कब किसने किससे ली या अंग्रेजों से फेवर गेन करके ली, आज भगवान् की दया है कि आपके हाथ में यह मौका पड़ा कि आप उसका आज बदला ले रहे हैं. बदले की भावना से यह सब कुछ कर रहे हैं। यदि सुधार की भावना से करें तो अच्छा है।

१. ३. म० प०

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

यदि बदले की भावना से ऐसा करते हैं तो इसमें कोई डिगनिटी नहीं है, नोबलनैस नहीं है, आपका गौरव इससे नहीं बढ़ता है। इस तरह की छोटी-छोटी भावनाओं से, सुधार के नाम पर कानून लाये जा रहे हैं, उसमें बदले की भावना प्रकट होती है, इसलिए इस प्रकार की गलत भावनायें और प्रेरणा न देने की कोशिश करें तो अच्छा है।

न मैं किसी के कहने से बोल रहा हूँ और न मैं किसी के कहने से बैठ ही सकता हूं। वाद-विवाद के दर्मियान जो भी तथ्य मेरे सामने आये वे मैंने सदन के विचारार्थ पेश कर दिये हैं। अब चूंकि मुझे बैठना है इसलिये मैं बैठ जाता हूँ।

श्री लक्ष्मीचंद (सांचौर) : माननीय सभापति महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है मैं उसका विरोध करता हूँ। मैंने जो अमेन्डमेन्ट रखा है "Provided that the Khudkasht land is not let or sub-let to tenants or sub-tenants." इसका मतलब यह है कि किसी भी काश्तकार को सब-लैट नहीं कर सकते। मान लीजिये किसी का नाम रेकार्ड में इन्द्राज हो गया वह अपने खेत को खुदकाश्त की जमीन को नहीं दे सकता। सभापति महोदय, मैं आपको यह बता देना

(श्री लक्ष्मीचन्द)

चाहता हूं कि एक तरफ चलते हैं तो हम देखते है कि जागीरदार के पास इतनी जमीन है हजारों बीघा जमीन उसके पास में है अगर हम उसको सब-लैट के लिये अधिकार नहीं देते हैं अगर देता है तो टिनेन्सी एक्ट की धारा के अन्तर्गत वह बाध्य होता है उसके हकूक छीने जा सकते हैं। ऐसी हालत में जहां एक तरफ हमारे देश में खाद्य की विकट समस्या है इसका कारण ही यह है कि जितने भी सरकार ने कानून बनाये है उसके अनुसार जमीन को सब-लैट नहीं किया जा सकता। अगर सब-लैट करते हैं तो देश में जो खाद्य की कमी हैं वह पूरी हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सभापति महोदय, इस क्लॉज़ ४० में जितने भी अमेन्डमेन्ट आते हैं उन सब का मैं विरोध करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : क्या श्री सोहनलालजी ने जो पेश किया है, उसका भी विरोध करते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): मेरे नोटिस में तो उनका कोई संशोधन नहीं है, हो सकता है उन्होंने उस संशोधन की कापी आपको दे दी हो।

सभापति महोदय, सब से पहले क्लॉज़ ४ में सब-क्लॉज़ वन में एक अमेन्डमेन्ट है जो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया हैं उनका कहना है कि "No fresh clearings for cultivation or for any other purpose shall be made in such land by or on behalf of... आपने अपने इस अमेन्डमेन्ट के सिलसिले में जो दलील पेश की है उसके मुताबिक ऑर्डिनरी कल्टीवेशन के लिये किसी भी काश्तकार को जमीन अलॉट करते हैं, उसके लिये इस क्लॉज़ में मना कर दिया गया है उनका यह मतलब सही नहीं हैं। किसी भी ऑर्डिनरी कल्टीवेशन के लिये अलॉटमेन्ट बन्द कर दिया गया हो यह बात नहीं है इसमें जो शब्द क्लीयरेन्स शब्द लिया गया वह टेक्निकल वर्ड है और फोरेस्ट एक्ट से लिया गया है। जिस जमीन पर पेड़ उगे हुए हों उनको क्लीयरेन्स नहीं किया जा सकता। कितने ही पीरियड से वह एरिया कवर्ड हो उसको क्लीयरेन्स नहीं किया जा सकता है इस सेक्शन के अमल में आने के बाद वे उसको क्लीयर कर देंगे यह केवल मिसअन्डरस्टेंडिंग है इस सेक्शन की यह कदापि मंशा नहीं है कि एस्टेट होल्डर को यह राइट दिया जाय रिजम्पशन होने के दरमियानी अर्से में अपनी जमीन पर जितने भी दरख्त खड़े हैं उनको काटकर उसका फायदा उठा सके यह तो प्रिन्सिपल के भी खिलाफ बात है।

दूसरा संशोधन जो है उसमें दो संशोधन हैं सब क्लॉज़ पांच और सब क्लॉज़ पार्ट बी, ऑफ सब क्लॉज़ पांच को डिलीट करने के लिये हैं दोनों ही इसी बात के अमेन्डमेन्ट हैं। उनका कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट को पॉवर नहीं होनी चाहिये कि वे किसी प्रकार भी डेट को रेमिट कर सके। सभापति महोदय, जो भी कर्ज दिया गया चाहे किसी जमींदार को हो या जागीरदार को वह उस जमीन के इम्प्रुवमेन्ट के लिये दिया गया है और अगर वह उसको इम्प्रुव करता है वैसी हालत में सरकार को उस कर्ज के रेमिटेन्स के पॉवर नहीं होने चाहिये, वह ठीक नहीं हैं। जो विरोध किया गया है वे यह चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट की यह मंशा है कि इस तरह के अधिकार देने से

(श्री दामोदरलाल व्यास)

स्टेट गवर्नमेंट तमाम कर्जे रेमिट कर देंगे। ऐसा न तो स्टेट गवर्नमेंट का इरादा है और न इस मंशा से ही यह अमेन्डमेन्ट रखा गया है। जागीरदारी एबॉलिशन एक्ट की सेक्शन २२ में यह प्रोविजन है वही हूबहू प्रोविजन यह भी रखा गया है उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट को डिस्क्रीशनरी पॉवर्स दिये गये हैं वह भी पार्टीकुलर वाके को देखते हुए काम में लिये जायेंगे यह कोई जनरल क्लॉज़ थोड़े ही है। स्टेट गवर्नमेंट हर इन्डिविजुअल केस को ओन-मेरिट्स अपना डिस्क्रीशन एक्सर्साइज करके देखेगी खास तौर से इस तरह के केसेज में ध्यान यह भी रखना होगा कि जो मुआवजा उन लोगों को दिया जायगा उस राशि के अंदर से जितना कर्जा बाकी है पहले उसको वसूल करेंगे। ऐसे केसेज भी हो सकते हैं जिनमें कर्जे की रकम मुआवजे की रकम से भी अधिक हो ऐसी हालत में पार्टिकुलर केसेज को डील विद करने के लिये अधिकार दिये गये हैं "on that property which the State Govt. is now resuming..." ऐसे कई हार्डे केसेज हो सकते हैं उस हालत में स्टेट गवर्नमेन्ट कन्सीडर करके रेमिट कर सकती है। ताकि जमींदार या जागीरदार अपने आपको रिहेबीलिटेट कर सकें। हार्ड केसेज को डील करने के पॉवर्स इसमें लिये गये हैं। ऐसे (इनडिविजुअल) केसेज जिसमें यह महसूस करे इसमें कर्जा रेमिट करना वाजिब होगा उसको किया जायगा। इस तरह की पॉवर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास होनी चाहिये। यह एप्रिहेन्शन कि इस तरह से सारे कर्जे माफ हो जायेंगे यह मानना बिल्कुल उचित नहीं है। जागीरी रिजम्पशन के दौरान में भी सरकार के सामने ऐसे केसेज आये हैं जिनमें कर्जा चुकाने में रिहेबीलिटेशन ग्रान्ट भी कम होती है, इस तरह के केसेज में हमें लिनियेन्टली डिल विद करना पड़ेगा। आखिर उनको रिहेबीलिटेट करने की जिम्मेदारी भी तो स्टेट गवर्नमेन्ट की है, यह प्राइमरी स्टेट गवर्नमेन्ट की ड्यूटी है।

दूसरी बात कोटा की तरफ से आये हुए माननीय सदस्य ने पेश की है उन्होंने कहा है कि ऐसे केसेज में पंचायतों द्वारा सर्टिफिकेट दे दिया जाय। इसके लिये मैं अर्ज करूंगा कि जिस समय जागीर रिजम्पशन की प्रोसीडिंग चालू हुई उस समय पंचायतें थीं ही नहीं। यह पॉवर्स तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहने चाहिये क्योंकि स्टेट गवर्नमेन्ट के पास इसके लिये कम्पलीट मशीनरी होती है और वह इन्क्वायरी भी कर सकती है। जो स्पेसिफिक पर्पज मेन्शन्ड है वह पर्पज स्टेट गवर्नमेन्ट द्वारा ही पूरा हो सकता है, वैसी हालत में पंचायतों को बीच में डालना, मैं समझता हूं उचित नहीं है। पंचायतों के विरोध में भी बातें कही जाती हैं, खास तौर से श्री माधोपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने इस बारे में विचार प्रकट नहीं किया, वैसे सदन को मालूम है........

श्री भैरोंसिंह : पंचायतों के सम्बन्ध में मेरे और आपके विचार एक से हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं तो बार-बार कहता हूं मैं तो पंचायतों का हामी हूँ, वे अच्छा काम कर सकती हैं। लेकिन जहां तक इस पार्टिकुलर अमेन्डमेन्ट का सवाल है पंचायतों के सुपुर्द यह कार्य करना बिल्कुल गलत होगा। जब कि स्टेट गवर्नमेन्ट के पास एग्जीक्युटिव मशीनरी है वैसी हालत में यह आवश्यक नहीं है। Now I come to this amendment, Sir, बयाना से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है

(श्री दामोदरलाल व्यास)

प्रोविज़ो खुदकाश्त के लिये, उसके सम्बन्ध में उन्होंने अपने विद्वत्तापूर्ण भाषण में जो कुछ बातें रक्खीं टिनेन्सी राइट्स, सबलैटिंग की पॉलिसी, आदि का जो जिक्र विस्तार से किया और प्रोग्रेसिव सजेशन दिया है। बहुत प्रोग्रेसिव सेक्शन भी दिया है किसी जमींदार की खुदकाश्त को रिकग्नाइज नहीं करना चाहिये। जागीरदार और जमींदार की खुदकाश्तों में अन्तर है। जब टिनेन्सी एक्ट बनाया था तो जमींदार की खुदकाश्त को डिफाइन नहीं किया था। किसी का किया भी १५ अक्टूबर ५५ तक तो विदाउट पेमेन्ट ऑफ एनी कम्पेन्सेशन ही किया। पर जागीरदार के लिये यह था कि उसका खातेदारी राइट एक हो सकता है पर उसे कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। तो इन दोनों में पहला अन्तर यह ध्यान में आना चाहिये।

इसके बाद जून, ५८ तक तो डिफाइन नहीं किया। बाद में किया गया इसलिये यह कहना कि सब टिनेन्सी के बहुत से राइट इफेक्ट हो जाते हैं, यह मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। बल्कि यह कहना चाहिये कि जमींदार डिसएडवान्टेज में रहा है बमुकाबिले जागीरदार के। जब अक्टूबर ५५ में नियम अमल में आये तो जाकर वे खातेदारी काश्तकार बनें।

दूसरी बात, टिनेन्सी, सब टिनेन्सी रखना या नहीं इसका जागीर रिज़्यम्पशन एक्ट से सम्बन्ध नहीं है क्योंकि आफ्टर आल वह खुदकाश्त तो जमींदार की है ज्यों ही जमींदारी एबोलिश होती है वह खातेदारी काश्तकार हो जाता है।

अब सब टिनेन्सी के अधिकार सबको दे रखे हैं। इसको भी आगे दे रखे हैं पांच साल तक सबलैट कर सकता है। तो फिर जमींदार के लिये डिसक्रिमिनेटरी लॉज नहीं बना सकते। उसको तो प्रोहीबिट कर दें सबलैट नहीं कर सकता। That will not be proper. It will not be just for those people. यह कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, इक्विटेबल नहीं होगा, इसलिये यह जो प्रोविज़न डिलीट करना चाहते हैं इसका मैं विरोध करता हूँ जिन कारणों से इस अमेंडमेंट के बारे में कहा गया उसको मैं सपोर्ट करने को तैयार नहीं हूँ।

इसके बाद में जो पाली से आये सदस्य हैं, उनका एक अमेन्डमेन्ट सैक्शन पार्ट बी ऑफ सब-क्लॉज ५ पर कहा था वह तो वही है जो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया था।

तीसरी बात, I think there is no other amendment जिसके लिये अर्ज करना हो। इसलिये सभी अमेन्डमेन्ट्स का मैं विरोध करके जो असल में क्लॉज है उसको पास करने के लिये मैं दरख्वास्त करता हूं।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय चेयरमैन, जो उत्तर माननीय मन्त्री महोदय ने दिया उसमें उन्होंने यह जो एक्सेप्ट किया कि यह मेरा अमेन्डमेन्ट है, वह प्रोग्रेसिव है।

श्री दामोदरलाल व्यास : Not only maself but the Planning Commission as well abolish it later on.

श्री श्रीभानसिंह : और उन्होंने यह भी एक्सेप्ट किया मगर यह चार्ज लगाया मेरे अमेन्डमेन्ट पर कि the amendment is inequitable and unconstitutional. पहले मैं इसका उत्तर दूं कि जब से कांग्रेस ने अवाडी

(श्री श्रीमानसिंह)

सैशन में समाजवादी समाज रचना की नीति रखी उसके मतलब या बेसिक आइडियॉज क्या है ? और उनको एप्लाई करने में लैण्ड रिफार्म्स जहां तक है.... ...

श्री दामोदरलाल व्यास : On a point of information Sir, What I said was that so far as the creation of special tenancy is concerned, & there is a provision in the tenancy Act. If there is any amendment that can be brought for that. I think so that it is unconstitutional because so far as Zamindars are concerned; if we are going to place any restriction over them, it will be unjust.

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Mr. Chairman, what the Hon'ble Minister has said it is very clear to me. I was describing, I was saying Sir, that the Congress adopted the policy of Socialism during the Avadi Session and to me as well as to the general public what socialism means is basically a principle of social economic justice. When it is so. I think it has a certain criterian, and that criteria is one. An individual, society or institution must contribute to the national well being, before they can lay their claims to the income. The income in socialism has to be coincided with the work, and whoever works and contributes to the well being of the Society, he alone can justify the income that he draws. Any vagabond or any other intermediaries who do not work have no claim to income in the Society. Is it injustice when they, the peasants work and they give their rent to the Zamindar? Is it unconstitutional? From morn till night they work and contribute to the Society and they should be condemned. Our Constitution starts with the provisions of Social economic Justice. These are the basic rights. Who is the person to whom we are doing injustice? It is the sub-tenant of Khudkasht who has worked, against whom by this clause we are discriminating. It is unconstitutional. On what grounds we can say that if he wants khatedari rights, the sub-tenant should look to the Tenancy Act? The Tenancy Act condemns the status of a sub-tenant. Where he should go? To whom he should go? What was the necessity of bringing this legislation? What was the necessity to bring Tenancy Legislations? The basic necessity was that Rajasthan and the Congress Government wanted to change this agrarian structure which was based on feudalism, and our slogan was "Land to the tillers". Besides these two points there is nothing. The agrarian any thing reforms did not envisage, further. It must be changed in favour of the "land to the tiller". Have we succeeded in it? My answer is 'no'. In Khudkasht what would be the structure? At the helm of khudkasht, Zamindar will be there wage-earner. Who is the earner? The earner is the Zamindar. The sub tenant is exploited. Who works on the land most? This is the Sub-tenant and the employee. In 1955 a certain legislation was passe,

(श्री श्रीमानसिंह)

But on the Congress Government coming in power in Rajasthan they forced exploitation and therefore the subsequent legistlation had a very little effection the agrarian structure of our State. So if we don't change in the favour of the man at the lowest ladder, we cannot introduce the principles of Justice. That justice can be done to the exploiters or through any one of the Ram Rajya Parisad. But justice will have to be done if politically we have to survive.

श्री तनसिंह : आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसमें रामराज्य परिषद् के द्वारा फेवरेटिज्म देकर मिली हुई हो ?

श्री सभापति : No direct discussion between the parties.

श्री श्रीमानसिंह : One of the Hon'ble members of Ram Rajya Parishad raised some point and on this basis I was telling.

श्री सभापति : It is a reply. Please confine your debate to the points which are raised by the member incharge of the Bill.

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Yes, Sir. Very vital points of injustice and unconstitutional matters have been raised and therefore, Sir, as I was saying that from every point of view, our agrarian structure was that those who employ and who never contribute to the Society's welfare, they have income. In this structure, he is a proprietor, he is the owner of khudkasht not by virtue of his work or not by virtue of his contribution to the well being of the Society, but on account of being a proprietor, merely drawing his income by engaging labour. Why he should remain on the rural scene because he has been a Zamindar of some area ? Otherwise the Zamindari Abolition should mean that he should be removed from the rural scene. He should be removed and he must be removed. When we are abolising his right, what about the other piece, the other area ? This can be registered as khudkasht in favour of these tenants who will not fall within khudkasht; but we want their condition to be improved. If we fail to improve what will be their position ? It is in their favour that I placed before this House that only to the extent the land is cultivated till today by the Zamindar should be declared as Khudkasht. Those sub-tenants should be granted khatedari rights. They should feel that a certain element that was exploiting has been removed. But this has not been removed. That is still present today and it remains with double force. Then what is the use of these reforme ? The purpose of our legislation is that tenants condition must be improved, It must be changed and not that our legislation should be loaded with unnecessary words about masses. I have no hesitation in saying that what we legislate, we state, we clear a ground for fight between the rich and the poor Sections of the Society. What happens ? The poor cannot fight,

Page No.61

(श्री श्रीमानसिंह)

they cannot claim their rights. Therefore we must bring a certain change that if we change, we change it now, here and today. We must legislate in a manner, we must achieve not for a particular section but for all. So that people may have a faith. They may say that the legislation is for their well being. With this view I placed my amendment. With a view that whether it is proprietory right or tenants constitutional right, they may have a right but they should have no right to exploit the human labour. otherwise what is the use of our freedom, what is the use of our independence ? With this view I placed my amendment before the Hon'ble Minister but to him it is unconsitutional, it is injustice, it is inequitable. I beg leave of the House to withdraw the amendment and I will never put any such amendment which is inequitable or unjust or unconstitutional. Therefore, I beg leave of the Honse to withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ पर जो अमेन्डमेन्ट श्री श्रीमानसिंह ने रखा है, उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाये।

(स्वीकृत)

अमेन्डमेन्ट वापिस लेने की आज्ञा दी गई।

श्री श्रीमानसिंह : I withdraw my amendment.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) **:** माननीय सभापतिजी, मेरा एक संशोधन था वह धारा ४ की उप-धारा (५) [बी] में था। मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि जब माननीय मंत्रीजी ने कहा कि आज पंचायतों को अधिकार देते समय और उनकी जो हालत है उनकी ओर देखते हुए उनको अधिकार नहीं देने चाहिए.......

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, मैंने यह कभी नहीं कहा कि पंचायत की जो हालत है उसको देखते हुए उनको अधिकार नहीं देने चाहिए। गवर्नमेन्ट की मशीनरी इतनी इफेक्टिव है कि हम उससे ज्यादा काम करा सकते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने निवेदन किया कि आपके पास अधिक इफेक्टिव मशीनरी है तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम हमारे देश में प्रजातंत्र का निर्माण करने जा रहे हैं और उसको भी एक विकेन्द्रित शासन के आधार पर डेवलप करना चाहते हैं और उस विकेन्द्रित शासन की रीढ़ है वह हमारी पंचायतें हैं। हो सकता है जिस करप्शन के बारे में जो हमारे लीडर ने कहा, आज वह करप्ट प्रेक्टीसेज पंचायतों में देखने को मिलती है। लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जो कुछ भी करप्शन आज पंचायतों में दिखाई देता है उससे ज्यादा करप्शन ऊपर की मशीनरी में और शासन में छाया हुआ है।

२ म० प०

मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जब तक हम पंचायतों में एक साथ विश्वास नहीं करेंगे, जो हमारे प्रजातन्त्र की आधार भूत हैं, यदि हम उनको किसी प्रकार से डेवलप करने में विश्वास नहीं रखते हैं, उनमें किसी प्रकार का विश्वास पैदा नहीं करते हैं तो प्रजातन्त्र के उस आधार को हम किसी प्रकार से

(श्री दयाकृष्ण विजय)

डेवलप नहीं कर सकते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर आपके पास में एक इफेक्टिव मशीनरी है, उस इफेक्टिव मशीनरी के आधार पर जांच करवाना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ भी आपकी इफेक्टिव मशीनरी है वह जिस स्थान में जो कुछ भी उस रकम का उपयोग हुआ है उस स्थान से वह बहुत दूर बैठी हुई है। वह उस स्थान पर नहीं रहती है। उसने नहीं देखा है कि उस रकम का कब उपयोग हुआ है और किस प्रकार से हुआ है। आखिर में पूरी रकम उपयोग में आई है या नहीं। आखिर एक कुंए के लिए रकम दी गई है तो वह कुंआ बना है या नहीं? एक बैल के लिए तकावी ली है तो उसने बैल खरीदा है या नहीं? आज उसने बैल खरीदा नहीं है लेकिन वह कह सकता है कि १० साल पहले बैल खरीदा था और वह मर चुका है। इस प्रकार से बैल के लिए तकावी ली है तो वह बैल लिया है और वह मर चुका है और बैल यहां पर नहीं है। आप कहेंगे कि इफेक्टिव मशीनरी जांच करने के लिए आई और यह चीज वह उससे कह देगा। लेकिन गांव का आदमी है वह उसी गांव में रहता है वह जानता है कि आज तक बैल नहीं खरीदा है। उसने किस प्रकार का इम्प्रूवमेंट कियाहै, और वहां पर इम्प्रूवमेंट के चिन्ह हैं या नहीं। आपकी मशीनरी जाती है और वहां पर कोई चिन्ह नहीं हैं तो नहीं निकाल सकेगी लेकिन गांव का आदमी वहां रहता है, वह पंचायत में बैठा हुआ है। वह पंचायत में जाकर काम करता है तो पंचायत के अन्दर गाँव के आदमी की जितनी अच्छी एवीडेन्स हो सकती है, जितनी अच्छी गवाही उस आदमी की हो सकती है कि उस आदमी ने बैल खरीदा था या नहीं, कुंआ बनाया था या नहीं, वहां पर किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट किया था या नहीं। जैसा कि आप कहते हैं कि करप्शन उन लोगों में आयेगा। हो सकता है कि करप्शन उनमें आये, इस चीज से मैं इन्कार नहीं कर सकता हूं। लेकिन वहां से दूर बैठा हुआ आदमी, वहां से दूर बैठी हुई आपकी इफेक्टिव मशीनरी इस तरह का अन्दाजा नहीं लगा सकती है कि इस प्रकार का इम्प्रूवमेंट किया है या नहीं, लोन जो लिया है उस रकम का पूरा उपयोग किया है या नहीं। भला, वे किससे पूछेंगे? वे वहां गांव के आदमी से ही पूछेंगे? वहां के पटेल से पूछेंगे, या वहां के किसी प्रतिष्ठित आदमी से पूछेंगे। मैं कहता हूं कि पंचायत में कोई आदमी चुना गया है उस गाँव के अन्दर उससे ज्यादा प्रतिष्ठित और कौन हो सकता है? पंचायत उस गांव की प्रतिनिधि संस्था है। वह जनता के द्वारा चुनी हुई है। उसके अन्दर गांव के लोगों का रिप्रजेन्टेशन जाता है। उससे आप नहीं पूछेंगे कि जो कुछ रकम ले ली है जो हर एक वक्त वहां पर रहती है, तो किनसे पूछेंगे?

इसका मतलब मैं तो यही मानता हूँ कि आप कलेक्टर्स हैं उनके हाथ में इतनी बड़ी पॉवर्स दे देना चाहते हैं कि जो रकम आपने दी है, जिस प्रकार से लोन आपने दिया है, जमींदार या बिस्वेदार को खर्च करने के लिए, वह उसने खर्च किया है या नहीं, उसका प्रमाण क्या है। जब तक उसका प्रमाण नहीं रहता है लिखित में और जब वहां के रहने-वाले आदमी के द्वारा प्रमाण नहीं आयेगा तो आप क्या कहेंगे? आप केवल यही कहेंगे कि जाकर कलेक्टर या तहसीलदार ने जांच कर ली है। तहसीलदार भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं। आप कहते हैं कि पंचायत के लोग

Page No.63

(श्री दयाकृष्ण विजय)

करप्ट हो सकते हैं तो पंचायत में जितने आदमी हैं, पंचायत के जितने लोग हैं वे सब करप्ट हैं या भ्रष्टाचारी हैं, इस बात का कोई दावा नहीं कर सकता है । बल्कि मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों में काम करने-वाले जो लोग हैं वे करप्ट कम हैं बनिस्बत उनके । क्योंकि हर आदमी बेईमान नहीं हो सकता है, हर पंचायत करप्ट हो कि २,४ या ५ रुपये लेकर लिख दे कि इम्प्रूवमेंट कराया था, यह मैं नहीं समझता हूं । बल्कि वह गांव की प्रतिनिधि संस्था है । जनता के मत द्वारा चुने हुए लोग होते हैं उन पर इस प्रकार का चार्ज लगाते हैं तो फिर हो सकता है कि लेजिस्लेचर को किया जा सकता है, उस पर किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए । अगर उन पर इस प्रकार का चार्ज लगाते हैं तो इस प्रकार का चार्ज हर असेम्बली के मेम्बर्स पर लगा सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि जनता को प्रजातन्त्र दिया है तो यह उनका प्रजातान्त्रिक अधिकार है । प्रजातन्त्र का निर्माण पंचायतों से होता है तो पंचायतों के प्रतिनिधियों पर किस प्रकार से हम अविश्वास करें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत के जो चुने हुए लोग हैं वे उस गांव में रहते हैं और उनको मालूम रहता है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं, रकम खर्च हुई है या नहीं, वह उस जगह खर्च हुई है या नहीं ।

यदि हम इस रकम को छोड़ना चाहते हैं, जो कुछ जमीदारों को दी गई है उस रकम को छोड़ना चाहें यह बात अलग है । उसने इम्प्रूवमेंट किया है या नहीं, उसका आधार गांव के रहने वाले आदमी होंगे और उस गांव के रहने वाले आदमी उस पंचायत में हैं, उस पंचायत को सम्मिलित नहीं किया तो पंचायत से ज्यादा अच्छा एवीडेन्स और क्या हो सकता है । इसके अतिरिक्त आपके सरकारी अधिकारी नहीं हो सकते हैं । वह आपकी इफेक्टिव मशीनरी नहीं हो सकती है । उसका जो प्रमाण होना चाहिए कि कोई इन्जीनियरिंग वर्क किया गया है या नहीं, जितना लोन लिया है उसका उपयोग किया गया है या नहीं । उसका उस ज़मींदारी एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है । हो सकता है कि इस प्रकार के नियम आप बना दें, लेकिन नियमों का उल्लेख भी नहीं है तो आप कह सकते हैं कि तहसीलदार से जांच करवाई तो तहसीलदार की एवीडेन्स ज्यादा अच्छी हो सकती है या उस गांव के आदमी की, पंचायत की जो कि ज्यादा अच्छी तरह जानती है कि वह खर्च किया गया है या नहीं, वह इम्प्रूवमेंट किया गया है या नहीं । इसलिए मैंने यह संशोधन रखा था कि पंचायतें सर्टिफाई करें कि लोन जो कोई लिया गया था उसके चिन्ह शेष हैं या नहीं । कोई भी इम्प्रूवमेंट उस जमीन में किया गया है या नहीं । आज कोई चिन्ह शेष नहीं हैं और पंचायत उस समय नहीं थी और आज चिन्ह नहीं हैं तो आपकी इफेक्टिव मशीनरी क्या बतायेगी कि इम्प्रूवमेंट हुआ था या नहीं या वह उस जमाने से चला आ रहा है और जो कुआ बनाया गया है उसमें थोड़ी सी रकम खर्च की गई थी या पूरा नया निर्माण किया गया है, तो वह आपकी इफेक्टिव मशीनरी, सालाना तब्दील होने वाले अधिकारी नहीं बता सकते हैं । पंचायतों के लोग पर्मानेन्टली उस जगह पर रहते हैं । आपके अधिकारी जो आते हैं वे एक साल के बाद बदल जायेंगे । तहसीलदार को मालूम नहीं होगा कि कुआ बना है या उसमें केवल एक ईंट लगाई है और कुछ पत्थर लगा कर एक फुट चुना गया है । मैं निवेदन

Page No.64

(श्री दयाकृष्ण विजय)

करना चाहता हूं कि पंचायतों की एवीडेन्स इस संबंध में इस जगह ज्यादा हो सकती है। दूसरी जगह पंचायतों को अधिकार नहीं दिये जायं तो पंचायतों को अधिकार देने के संबंध में सतर्कता ज्यादा बरतने के लिए यह चीज मैंने रखी थी। यदि आप उस रकम को छोड़ना चाहते हैं; जो कुछ आपने दिया है उसको आप छोड़ना चाहते हैं, उनको उस जमींदार के हाथ में देना चाहते हैं, उस बिस्वेदार के हाथ में देना चाहते हैं, जो लोन आपने दिया है वह नहीं लेंगे। उस रकम को छोड़ना चाहते हैं तो कम से कम जांच तो करें। कहीं जांच का प्रावधान तो रखें। जब तक कोई प्रोविजो नहीं हो, किसी प्रकार की जांच का उल्लेख नहीं हो तो आप इस तरह से निरंकुश अधिकार एक ऐसे आदमी के हाथ में दे रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार फैलेगा। हो सकता है कि अधिकारी सभी भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, यह मैं मानता हूं। लेकिन निश्चित रूप से यदि किसी प्रकार का बन्धन नहीं रखेंगे तो भ्रष्टाचार जरूर बढ़ेगा। आप भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस बात के प्रमाण के लिए कि काम हुआ है या नहीं, जो कुछ रकम आपने दी है उसका उपयोग हुआ है या नहीं उसकी जांच करें। उसकी पूरी तरह से जांच हो। यह जांच पंचायत के द्वारा हो, क्योंकि वहां पर पुराने लोग बैठे हुए हैं, वह अच्छी तरह से एवीडेन्स दे सकते हैं। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है उसको वापिस लेने का प्रश्न नहीं खड़ा होता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज (४) में जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मैंने जो संशोधन रखा था डिलीट करने का तो मैं यह समझता था कि इस संशोधन के जवाब में राजस्व मंत्री-जी कुछ अपना वक्तव्य देंगे या उसको वापिस ले लें या डिलीट कर दें। लेकिन उन्होंने एक सेनटेन्स मेरे ख्याल से दिल से नहीं निकाला होगा कि एक्सेप्शनल केसेज होंगे उन केसेज में इन्क्वायरी कराने के बाद हम किसी को मुआवजा देंगे। अब आप, न तो मैं समझ सका हूँ कि क्या प्रोसीजर ले डाउन करते हैं? लोन आप छोड़ना चाहते हैं, किसके हाथ में अधिकार देना चाहते हैं? यह बताने की कोशिश........

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमेंट।

श्री मूलचंद डागा : गवर्नमेंट को कौन रिप्रजेन्ट करेगा? आप तहसीलदार के हाथ में पावर देना चाहते हैं या गवर्नमेंट के राजस्व मंत्री खुद निर्णय करेंगे, मेरा एक सवाल यह था।

दूसरा यह बतलाने की कोशिश नहीं की गई कि किस आधार पर यह करना चाहते हैं। न कोई आधार है और न कोई रास्ता अख्त्यार किया है। एक कानून ऐसा लचीला बनाया है जिस कानून के अन्दर हम समझते हैं कि हर प्रकार की भ्रष्टाचार की कोई कार्यवाही हो सकती है। न कोई समय निर्धारित किया गया है, न कुछ ऐसी बात निर्धारित की गई है। एक कानून बनाने के समय the State Govt. from remitting wholly or in part any

[श्री मूलचन्द डागा)

loans-advanced...... किस आधार पर, आपका क्या मापदण्ड है ? आप किन २ शर्तों पर, किन २ हालतों में, किस तरह के वातावरण में, क्या कह रहे हैं ? कोई कानून की जो चीज है उस कानून का बिल्कुल अर्थ ही खत्म करने का मतलब हो सकता है। आप चाहते हैं रेमिट करना तो आपको कहना चाहिए कि आप किन हालतों में रेमिट करना चाहते हैं। इसके लिये न तो गवर्नमेन्ट रूल्स फ्रेम करेगी और न कोई इसका सिस्टम तय किया है लेकिन कह दिया कि रेमिट करेगी और यह भी नहीं बताया कि कितने सालों का इम्प्रूवमेन्ट जो उसने जमीन पर किया है १० साल पहले या २० साल पहले जो इम्प्रूवमेन्ट उसने किया उसका मुआवजा देंगे या कितने सालों का देंगे ? इन सब के अभाव में भी आप मुआवजा देना चाहते हैं। क्लॉज के पार्ट बी में आपने रखा है कि आप एक सिद्धान्त बतलाना चाहते हैं, शोषण की प्रथा को खत्म करना चाहते हैं और जो शोषित हो चुके हैं उनको राहत देना चाहते हैं। लेकिन आप एक नया तरीका अख्तियार करना चाहते हैं कि जिन्होंने शोषण किया है उनको और अधिकार देते हैं, जो कुछ उसने इम्प्रूवमेन्ट किया है वह भी ले लें। आप कुछ तो बताते कि इसका यह आधार था और अभिप्राय था। मैं यह जानता हूँ कि आप बैठे बैठे बातें करते हैं इसलिये कि इस पर कुछ नहीं करना है। मैं यह भी जानता हूँ कि मुझे इसे विद्ड्रा करना है लेकिन आखिर सोचने का काम तो आपका भी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात को सुनें। आप किस आधार पर रेमिट करना चाहते हैं यह तो बतावें। न तो आपका कोई ऑब्जेक्ट है और न आपके पास कोई क्राइटेरिया है और न साधन हैं और न आपके वर्डस् बताते हैं कि ३० साल पहले भी उसने लोन लिया है तो भी उसको इन इन शर्तों पर रेमिट करना चाहते हैं। सारे विस्तृत अधिकार दिये हैं कलेक्टर को या गवर्नमेन्ट को। सरकार किस आधार पर करती है जो आरबिट्रेरी डिस्क्रीशन पर कर सकती है। क्योंकि इसमें जुडिशियल डिस्क्रीशन नहीं है न कोई शर्त है और आप मध्यस्थता खत्म करना चाहते हैं और जिन्होंने लोन लिया है उनको खत्म करना चाहते हैं लेकिन आपका ऑब्जेक्ट क्या है ? कोई इसे समझने की कोशिश करे फिर भी कोई उत्तर नहीं और आप कहते हैं कि एक्सेप्शनल केसेज में देंगे, लेकिन इसमें एक्सेपशनल केसेज के वर्ड्स नहीं हैं। आप इस क्लॉज को देखें, उसमें कोई शर्त नहीं है, कोई बात नहीं है, इन्टरप्रिटेशन किस प्रकार किया जायगा। फिर लॉ का इन्टप्रिटेशन इधर उधर नहीं होता है, जो वर्ड्स होंगे उन्हीं का इन्टप्रिटेशन होगा न जाने किस समय कौन लॉ मिनिस्टर या रेवेन्यू मिनिस्टर होगा लेकिन कानून में जो वर्डस होंगे उन्हीं के आधार पर निर्णय दिया जायगा और वे कहेंगे कि फुलफ्लैज्ड और पूरे अधिकार दिये हैं और डिस्क्रीशन पर कोई पाबन्दी नहीं है। मैं फिर आपको बतलाना चाहता हूँ कि जो क्लॉज आपने रखा है उसके आधार पर जमींदारों और बिस्वेदारों ने जो लोन लिया है चाहे कितने ही रुपये हों आप उन्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन किस आधार पर यह कहीं नहीं रखा। लेकिन आपने जो विचार रखा एक्सेप्शनल केसेज में उसे मैं नहीं समझ सका कि किस हालत में कौनसा एक्सेप्शनल केस हो सकता है। जो कोई जमींदार या बिस्वेदार दरख्वास्त करेगा वह कहेगा

Page No.66

(श्री मूलचन्द डागा)

कि मैंने इतने रुपये उधार लिये थे उनसे मैंने नहर बनाई, धोरा बंधाया और ये ये काम किये तो आपको उसे देना पड़ेगा। तो मैं यह अर्ज करूं कि आपने जो वर्ड्स रखे हैं उनसे यह मालूम नहीं होता कि आप क्या देना चाहते हैं और किस रूप में देना चाहते हैं और जो आपने एक्सेप्शनल केसेज़ के लिए कहा है वह कौन सा एक्सेप्शनल केस होगा, इसके लिये वापिस अमेन्डमेन्ट आयगा या क्या होगा, यह मुझे पता नहीं है फिर भी मैं अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ में जो अमेंडमेंट श्री मूलचन्द डागा ने रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय। जो इसके पक्ष में हैं वे 'हां' कहें और जो विपक्ष में हैं वे 'ना' कहें। हां पक्ष जीता। अमेन्डमेन्ट वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री मूलचन्द डागा : चेयरमेन महोदय, मैं अपना अमेन्डमेन्ट विद्ड्रा करता हूं।

श्री पी० के० चौधरी [फुलेरा] : सभापति महोदय, क्लॉज ४ के पार्ट में मेरा जो अमेन्डमेन्ट था और उसका मंत्री महोदय ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसका क्लीयर मतलब फर्स्ट क्लीयेरेन्स है। यदि यह मतलब है तो यदि वर्ड्स स्पेसिफिक हो जाते तो अच्छा होता जो वर्डिंग्ज हैं एग्रीकल्चरल पर्पज के लिये एडवान्स किया है उसमें भी अनियमितता हो सकती है। मैं मानता हूं कि ज्यादा स्पेसिफाइ करते तो ज्यादा अच्छा रहता।

जहां तक सब क्लॉज (२) के पार्ट [बी] का सवाल है स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार देने का, लोन्स माफ करने का और ऐसे लोन्स है जो उन्होंने लिये हैं लैण्ड के इम्प्रूवमेन्ट के लिये उनको माफ करने के हक में उन्होंने दो ही आर्ग्युमेन्ट्स या दलीलें पेश की हैं। ऐसे बहुत से केसेज हैं जिनमें जो मुआवजा या कम्पेन्सेशन मिलेगा उनके लोन का अमाउन्ट उसके मुआवजे से ज्यादा हो सकता है। इसलिए हम उसके कम्पेन्सेशन में से डिडक्ट नहीं कर पायेंगे। इसलिए रेमिट करने की जरूरत महसूस की है। मेरा इस पर जो ऑब्जेक्शन है वह दो कारणों से है। एक कारण तो यह है कि मान लीजिये हमने लोन दिया है तो हम जब लोन देते हैं तो उसकी प्रोपर सिक्योरिटी रखते हैं। देअर आर अदर सिक्योरिटीज फोर एन्श्योरिंग दी लोन। क्योंकि गवर्नमेंट जब लोन देती है तब सिक्योरिटी का पहले ख्याल रखती है। आज तक इन एब्सेन्स ऑफ सिक्योरिटी लोन बहुत कम दिया गया है और उस लोन को रिकवर करने के कई तरीके उनके पास हैं, कई प्रोसीजर हैं और जिन प्रोसीजर्स से दूसरे काश्तकारों से वसूल करते हैं उन्हीं प्रोसीजर्स से जमींदारों से भी लोन रिकवर कर सकते हैं उसके लिये स्पेशल स्टेचुटेरी प्रोविजन करें कि माफ कर सकते हैं यह बिना जरूरी है। क्योंकि वैसे भी सरकार लोन माफ करती है और सब कुछ करती है और ऐसी सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों मिसालें मिल सकती हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट किसी पर्टिकुलर पोजीशन या सर्कमस्टान्सेज के कारण लोन पे-अप करने की पोजिशन में नहीं है तो उसका पीरियड एक्सटेन्ड किया गया है या माफ किया गया है। रिकवरी के लिये रेगुलर मशीनरी है और रेमिट भी एग्जीक्युटिव डिसीजन से कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। कि किसी को लोन दिया है

[श्री पी० के० चौधरी]

और वह उसे रेमिट नहीं कर सकता तो उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। आज जो कांस्टिट्यूशनल ऑथोरिटी है उससे आप रेमिट कर सकते हैं और बाइ एग्जीक्युटिव डिसीजन कर सकते हैं। उसके लिये स्टेच्यूटरी एक्ट में प्रोविजन लाने की क्या जरूरत है कि हम रेमिट कर सकते हैं। इसका मतलब, यह मकसद समझ में नहीं आता। मैं एक परिस्थिति जरूर विज्युलाइज करता हूं और वह यह है कि इस बिल के पास होने के बाद मंत्रीजी के इर्द गिर्द सब जमींदार और बिस्वेदार इकट्ठे होंगे क्योंकि हम इतना तो मानते हैं कि उनमें से सेन्ट पर्सेन्ट नहीं तो कम से कम ६०-७० पर्सेन्ट तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन लिया होगा और आज स्टेट इस पोजिशन में है कि कम से कम एग्रीकल्चरल पर्पजेज के लिये ऑलमोस्ट एवरी पर्सन कनेक्टेड विद लैंड हैं उनको लोन दे सकती है। जमीन और काश्तकारी से जिनका संबंध है उनमें से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लोन नहीं लिया हो। अब यदि वह लोंग टर्म लोन है तो उन्होंने प्रोपर सिक्योरिटी पर लोन दिया होगा। इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो गवर्नमेन्ट ने इन्डिस्क्रीमिनेटली लोन एडवान्स किया है, बगैर सोचे समझे, बगैर सिक्योरिटी के, सिक्योरिटी के प्रोविजन को न देखते हुए, उसको वायलेट करते हुए एडवान्स किया है और दूसरा यह कि लोन रिकवरी का प्रोपर तरीका है उस तरीके से किया है, तब रेमिटेन्स की बात पैदा नहीं होती। रेमिटेन्स की बात स्पेशल सरकमस्टान्सेज में पैदा होती हैं, उस पर एग्जीक्युटिव का डिसीजन होना चाहिए, इसलिए मैंने इसके डिसीजन के बारे में संशोधन किया। दूसरी बात, जो यह क्लॉज है, यह ब्लेन्क पावर्स देता है एग्जीक्युटिव को, ब्लेन्क पावर इन स्टेटयूट देते हैं, इन एन एक्ट देते हैं। मैं, समझता हूँ It is bad in taste also. यह लेजिस्लेटिव वे से डिफेक्टिव है, यही नहीं मोरेल्ली और सब तरह से यह ठीक नहीं लगती है। जब ब्लेन्क पॉवर्स देते हैं तब या तो यह ले-डाउन करते हैं कि in such and such conditions, loans should be remitted. स्पेसिफाईकर देंगे। लोन रेमिट करे जाते, जैसा मैंने कहा था, जो माइनर केसेज़ हैं, उनके लिए प्रोविजन हो जाय तो कोई बात नहीं है। लेकिन ब्लेन्क पॉवर्स रखते हैं लोन रेमिटेन्स करने के लिए तो उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब लोन एडवान्स किये थे उस पर सिक्योरिटी का प्रोविजन रखते। मैं मानता हूं कि बिल लाने के टाइम पर गवर्नमेंट ने सोचा नहीं कि क्या परिस्थितियां होंगी और लोन रिकवर नहीं होगा और फिर रेमिट करना पड़ेगा। मैं मानता हूं इन परिस्थितियों का ख्याल लोन एडवान्स करते वक्त नहीं था, इसलिए उस समय प्रिकॉशन नहीं लिया They have lapsed their due while advancing loan. इसलिए मैं मानता हूँ कि इस क्लॉज़ की जरूरत नहीं है क्योंकि जो एक्सेप्शनल केसेज़ हैं उनके बारे में गवर्नमेंट डिसीजन कर सकती है। इसलिए जो माननीय मंत्रीजी का ऑर्ग्युमेंट है, उससे न तो मैं कनविन्स्ड हूं और न सहमत हूँ..

(फिर भी, फिर भी आवाज)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर भी विद्ड्रॉ करने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री पी० के० चौधरी : Then I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ में श्री पी० के० चौधरी ने जो अमेंडमेंट रखा है, उसको वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

आज्ञा दी गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ को स्वीकार किया जाय।

क्लॉज़ ४ को स्वीकार किया गया।

श्री सभापति : क्लॉज़ ५। श्री पी० के० चौधरी, So you have got two amendment.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Only one Sir.

श्री सभापति : One with regard to deletion of part A and with regard B as well, Is it ?

श्री पी०के० चौधरी : Only one, Sir.

श्री सभापति : So I want you to move; if you have go to move the amendment in one instalment.

श्री पी०के० चौधरी : Only one I have got that in sub clause 2 part, 1 may be deleted.

सभापति महोदय, पार्ट १ में यह लिखा गया है :

"All Groves wherever situated and recorded in the annual registers before the date of vesting as belonging to and being held by the Zamindar or Biswedar or other person and the land under such groves shall be deemed to be settled with him by the State Government on such terms and conditions as it may determine, and......"

सभापति महोदय, मैं तो ग्रोव लैंड का प्रॉवीजन रखने की भी कोई जरूरत महसूस नहीं करता हूं। मैं जानता हूं कि जो सीलिंग का बिल आया है उसे ग्रोवलैंड के एरिया के लिए प्रोविजन है........

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मेरा अमेंडमेन्ट पार्ट बी में था और All private buildings placesof worship or wells situated...

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका आ जायगा।

श्री मूलचन्द डागा : बाद में आ जाएगा।

श्री सभापति : यह क्लॉज पांच चल रहा है।

श्री पी० के० चौधरी : ग्रोवलैंड के लिए स्पेशल प्रोविजन इसमें प्रोवाइड करना, मैं समझता हूँ कोई जरूरी नहीं है। और अगर ग्रोवलैंड के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करना था तो हमारे पास स्टेटिसटिक्स होने चाहिए कि आज कितने एरिया में ग्रोवलैंड है, जिन ग्रोवलैंड को एग्वीजिशन करने का और सेटलमेन्ट करने का सवाल है, उनके सम्बन्ध में मान लीजिए कि आपके पास स्टेटिसटिक्स नहीं हैं और एक आध ही ग्रोवलैंड का सवाल है, ऐसा नहीं है कि तमाम जमींदारों और बिस्वेदारों ने, सब ने अपनी ग्रोवलैंड बना रखी हो, इसलिए ऐसा प्रोविजन हो। जब माननीय मन्त्रीजी रिप्लाई देंगे तो मैं

Page No.69

(श्री पी० के० चौधरी)

उनसे जानना चाहूंगा कि ग्रोवलैंड की क्या तादाद है How many groves are there ? और उनका एरिया क्या है, प्रपोर्शनेट एरिया क्या है ? जो आज जमींदार और बिस्वेदार के लैंड हैं उसमें What is the proportion of the land ? जिस ग्रोवलैंड को आप ओक्यूपाई करते हैं जो डिस्प्रपोर्शनेट होगी, मैं समझता हूँ उसको एक्सक्लूड करने से पहले We should have a special legislation for it. लेकिन स्पेशल लेजिस्लेशन न करें, जहां तक मेरा ख्याल है, हालांकि मैंने सीलिंग बिल को नहीं पढ़ा है, ग्रोवलैंड के लिए एक स्पेशल प्रॉविज़न, एरिया के सिलसिले में हैं। तो यहां जो क्लॉज/एक्उवीजिशन का रख रहे हैं, सेटलमेन्ट का क्लॉज़ रख रहे हैं उसमें ये सबके सब प्रॉविज़न्स हैं। इसलिए इन एन्टीसिपेशन सीलिंग, सीलिंग बिल आने से पहले इन प्रॉविज़न्स से क्या पर्पज सर्व होगा ? यदि सीलिंग के प्रॉविज़न्स को ख्याल में रखते हैं और उनको ख्याल में रखते हुए बिल पास करते हैं तो ग्रोव्ज के लिए स्पेशल प्रॉविज़न देने की जरूरत नहीं होती। स्पेशल प्रॉविज़न इसमें रखते हैं और सब्जेक्ट टू सीलिंग प्रॉविज़न्स रखते हैं, जबकि सीलिंग बिल में, जहां तक मेरा ख्याल है, स्टेट गवर्नमेन्ट का डिस्क्रिशन रखा है ग्रोव्ज सेटिल करने का या नहीं करने का, देने के लिए या नहीं देने के लिए, यह गवर्नमेन्ट के हाथ में रहेगा। यहां पर कम्पलसरी कर देते हैं :

"subject to the ceiling provisions... whether you don't retain the discretion with you we are not to settle theat..."

यहां कम्पलसरी करते हैं जब कि सीलिंग बिल में कम्पलसरी नहीं कर रहे हैं। उसमें एरिया रख रहे हैं कि कितना एरिया दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह कॉन्ट्राडिक्शन होगा। मान लीजिए कि एक जमींदार या बिस्वेदार के पास काफी ग्रोवलैंड का एरिया है, इस क्लॉज़ में आप यह कम्पलसरी कर रहे हैं, फर्ज कीजिए एक महीने बाद, दो महीने बाद सीलिंग बिल पास होता है, तीन महीने बाद सीलिंग बिल पास होता है और ग्रोवलैंड के एरिया को फिक्स करने का डिस्क्रिशन आपके हाथ में है कि कितना एरिया करेंगे और किस टाइप का ग्रोवलैंड आप देंगे, वह तय करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि यह कॉन्ट्राडिक्शन होता है। यदि यह क्लॉज़ नहीं भी हो तो भी इस ऑर्डिनेरी लॉ के अनुसार भी, यदि गवर्नमेंट चाहे तो सेटिल कर सकती है, न चाहे तो सेटिल नहीं कर सकती है। इस क्लॉज़ के जरिये कम्पलसरी सेटलमेन्ट करना होता है। मैं इसको रिग्रेसिव और रिट्रोगेटिव स्टेप मानता हूं। इस क्लॉज़ को नहीं रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइन्ट ऑफ व्यू से भी। इसमें जो अमेन्डमेन्ट रखा है कि जो क्लॉज़ ग्रोवलैंड को कम्पलसरी सेटिल करने के लिए रखा है, इसको नहीं रखा है।

श्री सभापति : श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा।

[अनुपस्थित]

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : सभापति महोदय, मैंने दो अमेंडमेंट पेश किये थे और मेरे अमेन्डमेन्ट सीधे सादे हैं। मन्दिर एक भगवान का स्थान है, जहां सब लोग रोज जाते हैं, उसे जमींदार अपना बना ले, अपने काम में ले, इसे आप पसन्द नहीं

(श्री मूलचन्द डागा)

करेंगे। जहां पर कोई मन्दिर होता है, धर्म का स्थान जहां होता है, उन धर्म के स्थानों पर यह होता है कि वहां की जनता, प्रजा, वहां के रहने वाले लोगों के द्वारा ऐसे स्थानों के लिए रकम खर्च की जाती है। यद्यपि उन जगहों पर उन लोगों का अधिकार नहीं होता है। मैंने कई जगह देखा है कि जमींदार, अपने मकान का जो घेरा डालता है, उस घेरे में ऐसा स्थान होता है, जिसके अन्दर अक्सर लोग आया जाया करते हैं, वहां उठते बैठते हैं, जनता उन्हें अपना मकान समझती है। कई मकान तो ऐसे देखे गए हैं, जिन मकानात में गांव के छात्र पढ़ते हैं, वहां पर इकट्ठे होते हैं, वहां उनकी चौपाल बन जाती है, वे वहां बैठते उठते हैं, वहां डिस्कशन करते हैं, वाद विवाद करते हैं, अपने गांव की समस्याओं को हल करते हैं, उन जगहों पर, जो जगह जागीरदार, जमींदार या बिस्वेदार के घर में आ गई है, उन जमीनों के, उन स्थानों के, उन मन्दिरों के लिए आपने प्लेस ऑफ वरशिप लिखा है। उन स्थानों को जागीरदार जमींदार या बिस्वेदार को देना चाहते हैं। इसलिए मेरा यह संशोधन है कि उन स्थानों को, जिन स्थानों को पब्लिक या जनता के लोग अपने काम में लेते हैं, जिन्हें इजेक्टमेंट का अधिकार मिल चुका है जो एक्ट में लिखा है कानूनन इजेक्टमेन्ट का अधिकार मिल चुका है, जहां पर जनता कई साल से बराबर आती जाती है, काम में लेती है, जनता धन खर्च करती है और जो जमींदार के घर में आ सकते हैं, किन्हीं कारणों से लेकिन जनता उनका उपयोग करती है, उनको जनता के काम के लिए रखा जाय। इसी प्रकार से मैंने कुँओं के लिए किया है, ऐसे कई कुँए हैं जिन कुँओं से जनता बराबर पानी लेती है।

यद्यपि उन कुओं के बारे में कहते हैं कि जमींदार साहब अपने बगीचे को इन कुँओं से पानी पिलाते हैं और जमींदार साहब ने सेटलमेंट में अपने नाम पर उस कुँए का इन्दराज करा लिया है पर जिस कुँए पर उस गांव के लोग, उस कस्बे की जनता पानी भरती है, उस कुँए को अपने काम में लेती है तो मैं प्रस्ताव करूंगा कि दो स्थानों को, प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप और वैल्स ये अगर पब्लिक के यूज में आते हैं तो उन स्थानों को सार्वजनिक स्थान घोषित कर देना चाहिये और इन दोनों को जमींदारों की प्रोपर्टी नहीं माननी चाहिये। प्राइवेट प्रोपर्टी ऑफ जमींदार में जिन जिन चीजों को आपने लिखा है, उनमें इन दो जगहों को रखा है। मान लीजिये रामदेवजी का मन्दिर है, हनुमानजी का मन्दिर है, उनको उन गांवों और कस्बों के लोग काम में लेते हैं पर उनके लिये भी आपने कह दिया है कि इनको भी तुम सम्हालो। मैंने वर्ड्स लिखे हैं :

"The places of worship or wells in the use of public"

जिन पर पब्लिक का अधिकार हो चुका है, पब्लिक जिन्हें काम में लेती है। एक गांव में एक स्कूल बना हुआ है। उसमें विद्यार्थी वर्षों से अध्ययन करते जा रहे हैं, जब जमींदारी रिजम्प्शन हुआ तो गांव वालों ने कहा कि हमने पैसे दिये हैं, श्रमदान दिया है, यह स्कूल गांव के सैकड़ों वर्षों से काम आता है, यह हमारी प्रोपर्टी है पर आपके इस कानून से यह उस जमींदार की वस्तु बन जायगी। मैंने उन दो चीजों के लिये लिखा है कि अगर ये पब्लिक के काम में आते हैं तो वैल्स को और मंदिरों को, भगवान के घर को, मेहरबानी करके जमींदारों के सुपुर्द मत करिये। भगवान का

(श्री मूलचन्द डागा)

घर तो सब के लिये खुला रहना चाहिये । एक संशोधन तो यह रखा है ।

दूसरा यह रखा है कि सब-क्लॉज़ २ में आपने तालाबों को उनके सुपुर्द कर दिया । आज तक इनके बारे में बड़े बड़े झगड़े चलते हैं । एक तरफ तो सिद्धान्त की बात करते हैं, बातें इतनी ऊंची करने लग गये हैं कि जमीन परमात्मा की है, बरसात परमात्मा करता है, लोग बीच में क्या मांगते हैं और दूसरी तरफ यह करते हैं कि तालाब, पोखर हैं वे जमींदारों को दे दिये जायं, मैंने यह संशोधन किया है कि :

"Delete part (ii) of sub-clause (2)"

आपने कहा इन पर क्या होता है ? जमींदार बिस्वेदार क्या करते थे कि जहां तालाब में पानी कम हुआ, थोड़ा पानी सूखने पर तालाब में काश्त कर लेते हैं, जमींदार अपने लठ के बल पर उनमें काश्त कर लेते हैं, गांवों में, उनका मुकाबला कौन करें । तो आपने कहा कि आपने काश्त किया है इसलिये यह तालाब पोखर आपको दे दिया । इधर जमींदारी बिस्वेदारी जब्त की और उधर से वे इन पर अधिकार कर लेंगे । और गांव वालों को कहेंगे कि हम तुम्हें इनसे पानी नहीं पीने देंगे, इन पर हमारा कब्जा है, ये हमारे है । ऐसा ही चाणोद ठिकाने में हुआ , नीमाज ठिकाने में हुआ और राणा तालाब पर हुआ । राणा तालाब पर इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ने २० हजार रुपया लगाया सारे के सारे तालाबों पर ठाकुर साहब कहते हैं कि हमारा कब्जा है, ये हमारे हैं, २० हजार रुपए सरकार के लगे हुए ठप्प, इन्जेक्शन दे दिया । प्रकृति ने पानी बरसाया, आप कहते हैं कि जमींदार काम में लेते हैं । वे तो हर चीज को काम में लेते थे, वे तो अपने आपको ऊपर से आया हुआ समझते हैं । उसकी तो आदत थी कि मेरे घोड़े इसमें नहायेंगे, तुम इसका पानी पीओ चाहे मत पीओ । उसी व्यक्ति को आप कहते हैं कि ये तालाब, पोखर आप ले लें, काश्त करें और खूब आराम से रहें । आप यह नई प्रथा चलाना चाहते हैं कि जो मालदार हैं उन्हें और मालदार कर दें । यह तो उसके लिये और अच्छा हुआ कि लम्बी लम्बी जमीनों को सम्हालता था, अब केवल चांदी के सिक्के सम्हालेगा । आपने दिया है :

"All tanks, ponds and embanknets belonging to and held by Zamindar or Biswedar or any other person"—

तालाब किसी जागीरदार ने बना दिया । तालाब जागीरदार ने बनाया या चैत बैसाख महीनों से गीत गा गाकर गांव वालों ने तालाब खोदे हैं, माथे पर बोझा उठा कर खोदे हैं । गांव वालों ने पोंड्स को तैयार किया है, और उन्हें आप जमींदारों को सौंपना चाहते हैं । क्योंकि जागीरदारों और जमींदारों ने अपने लठ के बल पर उन पर अधिकार कर लिया और आप उनको सौंपते हैं । जमींदारी खतम होते ही वे लोग कहेंगे कि तालाब, पोंड्स के अधिकार मुझे मिल चुके हैं । कानून को तो किसी भी तरह तोड़ मरोड़ कर रखा जाता है । गांवों में तालाब, पोखर कितने हैं ? आपने क्या समझ रखा है कि दस, पांच तालाब, पोंड्स एक गांव में होते हैं ? जमींदार गांववालों को वहां पानी पीने से मना करेगा कहेगा कि मैं तो इसे खेती करने के काम में, सिंचाई के काम में या और कोई काम में लूंगा, पानी नहीं पीने दूंगा । जो चीज

Page No.72

[श्री मूलचन्द डागा]

पब्लिक काम में ले रही है, जनता काम में ले रही है, उसको आप जमींदार बिस्वेदार की प्रोपर्टी में न मानें, इसलिये मैंने ये दो संशोधन रखे हैं। (श्री रघुवीरसिंह और अन्य माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

और ज्यादा तो इसका उत्तर मिलने के बाद में मालूम होगा।

श्री सभापति : पहले जितने संशोधन हैं वे मूव हो जायं, फिर आप बोलें।

श्री रघुवीरसिंह : मेरा संशोधन है।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : सभापति महोदय, क्लॉज़ ५ के अन्तर्गत सब क्लॉज़ (१) के पार्ट में मेरा छोटा सा संशोधन है। यदि इस क्लॉज़ ५ को पढ़ा जावे और ध्यान से देखा जावे तो ऐसा प्रतीत होता है कि क्लॉज़ ५ के सब क्लॉज़ (१) के नीचे :

(a) all houses sites purchased by the Zamindar or Biswedar or by his predecessor-in-interest or by any other person for valuable considaration,

(b) all private buildings, places of worship or wells situated in such house-si es as are mentioned in clause (a) and in Khudkasht land, belonging to and held by the Zamindar or Biswedar or any other person at the date of vesting. तो इस क्लॉज़ की मन्शा यह नहीं कि जमींदारों या बिस्वेदारों ने जमीन पैसे देकर खरीदी, साइट्स खरीदे, उस गांव की जमीन पर, उस पातावत को जमीन पर, प्राईवेट बिल्डिंग या पूजा के स्थान या कुंए वगैरह होंगे वे जमींदारों के समझे जावेंगे और उनकी प्राईवेट प्रोपर्टी होगी। इसका मतलब यह होगा कि यदि उसने पातावत की जमीन कीमत देकर नहीं खरीदी है और उसके पास यदि उसका कोई सबूत नहीं हो तो उस सबूत के अभाव में उसको अपनी घर की रहने की भूमि, मकान आदि से भी उसको निकाल दिया जावेगा। ऐसी इसकी मन्शा बनती है। इसलिये मैंने इसमें यह संशोधन किया है। क्योंकि वास्तव में जो उनके हकूक थे, जो बिस्वेदार और जमींदारों के हकूक थे उसके अनुसार गांव के पातावत की जमीन में मालिकाना हक उनको हासिल था और उनको उस जमीन को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे किसी खेत पर काश्त कर सकते थे, किसी भूमि खंड पर वे अपना मकान बना सकते थे। उनको उसमें कोई रुकावट नहीं थी। इसलिये उनको इस तरह से रजिस्ट्री आदि कराने और मकान खरीदने की आवश्यकता नहीं थी और न वे लोग कोई इस चीज को साबित कर सकते हैं। इसलिये इसका नतीजा यह होगा कि उनकी जमींदारी गई सो गई उनके मकानों को भी उनको छोड़ना होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि "purchased by" "posessed by" के स्थान पर कर देना चाहिये। यही मेरा निवेदन है और मैं आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे अन्यथा इससे जो परिणाम होगा वह बड़ा भयंकर होगा। एक तरफ तो प्राईवेट प्रोपर्टी देने की बात करते हैं और उनको हकूक देते हैं और दूसरी तरफ आप उनको घरों से निकाल देते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सभापति महोदय, मैंने क्लॉज़ ५ के सब क्लॉज़ में प्रोवीजो जोड़ा है। क्लॉज़ ५ में बताया गया

[श्री दयाकृष्ण विजय]

है कि प्राईवेट बिल्डिंग्ज हों या उसके अन्तर्गत वैल्स या प्लेस ऑफ वर्शिप हों, मन्दिर आदि हों तो वे जमींदार या बिस्वेदार के समझे जावेंगे। मैंने इसमें यह निवेदन किया है कि अगर कोई प्राईवेट बिल्डिंग में देवालय हो या कुआ हो और उस कुंए पर सारी जनता या पब्लिक सार्वजनिक रूप से उस कुंए का उपयोग करती आ रही है तो उस पर यह क्लॉज़ किसी प्रकार से भी अपना प्रभाव नहीं डालेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जमींदारी एबॉलिशन का इतिहास बड़ा लम्बा है। सन् १६४६ से आज तक ६ साल का अर्सा हो गया है। इस नो साल के अर्से के बाद आज हम इसको पास करने जा रहे हैं। आज हम इसको पेश कर पाये हैं। कब यह लागू होगा, यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह एक विचार हमारी सरकार के मस्तिष्क से निकला और जमींदारों और जागीरदारों के कानों में पड़ा तो उन्होंने इस प्रकार की संपूर्ण सम्पत्तियों को अपनी घोषित किया। कई जगह पटवारियों के रेकॉर्ड या रेवेन्यू रेकॉर्ड में उन लोगों ने अपने नाम पर जमीनों को लिखवाया जो पहले नहीं लिखी हुई थी। इसका मूल कारण यह था कि इन जमींदारों के यहां पर रहने वाली जनता अशिक्षित थी और उन लोगों को यह मालूम नहीं था कि हमारे जमींदार क्या कर रहे हैं? उनको यह मालूम नहीं था कि वे लोग अपने नाम पर देवालय करा रहे हैं या जो कुछ भी कुंए आदि थे उनको अपने नाम पर लिखा लिया है। आज जब जमींदारी एबोलिशन करने जा रहे हैं तो आपके सामने जो वर्तमान रेकॉर्ड होगा आप इसको ही सही मानेंगे। इन ६, १० वर्षों में क्या क्या नहीं हुआ है? यह आप खुद जानते हैं कि भारी परिवर्तन हो गये हैं। उन लोगों ने जमीन को अपने बच्चों के नाम लिखा लिया है, जब उनको मालूम हुआ कि सीलिंग आ रही है। जागीरदार लोग सीलिंग के प्रभाव से बचने के लिये जो कुंए थे उनको भी अपने खातों में लिखाते हैं। आज कितने ही सार्वजनिक स्थानों को उन्होंने अपने खातों में लिखा लिया है। कितने ही देवालयों को उन्होंने अपने नाम लिखा लिया है। आज इतने दीर्घ काल के बाद जब जब हम उनके मनसूबों को खत्म करने की बात कहते हैं और उस पर विचार करते हैं तो हमारे सामने आता है कि उन्होंने जो कुछ सोचा है उसको किसी प्रकार सुन कर कार्य किया है, यह सारा हमारे लेजिस्लेशन के सामने है। हमारे माननीय मन्त्री महोदय ने उनको पूरी सुविधाएं दी हैं और वे देते आ रहे हैं। आज जमींदारी का इतने वर्षों के बाद उन्मूलन का विषय शुरू होता है। आपने जागीरदारी का आज से तीन वर्ष पहले उन्मूलन किया क्यों नहीं? आपने उसी समय जमींदारी को भी समाप्त किया। आज जमींदारी ६ साल बीत जाने के बाद भी समाप्त नहीं हुई जब कि दूसरी स्टेटों में कभी की समाप्त कर दी गई। हमने एल०एल०बी० में यह पढ़ा था लेकिन राजस्थान में सीलिंग की रिपोर्ट हमको अब देखने को मिलती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): On a point of order, Sir. The quoram does not seem to be complete.

श्री सभापति : You are correct.

श्री सतीशचंद्र : It is your responsibility.

श्री दामोदरलाल व्यास : I know my responsibility.

Page No.74

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने लंबे अर्से में जमीदारों ने अपने नामों पर बावड़ियां और बिल्डिंग्ज़ लिखवा ली हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतने दीर्घ काल के बाद हमें सारे इतिहास को देखना होगा कि सार्वजनिक स्थानों का तो आज उन्होंने कब्जा नहीं किया है। आज इस बात को हम सब स्वीकार करते है कि जमींदारों के यहां पर लोग शिक्षित नहीं थे और जमींदार लोग बड़े चतुर थे। इसके अलावा यहां पर एक मालिक था और दूसरे सभी मजदूर थे। इसलिये उन्होंने जो कुछ चाहा किया। चाहे उनको खातेदारी राइट थे या नहीं। माननीय मन्त्री महोदय ने इन्कार कर दिया कि उनको खातेदारी राइट्स दिये जायें। आप उनके महलों की बातें कर रहे हैं, उनको स्वीकार भी कर लेते हैं मगर जहां सार्वजनिक उपयोग में आनेवाली बिल्डिंग्ज़ हैं, देवालय हैं, उनको भी उनके हाथ में देते हैं तो फिर आप पब्लिक को परेशानी में डाल देते हैं। आप देखेंगे कि जमींदार बड़े बड़े गांवों में नहीं है, वे छोटे छोटे गांवों में ही होते है। उनका एक बड़ा मकान है और दो चार झोंपडियां रहती हैं। अमुमन लोग वहां पर झोंपडियों में ही रहते हैं। एक बडी भारी बिल्डिंग में कुंआ बना हुआ है। यदि उसको हक दे देते हैं तो पब्लिक उस पर पानी नहीं ले सकती है और वह उस पर अपना दरवाजा लगा सकता है इस पर इजेवटमेंट राइट इफेक्ट नहीं होते कुँए पर नही होते मगर वह दरवाजा जब लगा लिया तो वह जनता जिनके पास पैसा नहीं है, जिसका हमेशा से शोषण होता रहा है, वह कैसे अदालत में जावेगी। वे निरक्षर हैं इसलिये उनकी रक्षा करनी चाहिये। आप उनको कहते हैं कि आपके लिये अदालत में जाने का दरवाजा खुला है। आप जाइये और अदालत का दरवाजा खटखटावें। आप उनके हाथ में एक प्रकार की तलवार देना चाहते हैं कि वे उनके लिये दरवाजे बन्द कर दें। पाठशालाएं जहां पर बच्चे पढने जावें उनको बन्द कर दे, मन्दिर है तो वहां पर पूजा करने से बन्द कर दिये जावें। आज आप उन जमीदारों को निरकुंश सत्ता देना चाहते हैं। जिस आदमी से उन लोगों का वर्षों शोषण हुआ है उसके हाथ में यह अधिकार देते हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि आप ऐसा करके उनको उलझन में डालना चाहते हैं। आप उनसे कहते हैं कि अदालत में जावें और अपना हक हासिल करें। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं। 'the places which are public places of worship.' कि जिनका सार्वजनिक रूप से उपयोग होता आ रहा है। कई वर्षों से, जिनको जमींदारों ने पटवारी के रेकॉर्ड में लिख दिये हों और अपना नाजायज कब्जा कर लिया हो, लेकिन उसका उपयोग काश्तकार ही करते आ रहे हैं, उन चीजों से उनको वंचित न करें। Add the following proviso to sub Clause (1) Provided that it shall not effect any right of the public in general, to make use of such building, place of worship and weils as the case may be, which they were enjoying on the date immediately preceding the date of vesting.' यह इसमें जोड़ दिया जाय, यह मेरा निवेदन है।

मेरा एक और अमेंडमेंट है जो सर्कुलेट नहीं हुआ है जिसको आप स्वीकार कर लेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : कौनसा अमेंडमेंट ? सर्कुलेट तो हुआ ही नहीं। That amendment has not been circulated.

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं वही बता रहा हूं और आप उसको स्वीकार कर भी लेंगे Substitute 'and' for 'or between the words all private buildings, place of worship and wells.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं इसमें दो अमेंडमेंटस मूव कर रहा हूं ।

माननीय चेयरमैन, मैं आपकी इजाजत से इस क्लाज ५ में अमेंडमेंट्स पेश करना चाहता हूं । कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने दो अमेंडमेंट्स पेश किये हैं, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है लेकिन लैंग्वेज के लिहाज से मैं मेरी तरफ से यह अमेंडमेंट्स पेश कर रहा हूं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : चूंकि मेरी तरफ से आया है इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहते ।

श्री दामोदरलाल व्यास : This is not, so.

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके संशोधन के सिद्धान्त को मैं स्वीकार करता हूं । लैंग्वेज यदि ठीक नहीं है तो आपको वह मान लेना चाहिये । आपको इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिये कि आपकी ओर से आया है इसलिए मैं उसको स्वीकार नहीं करता और बार बार सदन में इस प्रकार की बातें कही जाती हैं कि चूंकि हमारी ओर से आया है इसलिए स्वीकार नहीं करते, यह उचित नहीं है । लछमनगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने भी अमेंडमेंट पेश किया है और उसी तरह से मैं अर्ज करना चाहूं कि : After the words "all private building" insert the words "and all".

इसका मतलब यह होगा कि पार्ट (ए) में हाउस साइट्स का राइट दिया गया है वह उसी का है जो उन्होंने खरीदा हो । जहां खुद जमींदारी का है वहां उसको मालिक बना दिया जाता है :

What does he give to the State Government after resumption ?

इसलिए यह रखना जरूरी है कि हाउस साइट्स और वेल्यूबल कन्सीडरेशन Otherwise he will not be allowed to have it...प्राईवेट बिल्डिंग्स की ऑनरशिप को दखल नहीं देना चाहिये, इसलिए मैं यह वर्ड्स इन्सर्ट कर रहा हूँ ।

In part (b) After the words "all private buildings" insert the words "and all"

जिसके अन्दर यह कहा है कि हाउस साइट्स जमींदार और बिस्वेदार ने पर्चेज की है वेज्युएबल कन्सीडरेशन की होगी । उसने बिल्डिंग्स बनाई हैं तो Those buildings will belong to him.

यह अमेंडमेंट मैंने पेश किया है । इसलिए उनको जो गलतफहमी पैदा होने का अन्देशा है और इन-जस्टिस हो जायगा, वह बात इससे दूर हो जायगी । सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है और स्पिरिट वही है जो उन्होंने संशोधन द्वारा बताई है । प्रोवीजो है :

Add the following proviso—

Provided that nothing contained in this subclause shall effect the rights of the public in respect of such places of worship and wells they were enjoying immediately preceding the date of vesting.

(श्री दामोदरलाल व्यास)

यह इसमें सब-क्लॉज़ १ का प्रोवीजो है। एड करने का मेरा प्रॉविज़न है। मतलब यह है कि जितनी वर्शिप की प्लेसेज़ हैं चाहे जागीरदार जमींदार, ने अपने पर्सनल एक्स्पेन्सेज से बनाई हों लेकिन जब वहां पब्लिक वर्शिप करती आयी है तो प्राईवेट प्रापर्टी होने पर भी उसका इफेक्ट नहीं है। पब्लिक वेल्स हैं।

If this is being used by the general public those rights will not be effected. इसमें मैं ये दो अमेंडमेंट आपकी इजाज़त से पेश कर रहा हूँ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय सभापति जी, जो संशोधन पाली से आने वाले माननीय सदस्यों ने और मंत्री महोदय ने रखे हैं, मैं, उनका समर्थन करता हूँ। सबसे बड़ी बात सोचने की है और वह है तालाब के पानी के सम्बन्ध में। उस पर हमको विचार करना पड़ेगा। यदि किसी जमींदार या जागीरदार की खुदकाश्त की जमीन है और उसके बीच में तालाब है और वह पीने के पानी के काम में आता है तो क्या आप उसको पर्सनल अधिकार दे देंगे। जब तालाब में पानी कम हो जाता है तो लोग मकान बनाने के लिए मिट्टी लाते हैं और दूसरे उपयोग के लिए भी मिट्टी लाते हैं। यदि जमींदार को इस प्रकार का अधिकार दे देंगे तो फिर वह नहीं लेने देगा। पीने के पानी की कमी पड़ती है और खास कर राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां पानी की कमी है, जानवरों को पानी पिलाने के लिए और यहां तक की पीने के खुद के लिए पानी की दिक्कत हो जाती है इसलिए मेरा निवेदन है कि तालाब निजी हों, चाहे सार्वजनिक हों उस पर जमींदार का अधिकार नहीं होना चाहिये।

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुंदा) : सभापति महोदय, राजस्थान जमींदारी एण्ड बिस्वेदारी एबोलिशन बिल के पांचवें क्लॉज पर पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है, मैं, उसका समर्थन करता हूँ। उनके दो संशोधन एक तो जमींदार के अधिकार में मंदिर, तालाब पूजा एवं गृह आदि हैं उनके विषय में मैं जो जागीरदारी इलाका है उस ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। उदयपुर इलाके में अधिकतर जागीरदार रहते हैं और जागीरदारी इलाका होने से जागीरदारों के अधिकार में मकान हैं, जिनमें वे रहते हैं या वे मकान जिनमें वे नहीं रहते हैं और पब्लिक के लिए खोल रहे हैं, गांव के बच्चे उनमें पढ़ते हैं, प्राईवेट तौर पर गांववालों की तरफ से उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। उन मकानों का जागीरदार लोग गांव वालों से किराया लेते हैं। यदि वे मकान वापिस वे लोग ले लें तो अच्छा नहीं है इसलिए सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिये।

दूसरा जैसा कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि सार्वजनिक कुए हैं और पब्लिक पीने का पानी ले जाती हैं, लेकिन जागीरदार चाहे तो ले जाने देता है, नहीं चाहे तो नहीं ले जाने देता है। तालाब और पाखर को भी रखा है उस ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। फलासिया तहसील में, मादड़ी में एक जागीरदार हैं, वैसे उधर कई जागीरदार तालाब की जमीन को जोतना चाहते थे और इसलिये तालाब को फोड़ना चाहते थे, मजदूर लगाकर तालाब को

Page No.77

[श्री लक्ष्मण हीरात]

खाली कर फोड़ने की कोशिश की। गांव वालों ने एतराज किया इसलिए कि गांव के मवेशी उस तालाब से पानी पीते थे और उस तालाब का पानी गांव के काम आता है। मैंने जब पूछा कि तालाब क्यों फोड़ते हो और ऐसी हरकतें क्यों करते हो तो कहा कि मैं तो नाली निकाल रहा था। इसलिए जागीरदार लोग इस तरह का बहाना करके तालाब फोड़ते हैं, सार्वजनिक चीजें होती हैं उनको उपयोग में गांव-वालों को नहीं लेने देते हैं, इसलिए इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

३ म० प०

सभापति महोदय, इसके अलावा एक मेरा निवेदन और है और वह यह है कि कोई गांव है और उस गांव को जाने का रास्ता किसी जागीरदार की जमीन से है तो वैसी स्थिति में जागीरदार चाहे तो उस रास्ते से जाने से रोक सकता है। इस तरह की हरकतें आज के जमाने में भी जागीरदार लोग करते हैं, उसकी तरफ भी माननीय मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिये।

श्री रामचंद्र (डग) : सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने अभी जो अस्पृश्यता निवारण विधेयक संसद् द्वारा पास किया गया है उसको अपनाया है।

श्री श्रीभानसिंह : क्या विषय चैन्ज कर दिया गया है ?

श्री रामचंद्र : विषय चैन्ज नहीं किया गया है। आप जरा सुन लीजिये। इस बिल में यह व्यवस्था की गई है कि जो स्थान पब्लिक प्लेसेज कहलायेंगे वह चाहे कुंआ हो या मन्दिर वह सब के लिये समान रूप से खुले रहेंगे। वहां सबको जाने का अधिकार होगा। इस तरह की व्यवस्था इस कानून में की गई है। इस पांचवी क्लॉज़ के अन्तर्गत आल पब्लिक प्लेसेज वैल्स, प्लेस ऑफ-वर्शिप के बारे में राजस्व मन्त्री महोदय ने जो अपनी ओर से संशोधन पेश किया है उसका स्पष्टीकरण करते हुए ऐसी विवेचना की है जिससे कुछ भ्रम पैदा हो जाता है। आपने कहा कि जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के पहले जो स्थान पब्लिक प्लेस के रूप में पब्लिक इस्तेमाल करती रही है, वही उनको उसी रूप में इस्तेमाल करती रहेगी। मैं इस विषय में निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आपके स्पष्टीकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि जागीरदारी प्रथा के पहले स्थानों को पब्लिक काम में लेती आयी है उन्हीं को इस्तेमाल करने से क्या होगा, अर्थात् अब तक जिस रूप में जो-जो पब्लिक उस स्थान का प्रयोग किया करती थी वह प्रयोग कर सकेगी। जो पब्लिक अब तक मन्दिर में जाती रही थी या कुंओं पर पानी भरती रही थी उसी को अधिकार होगा कि वही आगे भी उन स्थानों में जाय और वही पानी भर सके। किन्तु अस्पृश्यता निवारण विधेयक में पब्लिक प्लेसेज की जो डेफीनिशन दी गई है उसके अन्दर यह है कि जो भी पब्लिक प्लेस घोषित हो जाती है वहां प्रत्येक व्यक्ति को उसके इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। अगर आपकी मन्शा यह है कि इससे पहले जो लोग जा रहे थे वे ही जा सकेंगे तो इससे आपका अभिप्राय यह हुआ कि जिन हरिजनों को पहले भी नहीं जाने दिया जाता था वे अब भी नहीं जा सकेंगे। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ आप यह भी घोषणा कर दें कि भविष्य में ऐसे स्थान सदा के लिये पब्लिक प्लेस घोषित किये जायेंगे, उनसे हरिजन भी फायदा उठा सकेंगे।

श्री सभापति : हरिजन भी तो पब्लिक में शामिल हैं ।

श्री रामचंद्र : आपने ये फर्माया है कि इससे पहले जो व्यक्ति पब्लिक प्लेस को काम में ले रहे थे वे ही ले सकेंगे । पहले हरिजनों को तो यह सुविधा नहीं थी ।

श्री सभापति : इसमें तो सब के लिये रखा गया है ।

श्री रामचंद्र : आपके और मेरे विचारों में बहुत फर्क है । पहले मुझे सुन लीजिये । इसमें एक कानूनी डिफीकल्टी रख दी है कि इससे पहले जो पब्लिक इस्तेमाल करती थी वही करती रहेगी । इससे पहले तो हरिजनों को मन्दिर और कुंओं आदि पर नहीं जाने दिया जाता था और अब भी उन्हें नहीं जाने दिया जायगा । इसलिये मेरा राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि इसे वे स्पष्ट कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, यह जो संशोधन प्रस्ताव फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ । जिस दृष्टिकोण से यह प्रस्ताव लाया जा रहा है मेरा ख्याल है कि दोनों में अन्तर लग रहा है । इस सिलसिले में अभी जो माननीय मंत्री महोदय ने संशोधन रखा है उससे गलतफहमी होने लगती है । जहां तक खुदकाश्त या खातेदारी के अधिकार मिले हैं ऐसे किसी कुंए पर हो सकता है । बहुत से लोग आते हों रास्ते चलने वाले आते हों और पानी ले जाते हों तो यह एक प्रकार से उन लोगों को कन्सेशन था । उन लोगों का पानी भरना यह उनका राइट हो गया है यह कदापि नहीं कहा जा सकता । आपके इस संशोधन से तो यह हो गया कि चाहें वह कुंआ बिस्वेदार का हो या जमींदार का हो या किसी का हो एक दफा पानी भर लिया उसका अधिकार हो गया हमेशा पानी भरने का ।

मान लीजिये किसी का मकान है प्राइवेटली पर्चेज्ड और उस भूमि में उसने एक मन्दिर बनवा लिया है उसमें बहुत से लोग आते हैं केवल आते हैं इसलिये उनका हक हो गया यह कल्पना करना बिल्कुल गलत है । यह उसके लिये हो सकता है किसी पब्लिक रास्ते पर मन्दिर बनवाया और पब्लिक के यूज के लिये बनवाया वैसे मन्दिरों पर इस प्रकार के अधिकार दिये जाते हैं तो किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती ।

मेरा खुद का मकान है और मैंने अपने पैसे खर्च करके मकान बनवाया वहां मुझे उसका एक्सक्लूजिव राइट हो गया । अगर कोई दूसरा उसका यूज करता है तो वह मेरी सहमति से ही कर सकता है । इस पर यदि दूसरे का अधिकार मान लिया जाता है तो यह प्राइवेट प्रोपर्टी राइट बिल्कुल विपरीत है । इस बारे में जो विचारधारा व्यक्त की जा रही है जो मन्दिर हैं या जो कुंए हैं चाहे वे खुदकाश्त की भूमि पर हों वहां पर आम लोग पानी भरते हैं उनको पानी भरने का अधिकार होगा या उस मन्दिर में प्रवेश करना हर एक को अधिकार होगा, यह एक विचित्र कल्पना होगी ।

श्री सभापति : It is Please throw some light on the easement by prescription.

श्री तनसिंह : If it is by operation of law or for valuable consideration... मान लीजिये किसी के कोई जमीन कन्टिन्यूअस पजेशन में है और वह यूज होती आ रही

Page No.79

(श्री तनसिंह)

है और एक आदमी के यूज होती आ रही है तो उस जमीन को सब आदमी यूज कर सकते हैं यह किस प्रकार हो सकता है। साठ साल से जो यूज करता आ रहा है वह आम लोगों के लिये यूज में आने लग जायगी, यह बात नहीं हो सकती। यह प्रश्न वहां हो सकता है जहां किसी प्रकार का विरोध न हो कन्टिन्यूअस अविश्वास की बात न हो ऐसी सूरत में जाकर राइट एक होते हैं। ये इस तरह की बातें हैं जहां लोगों का आना जाना है उसी के आधार पर सब लोग उसे यूज कर सकते हैं। तो यह इस तरह से हुआ कि एक धोबी को कपड़े दे दिये धुलने के लिये वह यूज करता है तो क्या उसका अधिकार उन कपड़ों पर हो गया। इसी प्रकार नाई है जो बाल बनाता है वह यह कह सकता है मेरा तो आपके सिर पर ही अधिकार हो गया, यह बिल्कुल बेकार बात है।

एक माननीय सदस्य : सिर नाई का हो गया या बाल नाई के हो गये।

श्री तनसिंह : मैं निवेदन यह कर रहा था कि जहां तक कोई किसी के आने जाने को रोकता नहीं जब तक उसका एक्वीजिशन रहेगा, वह मन्दिर या कुंआ सार्वजनिक सम्पत्ति हो गई यह कदापि मानने लायक बात नहीं है। मान लीजिये किसी का कुंआ है और उसमें पानी कम है वैसी हालत में पहले उसका फायदा वह उठायगा या दूसरा। ऐसी अवस्था में कानून बनाते समय यह हमें नहीं सोचना है कि हम जिनको फायदा देना चाहते हैं राजस्थान की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रख कर ही उनको फायदा दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम गांवों में झगड़े उत्पन्न करें और कानून का सही ढंग से इंटर्प्रिटेशन न होने से विवाद उत्पन्न हो। हमें देखना यह है कि आम जगह पर अगर ऐसा कोई सार्वजनिक उपयोग का स्थान बनाया है तो उसका यूज हो सकता है, उसके लिये आप प्रोविजन कर सकते हैं। पर जो किसी का प्राइवेट मकान है और उसमें उसका अपना मंदिर बनाया हुआ है, उसमें अगर कोई पुजारी पूजा के लिये आता है और उसको वह वेतन देता है तो उस पुजारी का उस मंदिर पर कोई राइट कैसे हो गया। वह कहता है कि ६० साल से पुजारी आता है, आए इससे क्या हो गया मैं उसे साठ साल से पैसा देता हूँ तो ऐसी स्थिती में उसे बिना मेरी मर्जी मेरे मकान के मंदिर में आने जाने का अधिकार कैसे हो गया। जब तक मेरी रजामंदी है मेरी मर्जी है उसका आना-जाना है, जब मेरी मर्जी नहीं होगी, मैं उसका आना-जाना बंद कर सकता हूं। इसी तरह से कोई साठ साल से मेरे मकान में आता–जाता है तो उसका मेरे मकान पर राइट कैसे हो गया। तो जो भाव व्यक्त किये गये हैं, वे संशोधन से विपरीत पड़ते हैं। अब ये राइट के जो मामले है ये तो कोर्ट से ते हो सकते है, और उसी का फंक्शन है। तो इससे झगड़े पैदा होंगे इसलिये काफी विचार इस पर किया जावे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) :- सभापति महोदय, यह जो संशोधन सुझाये गये हैं ये बड़े उपयुक्त है, अगर ये नहीं सुझाये गये होते तो धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, पर जीवन की आवश्यकता की वस्तुओं की दृष्टि से भी लोगों के सामने भारी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई होतीं।

मुझे मालूम है हमारे भरतपुर के समीप ही यू० पी० की सीमा लगी हुई है। वहां पर जमींदार एक दो नहीं, सौ, दो सौ बीघा

Page No.80

[श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी]

जमीन के ही नहीं, कई गांवों के मालिक रहे हैं, और सैंकड़ों के मालिक रहे हैं और उनका यह रौब रहा है कि यदि वे चाहे तो गांव वालों को रास्ते से भी नहीं निकलने दे। रास्तों में तालाब कुऐ ही क्या, सब कुछ उनका ही रहा है और जो उनके शिकमी जोता काश्तकार रहते थे उनकी स्थिति यह थी, जैसी फ्रांस में किसी जमाने में Hewers drawrs of wood and of water डायर की थी। उन लोगों को जहां अपने रहने के मकान तक की दिक्कत थी, जमीन जोतने के लिये मिलना तक मुश्किल था, वहां अपने कोई तालाब बना सकें या मन्दिर बना सकें, यह तो कल्पना में भी आने की चीज नहीं थी। यह कठिनाई रहती रही है।

पर यह एक अच्छी बात उस समय होती थी कि अगर कोई धार्मिक वृत्ति वाला जमींदार हो गया तो वह लोगों के लिये उपासना गृह, कुए तालाब और मन्दिर आदि भी बनवाते थे और मेरा जहां तक ख्याल है कि एक तरह से सार्वजनिक रूप में ही काम में लिये जाते रहे हैं। केवल जमींदार ही ऐसा करते थे ऐसा ही नहीं। अलवर में जहां महाराजा के महल हैं, वहां का मुझे मालूम है विजय मन्दिर महल के अन्दर ही सीतारामजी का या रघुनाथजी का मन्दिर है। वह महाराजा के महल के प्रेमिजेज में होते हुए भी हर कोई वहां जाता है।

श्री भैरोंसिंह : यह इसमें नहीं आता है

श्री सतीशचन्द्र : विदाउट बीइंग ए ला।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यही तो मैं कह रहा हूं। अब तक अवश्य ऐसा रहा है। कोई रोकथाम नहीं रही है। मगर अब कानून बनते जा रहे हैं और भूमि पर स्वामित्व उनको दिया जा रहा है तो उस दशा में यह स्वाभाविक है कि वे जागीरदार, जमींदार और बिस्वेदार इस बात को पसन्द न करें कि उनकी प्राइवेट चीजों में एन्क्रोचमेंट हो। बहुत मुमकिन है उनको भय हो सकता है कि यदि पब्लिक इनको यूज करेगी तो यह भी चली जावेगी। इस दृष्टि से भी रोकथाम करने लगे। अगर इसके वे मालिक रहे हैं तो अच्छा है। शायद मिल्कियत का तो नहीं होगा जहां तक मुझे मालूम है उनके तो मालिक वही रहें, पर उनका उपयोग का चाहे मन्दिर हो, चाहे कुंआ हो, चाहे तालाब हो, कभी स्वामित्व उनका नहीं रहना चाहिये। मैं समझता हूं इस संशोधन की यही मंशा है। यह इस दृष्टि से बहुत आवश्यक संशोधन है यदि ऐसा नहीं होगा तो लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पडेगा। कहीं कहीं तो ऐसा है कि लोग बिना मन्दिर के दर्शन किये भोजन नहीं करते। ऐसे कई तरह के नियम लोगों ने अपना लिये हैं तो उनके लिए तो जब तक दूसरे मन्दिर न तैयार कर दिये जावें तब तक उनका बन्द किया जाना मुश्किलें पैदा कर देंगी। नये मन्दिर तुरन्त बनाना कठिन है। इसी तरह से कुंओं से अगर उनको पानी लेना बन्द कर दिया तो लोगों की जानों के भी लाले पड़ जावेंगे। इसलिये इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि वह जो जमींदार के अधिकार में जाने वाली भूमि है या मन्दिर या कुंआ आदि लोगों के जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं, सार्वजनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं है, उन पर उनका अधिकार इस प्रकार का न हो कि वे साधारण जन के उपयोग में न आ सकें, उसमें रोक पड जावे। मैं समझता हूं कि इतना प्रावधान कर दिया जावेगा तो इस विधेयक की क्लॉज

[श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी]

की मंशा भी पूरी हो जावेगी और जनता की जो उचित मांग है, मांग ही नहीं, बल्कि जो उनके जीवन की आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति हो सकेगी। इसलिये मैं इन दोनों संशोधनों का समर्थन करता हूं।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं सभी संशोधनों का विरोध करता हूं। जो सरकार की तरफ से आए हुए हैं, उनका भी विरोध करता हूँ। यह जमीदारी एबॉलिशन बिल है। इसमें इजेक्टमेंट राइट के मामले कहां से आये। इसमें मालिकाना राइट तो नहीं होते। यहां यही देखना है। यह बिल तो केवल इसलिये है कि जमींदारी एबॉलिशन से संबंध रखने वाला है केवल और इसके साथ साथ खास खास चीजों को रिज्यूम करने के संबंध में है। उनके राइट्स सरकार के अन्दर क्या क्या निहित होंगे यह सवाल इसमें है? अब यह तै कर देना कि कुंओं पर कौन जाए, कौन नहीं या फलां मकान में फलां आदमी को जाने का हक है या नहीं, यह उपयुक्त नहीं है। ये तो इजेमेंट एक्ट के तहत अपने सिविल राइट तै करें।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि एवं हंसी)

इस जमींदारी एबॉलिशन बिल में इजेक्टमेंट के राइट तै कराना उपयुक्त नहीं होगा। इसमें जो भी धारा है, ठीक है। इसमें यह है कि जो मालिकाना तौर से जिसके कब्जे में है, चाहे जमींदार के कब्जे में हो, चाहे अन्य के हो, किसी के भी कब्जे में हो उनके कब्जे में रहेगी। अब किसके क्या क्या राइट्स हैं ये सिविल कोर्टस में तै कराएं। अब इसमें उपासना गृहों में कुंओं पर या किसी सार्वजनिक उपयोग में आने वाली जगह पर किसी के जाने का हक नहीं है यह यहां कहां लिखा है। तो ऐसी स्थिति में यह अमेंडमेंट अनुपयुक्त है। अगर यह रक्खा जायगा तो बहुत सी अड़चनें पैदा होंगी। जो सिविल कोर्ट के तै करने की चीजें हैं वे अगर इसमें एड कर देंगे तो उपयुक्त नहीं होगा। इसलिये निवेदन करूंगा कि सरकार जो यह भावावेश में संशोधन लाई है, वह वापिस ले। (तालियां और हंसी विरोधी पक्ष की ओर से) दूसरे माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट दिया है वह भी वापिस ले लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, यह क्लॉज़ ५ में जो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने रखा है, मैं, उसका विरोध करता हूं। कुछ ऐसा लगता है कि जन-जीवन शांतिपूर्ण ढंग से न चले और कुछ न कुछ झगड़े हर कदम पर, हर क्षण पर, हर पल पर होते रहें ऐसी कुछ मंशा दिखाई देती है। इसलिए इस प्रकार का एक संशोधन माननीय महोदय ने यहां पर रखा। मैं यह समझता हूँ कि इस संशोधन के विरोध में बोलते हुए किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक दलील दी और वह बहुत ही वजनदार दलील दी और वह यह थी कि इस बिल के स्कोप के बाहर की बात है, इस प्रकार का संशोधन रखना। बिल पेश करते हैं राजस्थान जमींदारी एण्ड बिस्वेदारी एबॉलिशन का और तय करने जा रहे हैं उसमें कि जो लोग कुंओं पर पानी भर रहे हैं और पानी भरते रहे हैं उनको ईज़मेन्ट के राइट्स रहेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं यह समझता हूँ कि माननीय राजस्व मंत्री से इस प्रकार की आशा नहीं थी कि इस प्रकार का संशोधन रखेंगे। क्योंकि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वह स्वयं कानून के जानकार रहे हैं । उन्होंने कानून की वकालत की है और मैं यह समझता हूँ कि जो व्यक्ति कानून का जानकार है, ईज़मेन्ट एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति को कोई ईज़मेन्ट का राइट है किसी व्यक्ति को कहीं से पानी लाने का, कहीं जाने का अधिकार है तो मैं, यह समझता हूँ कि ईज़मेन्ट एक्ट के तहत वह राइट क्लेम कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का ईज़मेन्ट एक्ट के तहत राइट पैदा नहीं होता कहीं से पानी भरने का, मन्दिर में सेवा-पूजा करने का, तो मैं यह समझता हूँ कि राजस्थान जमींदारी एण्ड बिस्वेदारी एबोलिशन बिल के तहत हम उस अधिकार को नहीं दे सकते । आखिर माननीय सभापति महोदय, ईज़मेंट एक्ट के तहत आज हजारों झगड़े अदालतों में चलते हैं और वह झगड़े हाईकोर्ट में भी जाते हैं और ऐसे झगड़े हाईकोर्ट तक जाने के बाद डिसीज़न होते हैं । अब झगड़ा खड़ा हो गया क्लॉज़ ५ या ६ के अन्तर्गत वह हाईकोर्ट तय नहीं करेगा, अदालतें तय नहीं करेंगी वे झगड़े तय करेंगे माननीय कलेक्टर साहब । सभापति महोदय, मुझे तो बड़ा आश्चय होता है कि इस प्रकार के डिस्प्यूट्स अगर खड़े हो गये तो वह कम्पेन्सेशन के नहीं होंगे, खुदकाश्त की जमीन अलॉट करने के नहीं होंगे व डिस्पयूट्स केवल जमींदारी और बिस्वेदारी तक ही सीमित नहीं होंगे । इन क्लॉज़ेज़ के अन्तर्गत अगर यह प्रोविज़न कर दिया तो यह भी डिस्पयूट खड़ा हो सकता है कि उनको ऐसे राइट हैं या नहीं हैं । उनको कुंओं से पानी भरने का राइट है या नहीं, सेवा-पूजा करने का राइट है या नहीं है यह राइट ऑफ डिस्प्यूट्स कौन तय करेगा, वह कलेक्टर साहब करेंगे । माननीय सभापति महोदय, कलेक्टर साहब यह निर्णय कैसे कर सकते हैं । अब मान लीजिए कि कोई कलेक्टर साहब के डिसीज़न से खुश न हो तो उसके खिलाफ वह किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता और इसके लिए उसको केवल अपील कमिश्नर के पास करनी पड़ेगी । सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि हमारे यहां के अधिकांश कलेक्टर्स ईज़मेन्ट एक्ट के नाम की भी कोई चीज़ है, इसको भी नहीं जानते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : The intention of my amendment is certainly not that the Collector will decide whether a particular section of the public has got a right to go to a particular temple or draw water from well. This law will not preclude the public from exercising their rights under common law and this special law will not interfere with those rights. I never said that the Collector will be empowered with these powers nor is the intention of the amendment. The public will continue to exercise their rights as hitherto and they will not be debarred. The civil courts will continue to take cognizance of their rights as hitherto.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जारी) माननीय सभापति महोदय मैं यह समझता हूं कि वस्तुस्थिति यही है और यही आपकी मन्शा है तो इस प्रकार का संशोधन रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है । यदि किसी व्यक्ति को, आम जनता को कहीं पर जाने का और पानी भरने का अधिकार कॉमन लॉ के अन्तर्गत है तो वह रेमिडि भी सीक कर सकता है और रिलीफ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मिल सकता है तो इस प्रकार का प्रोविज़न यहां इस कानून में करने का आपका क्या मतलब है ? अगर आपने इसके अन्दर यह प्रोविज़न कर भी दिया तो भी उसको जनरल या कॉमन लॉ के अन्तर्गत अधिकार रहेगा। आखिर उसे सारे राइट्स एस्टेब्लिश करने के लिए कोर्ट में ही जाना पड़ा। आपके कानून में संशोधन करने से क्या हुआ ? जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा वस्तुस्थिति वही है तो इस प्रकार का संशोधन रखना अनावश्यक है और इस प्रकार से कानून को और भी जटिल बनाना है। इसके अन्दर कई तरह के झगड़े खड़े हो सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं तो निवेदन करूंगा कि चाहिए तो ऐसा ही था, लेकिन प्रोविज़ो क्लॉज़ ५ जोड़ा है कि इस प्रकार से पब्लिक को राइट्स होंगे उनका किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा लेकिन इस प्रकार की वस्तुस्थिति कम है। क्लॉज़ ५ में कोई झगड़ा खड़ा हो गया तो क्लॉज़ ८ इसके बारे में यह कहता है कि : "If any dispute or question arises with respect to any matter specified in section 4 or section 5 or section 6, such dispute or question shall be referred to the Colletor of the district in which the estate vesting in the State Government by virtue of a notification under Section 3 is situate.

(2) The Collector shall, after holding, in the prescrided manner, such inquiry as he considers necessary, make such order in the matter as he deems fit." माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि क्लॉज़ ८ कीजो भाषा है जिसके अन्तर्गत सारे झगड़े क्लॉज़ ४, ५ और ६ के और यह झगड़े क्लॉज़ ५ के अन्तर्गत आते हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार का झगड़ा खड़ा हो गया तो उसको डिसीज़न के लिए कलेक्टर के पास रेफर किया जायगा और उसके ऊपर कलेक्टर साहब चाहेंगे जैसा निर्णय देंगे। इस प्रकार की व्यवस्था है। अगर निर्णय देने-वाले कलेक्टर साहब हैं तो मैं सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि जो चीजें सिविल कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन की हैं वह जुरिस्डिक्शन आप कलेक्टर को देना चाहते हैं। ऐसी माननीय मंत्री महोदय की मन्शा मालूम होती है। अगर माननीय मंत्री महोदय की मन्शा यह है कि कलेक्टर को जुरिस्डिक्शन नहीं देना चाहते तो मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ईज़मेन्ट के अन्दर कोई राइट पैदा होता है, चाहे वह किसी भी रास्ते में आने-जाने का हो, या किसी प्रकार से सीढ़ियों से आने-जाने का हो, दरवाज़े से आने-जाने का हो, कहीं से पानी भरने का हो इन सारे राइट्स के बारे में इस कानून में चाहे आपने प्रावधान किया या नहीं, जहां तक हरिजनों की समस्या भी खड़ी होती है, जहां तक व्यावहारिक रूप से देखा जाये तो कई बार इस प्रकार के प्रोविज़न करके हमारे ध्यान में यह बात लाना चाहते हैं कि अगर हम चाहें तो किसी को भी रोक सकते हैं। जो लोग दस साल से पानी भर रहे हैं और वह कुंआ किसी का प्राइवेट है और वह किसी प्रकार से किसी को अलाऊ कर देता है तो बाद में इस एक्ट के अन्तर्गत वह कहेगा कि नहीं मेरा तो राइट हो गया। फिर मैं निश्चित दावे के साथ कहता हूं कि ऐसे जमींदार भी हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति दुनियां में पैदा हो सकते हैं, वे कहेंगे कि प्रोसीक्यूशन ऑफ राइट नहीं है। ईज़मेन्ट के अन्तर्गत कोई अधिकार पैदा होता है तो जान-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बूझ कर लोग रोकना शुरू कर देंगे। मैं तो माननीय सदस्य, जो कोटा डिविज़न से आये हैं, जिन्होंने वकालात की है उनकी भावना को कद्र करता हूं और मैं स्वयं भी इस बात का पक्षपाती हूं कि पानी भरने के बारे में उनको नहीं रोका जाये, सेवा पूजा के बारे में उनको नहीं रोका जाये। लेकिन माननीय सभापति महोदय इस प्रकार का बन्धन कानून के द्वारा डालना कि जिन लोगों के राइट्स पैदा नहीं हुए हैं उनको राइट्स दिये जायें। अगर ऐसा होता है तो मैं दावे के साथ माननीय महोदय, कह सकता हूं कि वह दिन दूर नहीं होगा कि लोग कानून की शरण लेकर लोगों को इजेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जो हरिजन पिछले पांच साल से कुंओं से पानी भर रहे हैं उनको कुंओं के मालिक कहेंगे कि आपका राइट पैदा नहीं होता, हम आपको पानी नहीं भरने देंगे। क्योंकि हमने उनको जाता दिया कि आपका राइट पैदा होगा तो भी आप पानी भर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, एक आदमी पागल है, बावला है, हाथ में सिगरेट उसके लगी हुई है उसको कहा जाये कि देखो सिगरेट न फैंकना, नहीं तो आग लग जायेगी, मगर वह जरूर फैंकेगा। मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूं कि केवल हरिजनों के बारे में चिल्ला-चिल्लाकर कहने से कि हरिजनों की भलाई होनी चाहिए इससे हरिजनों की समस्या नहीं सुलझेगी, झगड़े पैदा होंगे। जो लोग आज तक पानी भरने देते थे, वे अब नहीं भरने देंगे। ....

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी स्थिति में जैसा अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने विजय मन्दिर का उदाहरण दिया, अगर कोई मन्दिर है और वह इस एक्ट से कवर नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने यह बताई कि वहां पर आज स्वेच्छा के साथ और स्वतंत्रता के साथ मन्दिर में जा सकते हैं, सेवा-पूजा कर सकते हैं। मैं यह समझता हूं कि साधारण जीवन को कानून के बंधन में जकड़ना ठीक नहीं होगा। अगर किसी जमींदार की कोई चीज काम में आती रही है, उसके किसी मकान में पंचायत की बैठक होती रही है और वह प्राइवेट प्रोपर्टी मान ली गई तो फिर हमारी पंचायत की सभा कहां होगी? इसलिए कानून में यह होना कि कहीं पर कोई भी काम होता रहा है, पंचायत की मीटिंग किसी चौपाल में होती रही है तो वह मीटिंग भी इसी तरह होती रहेगी, नहीं तो क्या हम अपनी मीटिंग पेड़ के नीचे बैठकर करते रहेंगे। क्योंकि कोई पक्की चौपाल वहां पर नहीं है। इस प्रकार के फन्डामेन्टल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अन्दर प्राइवेट प्रोपर्टी के लिये दिये जा चुके हैं। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कानून जमींदारी एबॉलिशन के लिए, राजस्थान में समस्याएं पैदा करने के लिए हैं। राजस्थान में पहले ही कई समस्याएं हैं। राजस्थान में जल की समस्या है। राजस्थान में पीने का पानी नहीं है। माननीय मंत्री महोदय पीने के पानी की जब समस्या पैदा होती है तो पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए जल बोर्ड बनाते हैं तो जल बोर्ड में ८० लाख का घाटा होता है और पीने के पानी की समस्या बनी रहती है तो जमींदारी एबॉलिशन बिल में पानी की समस्या को हल करना चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय, पीने के पानी की समस्या जल बोर्ड के द्वारा हल नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से पीने के पानी की समस्या हल करने के कलेक्टर महोदय अपने यहां जल कमेटी बनाते हैं, उसके द्वारा पीने का पानी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं दे सकते हैं। इसलिए इस कानून के द्वारा व्यवस्था कर देना चाहते हैं कि जिन जमींदारों के यहां कुए होंगे, खुदकाश्त की जमीन में कुआ होगा। उसके चारों तरफ गेहूं, चने और बाजरा वगैरह की खेती होगी। कोई आदमी पानी भरने जाता है और करीब ५ साल से वह पानी भरने जाता है उस कुए पर तो वह कहेगा कि उसका अधिकार होगा कि वह पानी भर सके, चाहे कोई उसकी खेती को नुकसान पहुंचाये और वह कहेगा कि यह कुआं मेरा है और पानी नहीं भर सकते, तो नतीजा क्या होगा कि उनके बीच में झगड़ा होगा, संघर्ष होगा। तो क्या मंत्री महोदय संघर्ष और झगड़ा पैदा करना चाहते हैं। क्या वे चाहते हैं कि इस प्रकार की समस्याएं बनी रहें, लोग झगड़ते रहें, हरिजनों और सवर्णों में झगड़ा रहे। छोटे और बड़े लोगों में झगड़ा रहे, इस प्रकार से संघर्ष पैदा करें, तो माननीय सभापति महोदय, यह कानून जो आप बनाना चाहते हैं उससे जिस प्रकार से चन्द्रमा पर कलंक लगा हुआ है उसी प्रकार से काला धब्बा हमेशा के लिए लग जायगा, अगर यह संशोधन स्वीकार हो गया तो। आपका यह संशोधन चन्द्रमा पर कलंक होगा, अगर जमींदारी और बिस्वेदारी कानून में यह लगा देंगे तो।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने अपने निजी स्थान में एक छोटा सा मंदिर बनाया और कई महानुभाव वहां आते हैं और पूजन व सेवा करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्तिगत दृष्टि से वह मंदिर बनाया है और पूजन वगैरह के लिए पब्लिक आ सकती है और हरएक पब्लिक बैठ सकती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पब्लिक प्रोपर्टी हो गई। माननीय सभापति महोदय, कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जिनमें हरएक चीज पब्लिक प्रोपर्टी नहीं बन सकती है। मैंने एक छोटा सा मंदिर बनाया है, एक छोटी सी मूर्ति उसमें राधेश्याम की ला रखी है। मैं उसकी पूजा करता हूं और सेवा करता हूँ और मेरे माननीय मित्र भाई जगदीशजी भी आते हैं और आकर वहां बैठते हैं और पूजा करते हैं, भजन करते हैं। दो साल बाद जगदीशजी कहने लगे कि मेरा राइट पैदा हो गया है, बिस्वेदारी एबॉलिशन बिल के अन्तर्गत, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सभापति महोदय, यह कानून पेश करते हैं तो क्या तमाशा पैदा करते हैं? एक मंदिर मैंने बनाया है, उसमें मैं स्वयं पूजा करता हूँ और आस-पड़ौस के लोग भी वहां आकर बैठते हैं, दर्शन करते हैं और सत्संग रहता है गांव में, और आप फिर यह राइट क्लेम करने लगते हैं कि हमें आने से रोक नहीं सकते हैं। तो इसका नतीजा क्या होगा कि मंदिर के नाम पर गुंडे आयेंगे, मंदिर के नाम पर बदमाश आयेंगे तो फिर घर की बहू-बेटियों की इज्जत कहां जायगी? आस-पड़ौस के ४ आदमियों को मैं इजाजत दे देता हूँ कि मेरे कुए से पानी भर लें और वे ही चार आदमी कुए से पानी भरने का अधिकार मांगने लगें और कहें कि राजस्थान के राजस्व मंत्री महोदय ने बिस्वेदारी कानून में एक संशोधन पेश कर दिया है और हमारा अधिकार है, उस कुए से पानी भरने का। तो नतीजा क्या होगा कि जनता में झगड़े बढ़ेंगे और पानी भरने के बहाने गुंडे और बदमाश घरों में घुसेंगे और बहू-बेटियों कि इज्जत जो अच्छे घराने की होती हैं नहीं रहेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रकार से कुछ तरीकों और कुछ परम्पराओं के नाम पर होता है। कुछ आपसी समझौते के नाम पर होता है। कुछ लोगों के अन्डरस्टेंडिंग के आधार पर जन-जीवन में होता

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आया है। मैं समझता हूं उन सब चीजों को इस कानून में ले जाकर रखें और इस प्रकार की बातों से झगड़ा खड़ा करें कि लोगों का जन-जीवन इस प्रकार से डगमगाये, उसमें गड़बड़ हो जाय, अशान्ति और अराजकता पैदा हो, तो माननीय सभापति महोदय, इन सब दलीलों के साथ माननीय मंत्री महोदय, से निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है उस संशोधन के प्रस्ताव की भावना की मैं कद्र करता हूं। लेकिन वह यहां पर फिट नहीं होती है। कोई चीज़ कहीं भी फिट नहीं होती है। कोई आदमी मर जाय और आप हंसी के गीत गायें या शादी का मौका हो और मातमी के गीत गायें तो कैसा लगेगा ? कोई बातें सब जगह एक सी फिट नहीं होती हैं। हंसी के समय हंसना चाहिए और रोने के समय रोना।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक सारी समस्याओं का सवाल खड़ा होता है, मैं समझता हूँ कि गंभीर समस्याएं आप कानून से खड़ी करना चाहते हैं लेकिन जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, इस बिल के ऑब्जेक्ट्स का जहां तक ताल्लुक है, इस बिल के उद्देश्यों के विपरीत होगा जो इस संशोधन से आप एचीव करना चाहते हैं। जिसके बारे में मंत्री महोदय ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि कलेक्टर ऐडजुडिकेशन नहीं करेगा, इन राइट्स के बारे में सिविल कोर्ट में ऐडजुडिकेशन होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सिविल कोर्ट में ऐडजुडीकेशन होने वाला है। उसका प्रोविज़न किया गया है। वह अन्डर कॉमन लॉ, ऑर्डिनेरी सिविल लॉ अपने राइट्स का ऐडजुडीकेशन सिविल कोर्ट्स में कर सकता है, बशर्ते कि ईज़मेंट पहले से प्रेस्काइब हुआ हो. २० साल से पैदा हो गया हो तो वह कर सकता इसमें इसका लगाया जाना बिल्कुल बेकार सी बात है।

इसलिए अंत में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापिस ले लें। अगर नहीं लेते हैं किसी कारण से वैसे कभी कभी ले लेते हैं वापिस और ज्यादा ज़िद नहीं करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हो जावे, परिस्थितियां ऐसी हो जायं, तो मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को पारित नहीं करें।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : माननीय सभापति महोदय, पाली से आने वाले माननीय महोदय, ने जो संशोधन रखा है उसकी मंशा से ऐसा मालूम होता है कि वे वकालत के पेशों को बढ़ाना चाहते हैं। वे हर वक्त यह समझते है कि जनता हमारे वकीलों के चंगुल में फंसी रहे।

श्री सभापति : आप बहस कीजिये। रिमार्क्स न दें।

श्री लक्ष्मीचन्द : पाली से आने वाले सदस्य के मुताल्लिक कह रहा हूँ। उनकी मंशा से ऐसा मालूम होता है कि जनता और जमींदारों में हर वक्त झगड़ा रहे। और उस झगड़े के दर्म्यान में कई लोगों को लाभ मिलता रहे, कई लोगों की वकालत चलती रहे, कई लोगों को रोटी मिले। जिन लोगों की कद्र किसी जगह नहीं होती हैं। कहीं नौकरी जिन्हें नहीं मिलती हैं.......

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : बेरोज़गारी कम होगी।

श्री सभापति : Let him speak please

श्री लक्ष्मीचन्द : तो उस प्रकार का प्रस्ताव उन्होंने रखा है कि मन्दिरों और कुओं पर हर एक को जाने का अधिकार होना चाहिए। तो सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। चंदनवाड़ा नाम के ठिकाने के घर में एक बेरा है। गांव में दूसरे बेरे भी हैं। लेकिन दूर हैं उस जगह के बेरों में कई जगह खारा पानी हो गया है। इसलिए आस पास के कई लोग उनके मकान के अन्दर जाकर पानी पीते हैं और पानी पीने के लिए लाते है। अगर यह सार्वजनिक बन जाता है तो उनको मकान छोड़ना पड़ता, है कुछ लोगों के पानी भरने जाने के लिए कुछ लोगों के पीने के पानी के कारण वह सार्वजनिक नहीं बन जाता है। सार्वजनिक जो होता है वह बन्दोबस्त में सार्वजनिक ही दर्ज किया गया है। प्राइवेट प्रोपर्टी अपने घर में है। वे किसी कारण से जाने देते हैं। कुछ सहूलियत अच्छे सम्बन्ध होने के कारण, जनता के साथ मालिक और जनता का सम्बन्ध होने के कारण वह उसको अपने घर पानी पीने के लिए, भरने के लिए जाने देता है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि उसका हक हो गया।

छाछ लेने के लिये गई और गोले की धरियानी हो गई कि गोला मेरा है," उस वाली कहावत लागू होगी जिनको अधिकार दिया था पानी पीने का, मन्दिर में जाने का उनसे टंटा होगा, इस प्रकार की परिस्थिति बनने वाली है आपस में फूट पड़ने का काम होगा और लड़ाई होगी और पुलिस बीच में पड़ेगी। जिस जनता का आप भला करना चाहते हैं और जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि हम उनकी भलाई करें उनकी भलाई होना तो दूर रहा, उसके बदले में यह होगा कि फजीता होगा और अदालतों में जाना होगा मुकदमेबाज़ी होगी, आप जैसे नेताओं के चंगुल में फंसना होगा, वकीलों का भला होगा और निर्धनों के पास पैसा नहीं होगा तो उनको हार खानी पड़ेगी। पूंजीपतियों के पैसे के लालच में निर्धन लोग लूटे जायेंगे। आज ऐसी मनोवृत्ति है कि जिसके पास में पैसा है वही मनमानी कर सकता है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दिलाई जाय, लेकिन आप तो उनको उल्टा लड़ाना चाहते हैं। गरीबों को खाने को देने के बजाय उनको लड़ाना चाहते हैं, इस प्रकार की क्यों धारणा रखी जावे।

जहां तक बेरे का सवाल है कई बार ऐसा होता है कि खेत के नजदीक कोई कुआ होता है तो गरीब काश्तकार उस कुए में से पानी पीते हैं। वहां पर पानी पीने के लिये ज्यादा जनता नहीं जाती है लेकिन आसपास रहने वाले काश्तकार उस बेरे में से पानी पीते हैं। अगर उसमें से पानी पीने दिया जाय तो किसी के घर का क्या जाता है, सिंचाई तो जैसे होती है वैसे होती ही है, लेकिन कल वह जमींदार कह देगा कि यह कुआं मेरा है, सार्वजनिक नहीं है, तुम इसमें से पानी नहीं भर सकते, तो आपस में लड़ाई होगी, टंटा होगा, आप हम दूर रहेंगे और उनका आपस में माथा फूटेगा और पुलिस के पास जाना होगा और उनको अननेसेसरी बोदरेशन होगा। आप जयपुर में बैठे ऑर्डर देंगे कि इन्क्वायरी की जाय लेकिन आप जानते है कि इन्क्वायरी करने वाले कितना भला करने वाले है, कोई कांग्रेस एम० एल० ए० यह तो कहदे कि जनता की भलाई की है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : रामराज्य वालों ने क्या की है ?

Page No.88

श्री लक्ष्मीचन्द : हम तो रामराज्य चाहते हैं। इस प्रकार के कानून बनाने मे गरीबों के साथ खिलवाड़ होगी। जिसके पैर नहीं होते उसको चलने की ताकत दें तो भी वह चल नहीं सकेगा। वे समझेंगे कि इनको हक मिल गया हैं टाकुर साहब या जमीदार साहब के कुएं के बारे में, उनके मन्दिर के बारे में और उस पर हमारा कब्जा हो गया है, लेकिन उनके कहने से कब्जा नहीं हो जायगा, सिवाय लड़ाई के। इसलिये इस प्रकार का जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसका विरोध करना चाहिये और मैं सभी महानुभावों से अपील करूंगा कि इसमें काश्तकारों का हित नहीं है, लड़ाई होने का सवाल है इसलिये सभी माननीय सदस्यों को इसका विरोध करना चाहिये।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) **:** सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी के दो संशोधन हैं और यदि हम देखें तो वे ऐसे ऐतराज़ काबिल नहीं हैं, फिर भी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत गर्मागर्म बहस की और अपने विचार व्यक्त किये उनमें से कई बातें तो इससे ताल्लुक नहीं रखती थीं।

सभापति महोदय पहले संशोधन में 'fi ary' के आगे 'and' शब्द नहीं बढ़ाया जाता है तो जो बिस्वेदार और जमीदार हैं उन पर कुठाराघात होगा। इसमें कहते हैं ;

"(b) all private buildings, places of worship, or wells situated in such house sites as are mentioned in clause (a) and in khudkasht land, belonging to and held by the Zamindar or Biswedar or any other person at the date of vesting," इसमें यदि बिल्डिंग के बाद मैं 'एंड' नहीं लगाते हैं तो कई तरह की दिक्कतें पेश होती हैं और ऐसी सूरत में हर जगह साबित करना पड़ेगा कि पर्चेज़ किया है। आप जानते हैं कि ऐसी चीजों को प्रूव करना मुश्किल होता है। कई पुराने कब्जे होते हैं। अपने मकानों के भी कई जगह टाइटल डीड नहीं होते, लेकिन कब्जा होता है। इसलिये उनका पहला अमेन्डमेन्ट मन्जूर नहीं करते है तो उससे ज्यादा दिक्कत होगी।

दूसरे अमेन्डमेन्ट के बारे में ज्यादा ऐतराज़ उठाया गया और कहा गया कि कॉमन लॉ में यह बात मौजूद है तो इसमें इसे रखने की आवश्यकता नहीं है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुराने जमाने में जागीरदारों और जमीदारों को जब अधिकार था, उस वक्त उन्होने किसी कुएं या मंदिर का निर्माण किया था, तो उन्होंने किसी व्यक्तिगत पैसे या पर्सनल मनी से नहीं किया था, बल्कि लगान से जो पैसा वसूल किया था उससे निर्माण किया और वहां पर रहने वालो जनता को यह अधिकार दिया था कि वह इनका उपयोग करे और जनता उन्हें काम में लेती थी। लेकिन जागीरदारी एबॉलिशन हो गई है और जमीदारी एबॉलिश हो रही है। जागीरदारों की तरह जमींदारों में भी दुर्भावना आ सकती है इसलिये यदि ऐसा प्राविज़न नहीं रखा जायगा तो जो जनता की प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप और वैल्स है......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जागीरदारी एबॉलिशन एक्ट में ऐसा प्रोविज़न है क्या ?

श्री सोहनलाल भटनागर : (जारी) मैं आपके सामने उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। जागीरदारों के यहां कई तालाब ऐसे थे जिन पर अधिकार जागीरदारों को दे दिया

(श्री सोहनलाल भटनागर)

गया जिनमें से ग्रामवासी पानी पीते थे, लेकिन आज उन जागीरदारों ने तालाबों को पानी से खाली कर दिया और कहते है कि यह हमारे खुदकाश्त की जमीन है, ऐसी समस्या उदयपुर डिविजन में है। इसके लिये वे ईज-मेन्ट में जा सकते हैं। लेकिन जो एक्ट हमारे सामने है उसके क्या कॉन्सीक्वेन्सेज़ होंगे और क्या उसके प्रोस एण्ड कोन्स होंगे उनको देखते हुए जो कुछ रखा है वह जरूरी है वरना जिन मंदिरों की पूजा करते थे और जिन कूओं का उपयोग करते थे कई सालों से उनसे वे वंचित रह जायेंगे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय सभापति महोदय, मैं तो इस भावना से आया था कि शायद आज जमींदारी एबॉलिशन बिल डिस्कस होगा, लेकिन यहां तो जमींदारी एबॉलिशन बिल पर न कह कर, किसी ने तो हरिजन समस्या पर कहा और किसी ने पीने के पानी के बारे में कहा और कोई-कोई तो मंदिर और मस्जिदों तक पहुंच गये और किसी ने कहा कि कैसी बिल्डिंग हों और क्या सिविल लॉ बने तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि शायद सिविल लॉ में अमेन्डमेन्ट पेश किया गया है और सदन उस पर बहस कर रहा है लेकिन हम देखें कि जो क्लॉज़ है वह है प्राइवेट प्रोपर्टीज ऑफ जमींदार एन्ड बिस्वेदार, उसकी क्या प्राइवेट प्रोपर्टी होनी चाहिये, इस पर विचार होना चाहिये।

अभी-अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो मन्दिर और कुंए हैं वे उन्हीं के पैसे से हैं जो टिनेन्ट्स और सब-टिनेन्ट्स हैं। यदि इस दृष्टि से देखा जाय और इस सिद्धान्त को माना जाय तो जिस मकान में जमींदार रहता है उस मकान का अधिकांश हिस्सा टिनेन्ट्स के पैसों का ही बना होगा, और जो कपड़े वह जमींदार पहनता है या जो खाना वह खाता होगा या खायगा वह भी सार्वजनिक पैसे से खायगा कम्पेन्सेशन के जरिये, तो उन चीजों को यदि लेना चाहते हैं जिन पर सार्वजनिक पैसा लगा है तो यह दलील है और पुरजोर दलील है कि उनकी बोडी जो मेन्टेन हुई है, उसको बोडिली रिमूव करना चाहिये यानी उन जमींदारों या बिस्वेदारों को खत्म करना चाहिये क्योंकि वे उन्हीं का पैसा खाते हैं बिना काम किये हुए। लेकिन यह दलील नहीं है। यदि यह दलील देंगे तो जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसके लिये देखना है कि लोजिक और जस्टिस क्या है। पहली बात तो मैं कहूंगा कि यह बियोन्ड स्कोप है,

३·४८ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

क्योंकि, क्या राइट होगा लैंड पर ? खातेदारी राइट था वह तो हमने जमीन पर से छोड़ दिया, जमींदार और बिस्वेदार जिनकी जमीन का स्ट्रक्चर हम बनाना चाहते हैं वे उसको छोड़ गये। अब जमींदारी, बिस्वेदारी टिनेन्ट और सब-टिनेन्ट ने ले ली। लेकिन जो मंदिर वहां पर थे उनको यदि वहां के लोगों के पैसे से बनाया है तो भी वे उसको मेन्टेन करते रहे, उसके लिये पुजारी रखा और उसको मेन्टेन किया और जो अगर उन्होंने किसी को मंदिर में जाने के लिए अलाउ कर दिया तो ऐसा करने से क्या उस पर राइट जनरल हो गया और मंदिर उनका बन गया........

एक माननीय सदस्य : Yes.

श्री श्रीभानसिंह : कहते हैं 'यस'। लेकिन लोजिक क्या है 'यस' की ? Mere 'yes' does

Page No.90

(श्री श्रीमानसिंह)

not give a sense that it contains logic.

जिसके लिए कोई लोजिक नहीं फिर भी कहते हैं कि हक हो गया। कुंआ उसकी खुदकाश्त में है उसके लिए दलील दी जाय कि उसके लिए भी सब-टिनेन्ट को राइट देना चाहिये तो यह अनकॉस्टियूशनल हो जाता है, लेकिन जहां रोजी-रोटी और काम करने के लिए और पाबन्दी रखने के लिए राइट देना चाहिए वहां अनइक्विटेबल और अनजस्ट हो जाता है। उनको राइट ऑफ वर्शिप, राइट वहाँ जाने का जो मंदिर उन्होंने बनवाये हैं, उसके लिए राइट बनाना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वर्शिप का और जाने का राइट कैसे हो सकता है। फिर हरिजनों की समस्या भी देखी जाय, जो जमींदारों ने मंदिर बनवाये होंगे, उनमें हरिजनों को नहीं आने देना चाहेंगे, जो जमींदार ऑरथोडोक्स होंगे। हरिजन जो हैं, उनका वहां जाने का राइट हो जाता है, इस अमेंडमेंट से राइट देंगे, वह राइट नहीं है। इस अमेंडमेंट को देखें, यह अमेंडमेंट सिविल लॉ का अमेंडमेंट हो सकता है, जमींदारी एबॉलिशन बिल का अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। फिर यह देखें कि यह अच्छा स्टेप है, हरिजनों को टेम्पल में जाने देना चाहिए, जहां सार्वजनिक जनता को नहीं जाने दिया जाता है, वहां उनको जाने देना चाहिए, यह एक सोशल लेजिस्लेशन है आप अलग सोशल लेजिस्लेशन लायें और उस पर इस सदन में डिस्कशन करायें, उस पर बहस होगी कि किन किन को मंदिरों में जाने देना चाहिए और यह किनका राइट है। लेकिन इसको इसमें रखने से क्या होगा? यह होगा कि लिटिगेशन मल्टीप्लाई करेंगे, रोज लड़ाई होगी, सिर फूटेंगे। और इसके साथ ही ओनरशिप प्रूव करने की रेस्पोन्सिबिलिटी किस पर है, उस आदमी पर है, जिसकी वह प्राइवेट प्रोपर्टी है, वह प्रूव करे। लेकिन जो आदमी राइट मानता है कि मेरा जाने का राइट है, टेम्पल में वर्शिप करने का राइट है, वह अपना राइट प्रूव न करे। हम राइट उसे दे रहे हैं जिसकी प्राइवेट प्रोपर्टी है। हम मानते हैं कि एक आदमी को प्रोपर्टी रखने का फन्डामेन्टल राइट है, उसको उससे डिप्राइव नहीं कर सकते बिना कम्पेन्सेशन के। जब कि हमने खुदकाश्त पर उसका फन्डामेन्टल राइट मान लिया जो सब-टिनेन्ट उस पर कल्टीवेशन करता है, तो जो टेम्पल बिल्डिंग के अन्दर है, जो जमींदार के घर के अन्दर है, जो मेन्टिनेन्स की कॉस्ट बीयर करता है, क्योंकि महज उस गांव के आम आदमियों की प्रोपर्टी नहीं है, गांव का मंदिर नहीं है, इसलिए वे वहां आ सकते हैं, और जो टेम्पल है, जो प्रोपर्टी है, उसके लिए कह दें कि कि यह सार्वजनिक प्रोपर्टी है, इस पर सार्वजनिक राइट है। यह मैं समझता हूं कि एक सोशल लेजिस्लेशन हो सकता है। मगर यह जो बिल है यह जमींदारी एबॉलिश करने का, लैंड रिफार्म्स लाने का, लैंड सिस्टम को चेंज करने का है और लैंड की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, इसके अन्दर यह है। इस चीज का नहीं है कि किसी मंदिर के अन्दर उसका ओनर किसी को नहीं जाने देना चाहता है, तो उसके लिए यह कहें कि ऐसा प्रोविजन रखना बहुत जरूरी है। यह प्रोविजन बिल्कुल जरूरी नहीं है क्योंकि इसके जो कॉन्सीक्युएन्सेज़ होंगे, वे अच्छे नहीं होने वाले हैं। आज जमींदारों ने इस प्रकार की बिल्डिंग कम बनाई होंगी, मंदिर कम बनाये गये होंगे, क्योंकि जमींदार बहुत थोड़े हैं

(श्री श्रीमानसिंह)

लेकिन जागीरदारी सारे राजस्थान में थी, जागीरदारी एबॉलिशन बिल भी माननीय मंत्री जी ने पायलॉट किया था, मगर जागीरदारों के मंदिरों पर सार्वजनिक राइट क्यों नहीं दिये, उसको पब्लिक प्रोपर्टी क्यों डिक्लेअर नहीं किया, क्यों नहीं अलाउ किया सबको जाने के लिए, इसका कारण यह हो सकता है कि जागीरदारी ज्यादा पार्ट में थी, इसलिए रखना ठीक नहीं होता। यानी जो मेजोरिटी में इन्स्टिट्यूशन है, उससे आप डर गये, और जो माइनोरिटी के राइट है, उनको छीन रहे हैं। जब कि सब-इन्टरमीजियरीज को हम सेम फेसीलिटीज़ देने के लिए कहते हैं। यह कहते हैं कि सेम लाइन्स पर ट्रीट कर रहे हैं। तो फिर यह प्रोविजन लाने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी, यह अमेंडमेंट इतना जरूरी है कि एक बिल्डिंग में, जो प्राइवेट बिल्डिंग है, जिसमें बाइ करटसी किसी को अलाउ कर दिया है, उसको डिक्लेअर कर दें कि सार्वजनिक बिल्डिंग होगी। यह देखा जाय कि इस अमेंडमेंट का नतीजा होगा; मैं समझता हूं इस अमेंडमेंट का नतीजा अच्छा नही होगा, इससे झगड़े पैदा होंगे कि कौन-सी कम्युनिटी, कौन-सी कास्ट इस पर राइट एक्सासाइज करेगी, मैं इसको लीगल पॉइन्ट ऑफ व्यू से देखता हूं, यह लीगली अनटिनेबल हैं। इस दृष्टिकोण से इस अमेंडमेंट को देखते हुए मैं समझता हूं कि हम आज अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं और जो जमींदारी एबॉलिशन के लिये एक्ट पास कर रहे हैं, इस दृष्टि से देखते हुए इस अमेंडमेंट को मैं जरूरी नहीं समझता हूं। मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि वे फिर विचार करके, पार्टी के अन्दर विचार करके, जो एंगिल्स मैंने बताये हैं, उन एंगिल्स से सोच कर तब इसे सदन में लायें और इस संशोधन को ले लिया जाय।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री मोदी जी की सुन लीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय सभापति जी, क्लॉज़ पांच के अन्दर माननीय मन्त्री जी ने जो संशोधन रखा है, माननीय मन्त्री जी को चाहिये था कि........

श्री सभापति : मोदी जी, आप कांग्रेस में तो नहीं आये हैं शायद।

(हँसी।)

...पुराने सम्बन्ध हैं।

(श्री मुक्तिलाल मोदी, जो सरकारी बैंचेज से बोल रहे थे, वे विरोधी पक्ष की ओर गये।)

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं तो दोनों में हूं ?

एक माननीय सदस्य : उम्मीदवार हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : उम्मीदवार तो क्या सभापति जी, माननीय मन्त्री जी ने जो अमेंडमेंट रखा है जमींदारी एक्ट के अन्दर, उस अमेंडमेंट को जमींदारी एक्ट के अन्दर न लाकर अगर देवस्थान एक्ट बनाते और मंदिरों के बारे में देवस्थान एक्ट में प्रोविजन लाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। और दूसरे जो कूंए वगैरह हैं, उनके बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा, तो उनके बारे में, सार्वजनिक कूंओं के बारे में कोई एक्ट या कोई कानून राजस्थान सरकार के पास होगा, या कोई इस तरह के रूल्स बनाये होंगे, उन रूल्स के अन्दर यह

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

चीज लाते तो शोभा की बात होती । परन्तु उन रूल्स में नहीं लाये, उस कानून में नहीं लाये और जो देवस्थान का एक्ट है, उसमें नहीं लाये और ....

श्री सोहनलाल भटनागर : देवस्थान का एक्ट कौन सा है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : बना दो (हंसी) जो सार्वजनिक कुंओं के बारे में रूल्स निकलते हैं, उसी तरह किसी भी चीज का एक्ट बना सकते हो। विधान सभा बनाई है, उसके अन्दर एक्ट बना सकते हो। माननीय सभापतिजी, माननीय मंत्रीजी एक बहुत बड़ी चीज को विधान सभा में लाकर हमारे सामने इस बात को रखते तो अमेंडमेंट कुछ तो अच्छा होता परन्तु आज राजस्थान के अन्दर कुछ हिस्से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर पड़े हुए हैं, कुछ काश्तकारों के टैक्स लगा रहे हैं, कुछ इस विधान सभा में कुछ जमींदारों के ऊपर इस तरह का एक्ट लागू कर देना चाहते हैं और कुछ जागीरदारों के अलावा कुछ खालसा एरिया, जिनमें जागीरदारों का लेना देना नहीं है, उनके अन्दर इस विधान को लागू नहीं करते हैं तो इस विधान सभा में इस तरह की बात करना, पक्षपात करना कहां तक उचित है। और फिर यहां हर जातिवाद की जो बात कही जाती है (हंसी) वह तो, भई, मनुष्य एक हैं, मनुष्य तो सब एक हैं, भगवान के घर से एक होते हैं, परन्तु यहां आने से फर्क हो जाता है (हंसी) फॉरिन कन्ट्रीरीज के अन्दर कोई जातिवाद नहीं है, जाति के नाम से पुकारने वाले हैं, हरिजन के नाम से पुकारने वाले हैं, वे कम हैं, आदमी कहलाने वाले हैं, वे मनुष्य हैं, जाति के नाम से पुकारने वाले नहीं है ...

एक माननीय सदस्य : रूल्स की बात ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : रूल्स में जाति नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : रूल्स में मेहतर नहीं होते हैं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : (जारी) मेहतर होते हैं, उसकी लड़की दूसरे आदमी के साथ शादी कर लेती है, वह जाति नहीं है । आज मेहतर जो झाड़ू देगा वह होटल में जायेगा । माननीय सभापतिजी, इन जातियों में जो भंगी के कुंए होंगे, भंगी में जो बलाई होंगे, वे पानी नहीं भरने देंगे । भले ही मर जायेंगे तब भी कहेंगे कि मर जायेंगे, लेकिन पानी नहीं भरने देंगे । जो रेगर होंगे, वे भंगी को पानी नहीं भरने देंगे । चमार होंगे वे रेगर को पानी नही भरने देंगे । एक दूसरे के साथ बेटी व्यवस्था नहीं करेंगे । कानून विधान सभा पास करे, कानून बनने से खाने पीने का व्यवहार, बेटी व्यवहार करेंगे । तो हम इस एक्ट के अन्दर यह करे कि जो सार्वजनिक कुंए है, उन पर सवर्ण लोगों को हरिजनों द्वारा पानी भरने में इन्कार न हो,

४ म० प०

परन्तु जब तक कि ये लोग अपनी जाति में सुधार नही करते हैं और विधान सभा में हरिजनों के नाम से सुधार कर के कोई चीज लाते है तो वह गलत है । तो इसलिये मन्त्री महोदय को चाहिये कि अगर वे खुद ज़मींदार होते और उनकी मिल्कियत में मंदिर या कुंआ होता और वे मिनिस्टर नहीं होते तो क्या वे मान लेते इस चीज को, पर वह तो खालसा जमीन थी जहां वे रहते हैं और वहां इस तरह का कानून पास हुआ नहीं । अलवर, भरतपुर और गंगानगर में पास हो जायगा, बाकी सब जगह ऐसा का ऐसा रहे, यह कैसी बात है, २ करोड़ जनता में से केवल

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

२० लाख के लिये ऐसा कानून बना दिया तो इसका क्या मतलब, कानून बनाते हैं तो २ करोड़ जनता के लिये, सबके लिए समान रूप से बनाना चाहिये। हमें विधान सभा में चिल्लाते हुए इतने वर्ष हो गये तो भी कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में होता है बाकी में कुछ नहीं होता, जल बोर्डों में क्या हुआ लाखों रुपयों का घोटाला कई डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में हो गया, कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हिसाब नहीं। आखिर विधान सभा बनाई है, भारत का विधान बना हुआ है, आपको सबको समान रूप से देखना चाहिये, नहीं तो विधान सभा क्यों बनाई, जो जोरावर हो, उसकी गवर्नमेंट बना लें, कोई भी कानून पास करें जैसा आपके जी में आये वैसा करें, जैसे कि पहले जागीरदार और राजा लोग किया करते थे, उसी तरह आप लोग भी करें। अगर सब लोगों को आराम पहुँचाना है और सबको सुविधा देनी है तो यह जो कानून है सारे लोगों के लिये एक जैसा बनना चाहिये। एक जैसा कानून नहीं बनाते तो इसका मतलब यह है कि आज कांग्रेस की मेजोरिटी है, कल ट्रावन्कोर कोचीन की तरह को कॉम्युनिस्ट मेजोरिटी में आ गये तो वे आपके कानूनों को बदलेंगे, तो भई पहले ही ऐसे कानून क्यों बनाते हो जिनको बाद में आने वाले लोग बदलें, कानून ऐसे अच्छे और सबके लिये बराबर पास करो कि आने वाले भी कहें कि पहले राजस्थान विधान सभा ने कैसे अच्छे अच्छे कानून पास किये गये, ऐसे कानून बनाओगे तो ठीक है वरना मरना तो सब को है........

(हंसी)

इस तरह के कानून बनाओगे तो जैसे आज लोग राजाओं और महाराजाओं को रोते हैं उसी तरह फिर आपको रोयेंगे।

(अनवरत हंसी)

तो मेरा तो यही कहना है कि कानून ऐसे बनाओ कि आने वाले लोग आपको याद करें।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : सभापति महोदय, सदन में जमींदारी और बिस्वेदारी को खत्म करने के लिये चर्चा चल रही है, वह समय के मुताबिक चलनी ही है, क्योंकि प्रजातन्त्र में आज इस तरह का नहीं हो सकता कि कोई जमींदार हो, बिस्वेदार हो।

जागीरदारी प्रथा राजस्थान में थी, जब राजस्थान में थी, जब राजस्थान की नई सरकार ने जागीरदारी प्रथा को खत्म करने का सोचा तो राजस्थान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक वातावरण बना, आन्दोलन चले, जागीरदारों ने यही नहीं कि भूस्वामी नाम का आन्दोलन चलाया, जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेता तक पहुँचे... ....

श्री सोहनलाल भटनागर : यह जनरल डिस्कशन है या........

श्री सभापति : भूमिका है।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : लेकिन सोहनलालजी से अच्छा तो बोल रहे हैं।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : It should be confined to the amendment in question.

श्री सभापति : विषय का ध्यान रखें।

Page No.94

श्री सूबेदारसिंह : (जारी) जिस समय जागीरदारी प्रथा समाप्त की गई तो सरकार ने कभी नहीं सोचा कि जागीरदारों के कुए, तालाब, मंदिर और बगीचों को ले कर, सार्वजनिक घोषित कर दिया जाय, क्योंकि उनके अन्दर एक भय था, डर था कि इस तरह का आन्दोलन चल रहा है, ऐसा करने से वातावरण और खराब नहीं हो जाय। पर जमींदारी चन्द व्यक्तियों के हाथ में है, आज वह खत्म होने जा रही है, पर उनकी आज आवाज कहीं से नहीं आ रहा है, इसके माने यह नहीं कि उनकी जमींदारी के सभी कुए, बाग-बगीचे, मकान सभी समाप्त कर दिये जायं, ऐसा करना अन्याय होगा। ऐसा करते समय हमें सोचना होगा कि जागीरदारी प्रथा ऐसी प्रथा थी कि उनके कुए, बगीचे और मंदिर अगर सार्वजनिक घोषित कर भी दिये जाते तो कोई एतराज की बात नहीं थी क्योंकि वे स्वयं उस जमीन के मालिक थे उन्हें उस जमीन का एवजाना सरकार को नहीं देना पड़ता था, पर जमींदार तो जमीन के मालिक नहीं हैं, जिस तरह बिजनेस में कमिशन एजेन्ट होते हैं उस तरह जमींदार तो जमीन के मालिक नहीं कमिशन एजेंट हैं, जिस तरह माल का बेचान करने में, कमिशन एजेंट को कमिशन मिलता है उसी तरह राज्य की व्यवस्था को ठीक रखने के लिये जमींदारी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा तो ऐसी प्रथा है कि लैंड रेवेन्यू वसूल की काश्तकारों से और राज्य में भर दी, बीच में अपना गुजारा किया। तो वे जमीन के मालिक नहीं थे, उनके मकान, बगीचे, कुए और मन्दिरों को लेना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि टिनेन्ट्स के पैसे से मंदिर, बगीचे, कुए, बावड़ी बने हुए हैं, तब तो उनका शरीर बाल बच्चे और सब कुछ पर सरकार का अधिकार हो जाना चाहिये।

जमींदारी प्रथा निश्चित रूप से समाप्त होगी और होने जा रही है। पर गौर कर के देखिये कि आपके प्रान्त में जिन जिलों में जमींदारी प्रथा है, अव्वल तो इतनी बड़ी नहीं कि आठ, दस लाख की लैंड रेवेन्यू पे करता हो, तो उनके पास ऐसी स्थिति नहीं है कि बड़े बड़े मंदिर, बगीचे खड़े करें। एक जमींदार के चार लड़के हुए, बाप के मरने पर वह जमींदारी चार लड़कों में बंट गई, तो इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी हुई जमींदारी है। गांव में एक छोटा सा मकान है। धार्मिक भावना के लोग चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान, अपने घर में पूजा का स्थान बना लेते हैं, हिन्दू घरों में ठाकुरजी की पूजा करते हैं, और मुसलमान हों तो नमाज पढ़ते हैं, पास-पड़ौस में और कोई स्थान नहीं हो तो आसपास के धार्मिक भावना के लोग भी आ जाते हैं। और खास तौर से जन्माष्टमी को तो घरों में हिन्डोले सजाते हैं, पड़ौसी आते हैं, सेवा करते हैं और प्रसाद पाते हैं. कोई शिवजी की मूर्ति रखता है तो पड़ौसी लोग जल चढ़ाने के लिये आ जाते हैं। घरों में माताएं तुलसी के पेड़ लगा लेती हैं, सोमवती अमावस्या को औरत अड़ौस-पड़ौस से आती है और तुलसी की परिक्रमा देती हैं। जब इसको इस अमेंडमेंट के जरिये सार्वजनिक सम्पत्ति घोषित करने जा रहे हैं, प्राइवेट मकान में तुलसी है, वहा पड़ौसी औरतें परिक्रमा देने आती रही हैं, शिवजी की मूर्ति है तो पड़ौसी जल चढ़ाने आते रहे हैं, इनको सार्वजनिक स्थान घोषित कर दिया तो आधी रात को १२ बजे लोग आकर उस मकान का दरवाजा खटखटायेंगे कि दरवाजा खोलो हम शिवजी

(श्री सूबेदारसिंह)

के जल चढ़ायेंगे, या तो वह मकान खोले या अपने घर की चोरों से हिफाजत करे। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि जो आखिर हम यह व्यवस्था कायम करने जा रहे हैं तो हमारे अन्दर बन्धुत्व और भाई-चारे की भावना जो आज तक थी उसे खत्म कर देंगे। एक मोहल्ले में कुआं है उससे सभी पानी भरते हैं, जाति-बिरादरी की कोई बात नहीं, किसी घर में केवल एक विधवा औरत है उसके घर में और कोई नहीं है, वह कुए पर पानी लेने जाती है तो कोई पानी उंडेल कर उसका घड़ा भर देता है, इसके लिए आप यह कर दें कि जिसने पानी भरा है वही हमेशा के लिए उसके घड़े में पानी भरता रहे तो इससे तो हमारा भाईचारा मिटेगा। मूर्तिपूजा जो हमारे घरों में है, मन्दिरों में है उसमें जाने से कोई किसी को नहीं रोकता। किसी के घर में शादी है, व्याह है और उसके वहां जगह नहीं है तो किसी की चौपाल पर सभी जा कर बैठते हैं, सब एक साथ आकर ठहर जाते हैं। लेकिन जहां आप इस प्रकार की व्यवस्था कर देते हैं तो निश्चय ही वे गरीब जिनके पास चौपाल और बरात ठहराने के लिये स्थान नहीं है परेशान हो जावेंगे। क्योंकि आपकी इस व्यवस्था से अगर किसी ने अपनी चौपाल पर बरात ठहरा ली तो कल से यह चौपाल सार्वजनिक हो जावेगी। तो इस प्रकार की बातें कही जाती हैं इससे हमारे अन्दर जो प्रेम की बातें हैं वे मिट जावेंगी। आप यह चाहते है कि सतयुग हो जावे मगर वह नहीं होगा। हम जमींदारी समाप्त करने जा रहे हैं या आपस में सदियों से जो प्रेम बना आ रहा है उसको मिटा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो मैं यह कहूँगा कि चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा मगर आपस में मनमुटाव गावों में जरूर पैदा हो जावेगा।

हरिजनों के बारे में मेरे कुछ भाई कहते हैं कि हरिजनों को उन्होंने कुओं पर पानी नहीं भरने दिया और जो ठाकुरजी हैं तो उनको पूजने दिया और उनके लिये रास्ते बन्द रखे। यह जो सार्वजनिक मन्दिरों की बात वे चाहे राज्य सरकार की तरफ से हो चाहे किसी व्यक्ति की ओर से हो उसको छोड़ दीजिये। मंदिरों को तो धर्म की भावना वाले लोग अपने घरों में ही पूजन कर सकते हैं। मगर इस संशोधन से जमींदारी समाप्त नहीं होगी बल्कि घर घर में कलह पैदा हो जावेगा और इससे राज्य सरकार को बड़ी बाधाओं का सामना करना होगा। इसलिये मैं सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के क्लॉज़ का विरोध करें।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय सभापति महोदय जो जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्पादन विधेयक हमारे सामने है उसमें जो अमेन्डमेंट माननीय सदस्य ने रखा है उस अमेन्डमेंट के पक्ष में बोल रहा हूं। सभापति महोदय, यहां मैंने कुछ अजीब बातें सुनीं। अभी अभी एक मेरे माननीय मित्र यह कह रहे थे कि जमींदारों की जमींदारी तो आप ले रहे हैं उनके साथ साथ उनकी जायदाद मकान, कुए और मंदिर आदि पर भी सार्वजनिक अधिकार कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। इससे जमींदारों के साथ अन्याय होगा।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक न्याय और अन्याय का प्रश्न है, मैं नहीं समझ पाया न्याय और अन्याय की क्या डेफिनिशन है। एक के लिये न्याय और दूसरे के लिये अन्याय जागीरदारी आपने खत्म की। वह जागीरदारों के लिये अन्याय था लेकिन

Page No.96

(श्री गिरधारीलाल)

लाखों लोगों के लिये, जन-जीवन के लिये वह न्याय था। जमींदारी हम खत्म कर रहे हैं। उन लोगों के लिये कल्याण नहीं होगा क्योंकि उनकी जमीन हम उनसे ले रहे हैं, उन लोगों के लिये कलियुग होगा। लेकिन उन लोगों के लिये जो इस जमीन पर काश्त करते आ रहे हैं, उनके लिये, यह सतयुग है। सभापति महोदय, जहां तक अन्याय का प्रश्न है, जिन लोगों से जमीन छीनी जा रही है उनके लिये अन्याय है क्योंकि हम उनसे छीन रहे हैं। उन्होंने उस जमीन को पैसा देकर ली है। कोई वक्त था उस समय यह ठीक था, लेकिन आज उचित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि यह वक्त का तकाजा है। इसलिये हम उनसे यह जमीन छीन रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार जागीरदारों को अनाप शनाप मुआवजा दिया जहां भले ही राजस्थान सरकार के सामने लोग भूखे मरते मर जावें, चाहे लाखों मजदूरों को मजदूरी न मिले, चाहे शिक्षित बेकार या अशिक्षित लोग सड़कों पर फिरते रहें, उनकी मूलभूत जीवन की समस्या चाहे मुंह बाये खड़ी रहे, लेकिन राजस्थान सरकार को इसकी परवाह नहीं। लेकिन राजस्थान सरकार इस बात के लिये सतर्क रहती है कि जागीरदारों को जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जावे। जिन्होंने ११ करोड़ जनता की कमाई करा कर उनका खून चूसा और आज उसको आप समाप्त कर रहे हैं और उसके बदले में मुआवजा दे रहे हैं। जागीरदारी प्रथा समाप्त करने के बदले में बहुत बड़ी धनराशि जागीरदारों को मिली। इस प्रकार आप इस तरह की व्यवस्था करके दुनियां भर का पैसा देना चाहते हैं। सभापति महोदय, आप कह सकते हैं कि जब उनकी जागीरदारी या जमींदारी आप छीनते हैं तो उनको मुआवजा देना जरूरी हो जाता है और अगर नहीं देते हैं तो आन्दोलन होने का डर है। जिस प्रकार जागीरदारों ने आन्दोलन किया, उसी प्रकार जमींदार भी कर सकते हैं। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहता हूं कि आन्दोलन जागीरदार करें या न करें, जमींदार करें या न करें लेकिन यह जनता जो बहुत गरीब है, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है और उसकी जेब से लाखों रुपये जमींदारों और जागीरदारों को देते हैं तो वह जरूर आन्दोलन करेगी, क्योंकि वह उसके पसीने की गहरी कमाई का पैसा है और इसके लिये वह जरूर आन्दोलन करेगी और उसको आप नहीं दबा सकेंगे। चाहे उसके लिये आप कितना भी इन्तजाम कर लें, नहीं दबा सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार आपने अभी अभी कहा, इस संशोधन में यह भी कहा गया है कि कुओं पर उनका व्यक्तिगत अधिकार नहीं होकर सार्वजनिक कब्जे में कुए और मंदिर रहने चाहिये। माननीय सभापति महोदय, जहां तक कुओं का प्रश्न है, जैसा अभी अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि जमींदारों ने अपनी जमीन में कुए बनाये। मैं यह कहूंगा कि उन्होंने कुए बनाये नहीं उन्होंने किसानों से बनवाये और कुओं के द्वारा उनका शोषण किया। इसलिये मैं यह कहूँगा कि वे कुए सार्वजनिक हैं न कि जमींदार का अधिकार रहना चाहिये। इसी प्रकार आप यह भी कहें कि मंदिर भी सार्वजनिक हित के लिये खुले रहें, हरिजन भी उन मन्दिरों में आ जा सकें। लेकिन जहां तक मंदिरों का प्रश्न है और उनमें बैठे हुए भगवान हैं, मन्दिरों के

(श्री गिरधारीलाल)

बारे में कतई मेरा विश्वास नहीं है और मैं यह कहूंगा कि इनके सार्वजनिक जीवन के लिये खुले रहने से कोई फायदा नहीं है। चाहे ये जमींदारों के पास रहें, चाहे किसी दूसरे के पास रहें। मैं तो यह समझता हूँ कि मन्दिर जमींदारों के पास रहें। मगर कुंए जिनसे आमदनी हो सकती है, कुंओं से जनता की प्यास बुझाई जा सकती है, वे जरूर सार्वजनिक हित के लिये खुले रखने चाहिये। दूसरी ओर मंदिर में हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं ये दो चार कोस भी चले जा सकते हैं और घर में भी मंदिर बना लेंगे लेकिन कुंए जिसके लिये हजारों रुपये लगते हैं और जो मनुष्यों के लिये जरूरी चीज है उसको जमींदारों के कब्जे में रखेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। माननीय सभापति, आज आप जमींदारी खत्म कर रहे हैं। जमींदार लोग पढ़े लिखे थे, उन्होंने सोचा कि जमींदारी खत्म होगी। वे एक पखाल पर पानी की बिक्री से पैसा ले सकते थे। उन्होंने अनपढ़ जनता को बगैर पते किसी भी तरह से अपने नाम पर कुंओं की रजिस्ट्री करा ली। आज जमींदारी को आप खत्म कर रहे हैं और साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि जो कुंआ है वह उसकी पर्सनल प्रोपर्टी रहेगी। माननीय सभापतिजी, वे गांव वाले कहां जावेंगे, क्या गांव में एक दिन में कुंआ खोद सकेंगे? फिर तो उन लोगों से पानी के पैसे लिये जावेंगे, जिन लोगों ने कुंए बनाये थे, उनके समझदार न होने के कारण और जमींदार के पढ़ा लिखा होने के कारण उसने आगे की सोच कर उस कुंए की रजिस्ट्री करवा ली, फिर उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था इसमें की है आपने? माननीय सभापति महोदय, ये तुच्छ बातें हैं कि मंदिर को पब्लिक के लिए खोल रखें, लेकिन उनके लिए तो कुंए खुले होने चाहिये। जमींदार को मुआवजा दे रहे हैं और अन्य सहूलियतें आप दे रहे हैं, लेकिन किसानों की आप कोई फिक्र नहीं कर रहे हैं।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय सभापति महोदय अभी एक बड़ी अहमियत का सवाल पैदा हुआ है कि जो प्राइवेट प्रोपर्टी या कुंए हैं वे जागीरदार, जमींदार या बिस्वेदार के नहीं रहने चाहिये। उनके ऊपर यह धारा लगाई गई है वह धारा उनके ऊपर नहीं लगेगी, ऐसा संशोधन पेश करने वाले सदस्य महोदय का ख्याल है। मैं यह अर्ज करूंगा कि हममें जो यह प्रवृत्ति हो गई है जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि जमींदारों और जागीरदारों को काफी कम्पेन्सेशन दे दिया गया है, उन्होंने पहले भी बहुत मौज कर ली है और उनको जमींदारी या जागीरदारी उठाते वक्त कम्पेन्सेशन देने की क्या बात थी, वाकई उनका अच्छा सुझाव था कि उनको धार धार और तलवार से काटा जा रहा था और उनके लिए तो मोटी छुरी ही काम में लेनी चाहिये थी। इस से उनके दिल की थाह का पता लगता है कि वे इन चीजों की कितनी अहमियत के साथ सोच सकते हैं। या तो हम यह एलान कर दें कि प्राइवेट प्रोपर्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। हमारे विधान या कॉन्स्टिट्युशन में प्राइवेट प्रोपर्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी, कम्युनिस्ट टाइप का विधान यहां लागू हो जाय तो ठीक है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें पक्की बात को ही रखना पड़ेगा कि हम तो कम्युनिस्ट टाइप की बात चाहते हैं। न तो कोई प्राइवेट प्रोपर्टी होगी, न कुछ लेना-देना होगा, जो कुछ भी है वह सब स्टेट का है। या यह कर दें कि जो कोई आवाज करता है उसको पॉइन्ट ऑफ

(श्री अनूपसिंह)
पिस्टल या तलवार की तेज धार से काट दिया जाय। लेकिन यहां तो कहते हैं कि जो तेज धार की तलवार लगाई जा रही है वह क्यों ? काटा भी जाय तो मोटी छुरी से । यह तो अपनी २ भावना की बात है। जिसने अपना एक मंदिर खरीद लिया और कुआ खरीद लिया जो कि इस एक्ट के लाने से पहले सार्वजनिक भी नहीं था उनके जमींदार और जागीरदार को बाध्य किया जाय कि वे अकेले का कब्जा नहीं रख सकता, मैं इस बात को मानता हूं कि वाकई पहले जो कुआ या मन्दिर सार्वजनिक था तो अभी उसको रखिये। जैसा कि जागीर रिजम्पशन एक्ट में पहले भी आपने रखा था और पर्सनल प्रोपर्टी की आपने लिस्ट भी दी थी, जो पब्लिक यूटीलिटी की चीजें थीं जो सार्वजनिक काम में आ रही थीं, जैसे पुलिस के लिए बिल्डिंग्स, सफाखाने वगैरह, जो जागीरदार की थीं वे सब गवर्नमेन्ट की हो गईं चूंकि, वे सार्वजनिक काम में आती थी। जो पब्लिक यूटिलिटी की चीजें थीं वे रहेगी इसमें कौनसी दूसरी बात हुई । लेकिन जो पब्लिक यूटिलिटी की नहीं थीं, जो जागीरदार या जमींदार ने खरीद ली और अपने काम के लिए खरीदी थी उस पर फिर क्यों हक मांगते हैं। यह क्या बात हुई । आपने एक मकान खरीदा, आपने अपने लिए एक टोपी खरीदी वह आपकी नहीं हो सकती, तो क्यों साहब वह क्यों नहीं हो सकती ? आपका कोट है, आपकी टोपी है, आपने उसको खरीदा है, पैसा दिया है, मैं उसका हक क्यों मांगने लगा। जागीरदार का कुआ सार्वजनिक नहीं था, वह उसने पैसे देकर खरीद लिया फिर आप उससे हक क्यों मांगते हैं। यह हो सकता है कि मेरे ये शब्द बहुतों को इस तरह गलत फ़हमी में डाल देंगे कि मैं प्रगतिवाद का विरोधक हूं या प्रगति को रोकना चाहता हूँ । यह जो प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन लाया जा रहा है, उसके विरुद्ध हूं। मैं आपको कहूंगा कि मैं इसका विरोधी नहीं हूं। यह लाया जाय और यह वक्त का तकाजा है। एक फिजा है देश में। जो फिजा है वह उसमें फिट होगी और उसको उसी तरह से कम में लेना है। लेकिन उस पर थोड़े ठंडे दिमाग से तो सोचना होगा आखिर आप यहां शासक की तरह बैठे हैं, शासकों की डिग्निटी पर पहुंच कर सोचें कि जो कुछ कहा करें तो उसमें न्याय कहां है और अन्याय कहां हैं यह देखें उसका नैतिक स्तर क्या हैं, मोरल ड्यूटी कहां है, इन सारी बातों को सोच कर, विचार करना पड़ेगा। यह नहीं कि तेज छुरी काम में क्यों ली, मोटी छुरी को ही काम में लेना चाहिये था, यह शोभा देने वाली चीज़ नहीं है।

एक माननीय सदस्य : मीठी छुरी है।

श्री अनूपसिंह : (जारी) मीठी छुरी भी आप लोग लगा दें, तो ठीक है लेकिन मोटी छुरी लगा दें, तो उसके लिए मैं अर्ज करता हूं कि जरा सोच कर लगावें। जो कदम आपको आगे लेना है, प्रोग्रेसिव कदम लेना है वह यह सोच कर लेना है कि जो वैधानिक हक है, कॉस्टिट्यूनल राइट्स है, प्राइवेट प्रोपर्टी का हिन्दुस्तान के विधान ने हक दे रखा है उसको चैलेन्ज करके तो नहीं ले रहे हैं ? लेकिन उन सारी बातों को चैलेन्ज करके जो उसकी प्राइवेट प्रोपर्टी है वह भी चाहते हैं कि वह उसकी न रहे। जरा आप सोचिये, ठंडे दिमाग से सोचिये। आप यहां विधान सभाई की हैसियत से बैठे हैं, राजस्थान भर का कानून बनाने जा रहे हैं, जो अर्से की चीज़ है उसको खत्म करने जा रहे हैं,

(श्री अनूपसिंह)

जो रोता है उसको कहते हैं कि मत रो, यों ही थप्पड़ लगाई जा रही है और बात करते हैं तो कहते हैं कि अनप्रोग्रेसिव है। यह तो तुलना की बात है। अपने अपने दिमाग के स्तर की चीज है, जैसा चाहें वैसा सोचिये, मुझे उस पर एतराज नहीं है। लेकिन विधान सभा में बैठे हैं, एक अहमियत की चीज को सोचने जा रहे हैं. एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, किसानों की बेहबूदी की बातें सोच रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि यह रूस नहीं है, यह कम्युनिस्टिक कन्ट्री नहीं है। हमने माना कि आप सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाना चाहते हैं। वह सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है, किन्तु सोशलिस्टिक सोसाइटी नहीं है। यह हो सकता है कि आज हमारा कदम उदार हो, लेकिन यह नहीं कि जो रूप है उसको एकदम बदल दिया जाय। हमारा देश लाल होते होते पूरा लाल हो जाय लेकिन आज ही पूरा लाल होने की बात सोचें तो आपको इस विधान सभा के अन्दर............

श्री दयाकृष्ण विजय : सभापति महोदय, मेरे यह बात समझ में नहीं आयी कि माननीय सदस्य को एतराज क्या है कि जो सार्वजनिक प्रयोग की चीजें हैं वे सार्वजनिक उपयोग में ही आनी चाहिये। फिर प्रश्न कहां रह जाता है ?

श्री अनूपसिंह : इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। जो सार्वजनिक चीजें थीं उन पर जमीदारों या जागीरदारों का हक नहीं था। जो उनके पास सार्वजनिक उपयोग की चीजें थीं वे उन्होंने जागीर रिजम्प्शन के समय सरकार को सौंप दी। लेकिन जो प्राइवेट हक की चीजें हैं, जो उन्होंने खरीदी हैं, उनके ऊपर हक प्राइवेट ऑनर का ही होगा। उसके सिवाय होंगी तो वे गवर्नमेंट की होंगी।

इसलिए इसके ऊपर ज्यादा वाद-विवाद न करते हुए यह ऐसी चीज है जिसके लिये हिन्दुस्तान के संविधान के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार से हम किसी को वंचित करने जा रहे हैं तो यह अपने स्कोप से बाहर जा रहे हैं। प्राइवेट प्रापर्टी नाम की चीज को किसी ने खरीद लिया है या किसी ने अपने कब्जे में कर लिया, उसको ऑक्युपाई करते हैं तो यह गलत है यह तो चीज जिसकी हो गई उसी के पास रहेगी। अगर आप उस चीज को सार्वजनिक उपयोग के लिये लेना चाहते हैं तो आप उसे सार्वजनिक उपयोग के नाम से मांग लीजिये या उसको खरीद कर ले लीजिये। लेकिन आप उसके लिये यह कहें कि यह उसकी चीज नहीं इसका हक नहीं, उसके अन्दर कुछ मांगते नहीं, मुआवजा भी नहीं मांगे, कुछ भी मांगते नहीं, यह मेरे ख्याल में यह आपके लिये शोभा की बात नहीं। इन शब्दों के साथ सभापति महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में जो संशोधन रखा है उसे या तो विद्ड्रा कर लें अन्यथा सदन के माननीय सदस्य उसको पारित नहीं होने दें, यह मेरी अर्ज है।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १९५८ की क्लॉज पांच पर वाद-विवाद चल रहा है। इस विषय में माल मंत्री महोदय ने जो क्लॉज़ पांच रखी है उसका

Page No.100

(श्री हरिप्रसाद यादव)

मैं समर्थन करता हूँ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो भाषण दिया है उस विषय पर मैं संक्षेप में कहूंगा। वह यह है कि किसी कवि ने कहा है।

पानी के पियावत प्रीत लगे...

(तालियां)

समझ में नहीं आता सभापति महोदय, ये माननीय सदस्य जो दो दो लाख व्यक्तियों के जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी आदि सभी वर्ग शामिल हैं उनके प्रतिनिधि बनकर आये हैं और यह कहते हैं कि सार्वजनिक सम्पत्ति जो है उसका मुआवजा मिलना चाहिये। समझ में नहीं आता जो हजारों वर्षों से हरिजन, मजदूरों तथा किसानों से बेगार लेने वाले ये जागीरदार और जमींदार आज भी चाहते हैं कि इनका शोषण किया जाय। जिन हरिजनों एवं मजदूरों ने अपने सिर पर पत्थर ढो ढो कर इतने बड़े बड़े मंदिर बनाये हैं, तालाब बनाये हैं, सार्वजनिक कुंए बनाये हैं, आज उनके लिये यह कहा जाता है कि वे पानी नहीं पी सकते। एक तरफ हम विधान सभा में सही और अच्छा कानून बनाने के लिये आये हैं न कि लालची बन कर। सार्वजनिक स्थानों पर हजारों वर्षों से पिछड़े हुए हरिजन आदिवासी या अन्य मजदूर वर्ग जो श्रम करते थे, उत्पादन करते थे उन्हीं आदमियों को सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने की सुविधा नहीं। उनके लिये कहा जाता है कि ये तो हमारे खरीदे हुए हैं। इस बारे में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा जो हजारों वर्षों से हम हरिजन पिछड़े हुए वर्ग से जो अधिकार छिन गये हैं उन अधिकारों के लिये माननीय मंत्री महोदय ने संशोधन रखा है तो आप उसके लिये यह कहते हैं कि हमें उसका मुआवजा मिलना चाहिये, क्योंकि यह तो हमारे खरीदे हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : खूब समझे, खूब समझे।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं आपसे जोरदार शब्दों में यह कहूंगा कि जो भी सार्वजनिक स्थान हैं उनमें हरिजनों को जाने दिया जाना चाहिये। जिन लोगों ने परिश्रम किया उनको तो आप अधिकार नहीं देते हैं, यह उचित नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सार्वजनिक सम्पत्ति कुंए, तालाब, मन्दिर आदि जितने भी हैं उनके उपयोग के लिये जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं कि इन लोगों को अधिकार दिया जाय।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १९५८ पर बहस करते हुए ऐसा मालूम होता है कि यह बिल जमींदारी उत्सादन विधेयक न होकर कोई देवस्थान बिल की कोई क्लॉज़ पर विचार हो रहा है। क्योंकि माननीय राजस्व मंत्रीजी उस विभाग के भी मंत्री हैं। उन्होंने जल्दी में उस बिल की धारा को समझ कर संशोधन रख दिया। क्योंकि जब हम इसका नाम ऊपर से पढ़ते हैं तो साफ जाहिर होता है कि राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी का इसमें कोई जिक्र नहीं, इसमें मन्दिरों आदि का किसी प्रकार भी उल्लेख नहीं है और न विचार में आ सकता है। मगर जैसा माननीय मंत्रीजी ने संशोधन रखा है तो मेरे विचार में आया कि मैं भी इस पर अपने विचार प्रकट करूं। वैसे तो माननीय मंत्रीजी ने इन दिनों जितने

(श्री रामकरणसिंह)

भी बिल सदन में लाकर रखे हैं कुछ हद तक शत प्रतिशत ठीक नहीं तो अधिकतर तो शायद सदन में वातावरण पैदा करने के लिये ही रखे हैं। मगर हमें यहां देखना है कि आज हम सदन के अन्दर जो बिल व संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं अगर हम उसको पास कर देते हैं तो उसका एग्जीक्युटिव पालन किस प्रकार से करती है। माननीय मंत्री महोदय ने इस बिल की पांचवीं धारा में इस प्रकार का संशोधन रखा है चाहे वह निजी मन्दिर हो उसमें भी हरएक को जाने की इजाजत दी जाय। सभापति महोदय, उदाहरण के जिये मैं निवेदन करूं कि एक जमीन जो जागीरदार या बिस्वेदार की है या उसके कब्जे में किसी प्रकार लीगेली आ गयी है उसमें जो कोटियां बनी हुई हैं जिनको नाल कहते हैं, उनमें कुंआ है उनके लिये अभी तक किसी प्रकार से भी गवनमेन्ट ने निर्णय नहीं लिया। इसी प्रकार से एक जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन के टुकड़े पर एक काश्तकार का कब्जा है और वह काश्त करता है और उसके अन्दर एक कुंआ है जिससे जमीन की आबापाशी करता है और उससे अधिक से अधिक अन्न पैदा करता है। लेकिन इस पर भी अगर जागीरदार की मर्जी नहीं हुई तो वह खेती सूख सकती है, उसको पानी वह नहीं दे सकता। मगर इसके लिये ऐसी कोई बात सोची नहीं गई कि यह कितनी आवश्यक है।

इसके साथ साथ किसी मन्दिर पर किसी व्यक्ति के कुंए पर चाहे वह बीच घर में भी हो, चाहे उसके अन्दर कोठे में हो उसमें जाने की ईजाजत दी जाय ऐसा संशोधन लाया जाता है। मुझे यह मालूम नहीं कि उन्होंने क्या आवश्यक मान कर इसको रखा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिस समय वे जवाब दें यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस प्रकार की स्थिति राजस्थान के किस हिस्से में है जिसके कारण आपको इस प्रकार का संशोधन लाना पड़ा। सभापति महोदय, मेरी समझ में आज ऐसा सवाल कहीं पर भी नहीं है। आज जमींदारों और जागीरदारों का वह बर्ताव बदल गया है। जिस जमाने में वे चाहते थे लोगों को डराया-धमकाया जाय, आज वह स्थिति नही है। इस प्रकार की चीजें उन्होंने पहले से बन्द कर दी थी। उनको बन्द ही रखा जाय और कोई भी ऐसी जगह, जो जगह वास्तव में किसी भी बाहर के व्यक्ति के लिये, पड़ौसी के लिये, बराबरवालों के लिये, छोटे बड़ों के लिये, अमीर गरीब के लिये काम आने वाली चीज है, चबूतरा हो, चाहे मन्दिर हो, चाहे कुंआ हो, वे काम में उनके आते हैं और इसके लोग आदी भी हो गये हैं कि उसके काम में लाने से किसी प्रकार की कोई रुकावट पैदा नहीं करते। तो जो चीज किसी तरह से शान्त हो गई, जिससे लोग आदी हो गये, जो लोग भूल चुके उसे इस संशोधन को पास करके आप वापिस उखाड़ने जा रहे हैं। आज जो भावनाएं जागीरदार, जमींदार और बिस्वेदारों के प्रति लोगों की जा चुकी हैं, उसे आप फिर से उभाड़ेंगे। इधर जो एक वर्ग, जो जनता आज शान्ति से उन कुंओं से पानी ले रही है, मन्दिरों में पूजा पाठ कर रही है, नमाज पढ़ रहे हैं, उनके इन कामों में जो आज किसी प्रकार की कोई अड़चन नही आ रही है, उनमें अड़चनें आने की स्थिति आप पैदा कर रहे हैं, इससे उनमें फिर से टसल पैदा होने का डर है। आज जो चीज स्वत: ही शान्त होकर सुचारु रूप से चल रही है उससे बढ़ कर

(श्री रामकरणसिंह)

कानून और कौन सा होगा ? फिर आपके इस कानून पास कर देने से ही कौन सा क्या हो जाने वाला है। सिवाय इसके कि वे दबी हुई भावनाएं फिर भड़केंगी।

आज हमने हरिजनों को मंदिर प्रवेश देने का कानून बनाया। पर मैं कहूँ इसमें हमें कितनी कामयाबी मिली है, इसको आप और हम सभी भली प्रकार जानते हैं। जितने माननीय हरिजन सदस्य हैं वे भी महसूस करते हैं। इन दिनों जो समाज कल्याण सप्ताह चल रहा है उसमें इन हरिजन सदस्यों ने इस प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं। गवर्नमेंट की स्टेज होते हुए भी यह भावना उन्होंने व्यक्त की है कि इन कानूनों की कितनी कम्पलाई होती है।

इस तरह जब मैंने इस कानून का नाम पढ़ा तो इच्छा हुई कि वास्तव में इसे देखा जाय। ऐसा लगा कि कानून अच्छा है। पर बाद में जब मैंने दूसरी किताब जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के रेवेन्यू विभाग से निकली हुई है और जिसका नाम है रिपोर्ट ऑफ दी जमींदारी एबॉलिशन कमेटी' पढ़ी तो उसकी धारा ११ में मैंने देखा, यह लिखा हुआ था : "Absence of big zamindarsd Unlike Bengal, Behar and U. P., there are no big zamindars in Rajasthan an an overwhelming majority of these zamindars are biswedars or peasant proprietors." तो जब एक तरफ हम यह चीज कहते हैं और दूसरी तरफ लोग यह समझ बैठे हैं कि यह जो जमींदारी बिस्वेदारी एबॉलिशन बिल आया है वह बड़ी बड़ी जमींदारियों के लिये लागू हो सकता है। यह जो चीज लिखी गई है इसमें यह भी कह सकता हूँ कि पूरे राजस्थान को कवर नहीं करती है, इसके कुछ हिस्से को करती है। तो यह ठीक है, पर इसमें इस तरह की बातें डालना कि जिससे लोगों की सुप्त भावनाएं फिर से उभड़े मेरी समझ में तो ठीक नहीं जंचती।

इसलिये मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उनको पूरी तरह से सोच समझ कर देखें और जैसा भरतपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसको इस समय रैफर कर दिया जावे और पार्टी मीटिंग में रख कर विचार किया जावे। अगर आपकी पार्टी मीटिंग में कोई सर्वसम्मत बात आ सकती है तो और भी अच्छा है। आप इसे रैफर कर दीजिये।

इसमें इतना ही नहीं, दूसरी चीजें भी हैं। इसमें मन्दिर, कुंए आदि स्थानों के अधिकार का प्रश्न आया है ऐसी स्थिति में आवश्यक यह भी हो जाता है कि आप अपने एडवोकेट जनरल की राय भी ले लें। तो मेरे ख्याल से आप ऐसा करें तो इसमें हर्ज नहीं है। फिर ऐसी बात भी नहीं कि इसमें आज का आज ही कोई निर्णय होना चाहिये, नहीं तो नुकसान होगा। यह तो बाद में भी हो सकता है और अगर आप चाहेंगे कि पास ही होना चाहिये तो तब भी हो जावेगा। आपकी मैजोरिटी है।

फिर यह भी होगा कि अभी जल्दी में अगर पास कर दें और बाद में कोई संशोधन लाना पड़े तो इससे यह अधिक ठीक होगा कि अभी पहले इस पर सोच लिया जावे। आज संशोधनों के बारे में वस्तुस्थिति यह बन गई है कि हम भी कभी सचिवालय में जाते हैं तो वहां के क्लर्क लोग पूछते हैं कि हमारे यहां जो डिपार्टमेंटल चीजें चल रही हैं उनमें

(श्री रामकरणसिंह)

भी कोई संशोधन आ रहा है क्या। हमें तो विश्वास भी नहीं रहा। और ये कह देते हैं कि नहीं और अगले ही दिन सुबह अमेन्डमेंट आ जाता है। तो ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने देना आपके लिये ठीक है।

तो जो भी चीज तय करनी है उसमें जल्दी में शायद गलती रह सकती है तो ऐसी किसी चीज को सही और शान्त दिमाग से सोचने में हमें उलझनें नहीं पैदा करनी चाहिये। अक्सर यह देखा जाता है कि हम जब खड़े होते हैं तो वे यह मान लेते हैं अपोजिशनवालों ने इस बात की चूंकि खिलाफत की है इसलिये इसके खिलाफ तो हम बोलें ही, यह कुछ हैबिट सी पड़ गई है। कुछ सदस्य एक पार्टी से बोलते हैं तो दूसरों ने तय कर रखा है कि चाहे ठीक कही हो बात या गलत उसका तो विरोध करना ही है। तो आप चाहे इसको मनोरंजन के रूप में समझें थोड़ी देर के लिये, पर अन्त में गलत दिशा में यह चीज चली ही जाती है।

यह है विधान सभा। इसमें एक चीज आई और हम लग उस पर बिना उस चीज पर गहराई से सोचे विचारे ही पक्ष विपक्ष से आई देख कर ही विरोध और पक्ष करने लग जावें, यह भी उचित नहीं है।

श्री सभापति : आप अब अपने विषय पर आ जाइये।

श्री रामकरणसिंह : तो मेरा यही कहना है कि इस पर सोचने का मौका दिया जावे। मुझे आशा है आप इस दृष्टि से इस पर अवश्य विचार करेंगे।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' (अकलेरासु) : क्लॉज़ ५ में जो अमेन्डमेन्ट पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, मैं उसका समर्थन करते हुए, सभापति महोदय, आपके द्वारा हाउस का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि पहले तो हमें यह सोचना चाहिये कि यह जमींदारी और बिस्वेदारी किस तरह से बनी थी। यानी ये बन कैसे गई? जिन लोगों के पास जमीनें थीं उनसे बिस्वा बिस्वा छीन कर जिन्होंने छीन लीं वे बिस्वेदार बन गये।

(हंसी)

किसी जमाने में जो जमीन जोतने वाले कृषक थे, उनसे छीन ली गई और उनको बिस्वे का भी मालिक नहीं रखा गया इसलिये जिन्होंने जमीन छीन ली उनका नाम बिस्वेदार पड़ गया और जिन्होंने उन बिस्वेदारों से जमीनें हड़प लीं वे जमींदार बन गये।

(हंसी)

एक माननीय सदस्य : और ये 'बादल' कैसे बने?

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : इसी तरह जमीन पर कब्जा करके भूमि पति बनने के बाद उन्होंने लोगों की सम्पत्ति हड़पनी शुरू कर दी और सम्पत्तिपति–धनपति बन गये। भूमि हड़प कर भूमिपति बन गये। भूमि के पति असल में तो भगवान् थे, पर जब ये भगवान् के बेटे भूमि के पति बन गये तो ये कलंकी बन गये, बेटे धरती मां के पति बन गये; इसलिये यह जमीन उनके पास से जानी चाहिये।

(हंसी)

अब लक्ष्मीपति और बन रहे हैं ये विष्णु भगवान् के बेटे। अब तक तो लक्ष्मी के पति

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

विष्णु भगवान् थे। पर अब ये विष्णु भगवान् के बेटे लक्ष्मी के पति बन रहे हैं पाप कर रहे हैं इसलिये लक्ष्मी भी इनके अधिकार से अब जानी चाहिये।

(हंसी और जोर से तालियां)

जमींदार जमीन को धारण करने वाले, भूमिपति जमीन-पति हो गये। जमीन थी तो हमारी माता, हम थे उसके बेटे, इसलिये जमीन रहनी तो सबके अधिकार में चाहिये थी पर कुछ लोगों ने सबसे जमीन छीन कर एक जगह अपने पास इकट्ठी कर ली और बेटे की जगह भूमि के पति बन बैठे। बिस्वे-बिस्वे छीन कर बिस्वेदार बन गये तो उनकी भूमि तो जानी चाहिये। जिनके पास उसको रहना चाहिये, उन सच्चे भूमि के बेटों के पास भूमि जानी चाहिये, सबको समान अधिकार मिलना चाहिये।

इस तरह उस जमीन से जो सम्पत्ति प्राप्त हुई उसको उन्होंने संग्रह किया। उस सम्पत्ति के लिये कहते हैं वह तो उनकी प्राइवेट है, वह तो उनके अधिकार की है! वह सम्पत्ति, वह पैसा वे लाये कहां से? वह पढ़ाई जो इस पैसे से उन्होंने की वह कहां से की, कहां से आई? इन्हीं गांव के लोगों ने पैसा पैसा जोड़ कर उनको दिया तब उन्होंने पढ़ाई की और तब उनके पास ज्यादा दिमाग आया।

(हंसी)

गांव वालों के परिश्रम और मेहनत द्वारा पैदा किये हुए धन को शोषण करके कुछ लोगों ने, किसी तरह छीन कर अपने व्यक्तिगत लाभ में, शिक्षा में, पढ़ाई में खर्च किया है इसलिये इस बुद्धि पर भी असल में गांव-वालों का ही अधिकार है। यह अच्छी बुद्धि, अच्छी शिक्षा और पढ़ाई लिखाई है वह सब गांव वालों के अधिकार में होनी चाहिए। माननीय सदस्य यह कहते हैं कि जमींदारों को मिलना चाहिए और बिस्वेदारों के पास से जमीन छीन ली! खैर, ठीक है आज जनतन्त्र है और प्रजा की सरकार है। ऐसे समय में कुछ रियायतें की जा सकती हैं। मगर जब इनका जमाना था तब तो हम लोगों से बिस्वा बिस्वा भी छीन ली जाती थी। उनके साथ थोड़ा-सा रहम कर सकते हैं आज के युग में। तो मैं बताऊं और कई माननीय सदस्यों ने कहा था कि क्या नाई हजामत बनाने आता है तो क्या सिर भी उसका हो गया। मैं माननीय सदस्यों का इस ओर ध्यान दिलाऊं कि जब तक वह नाई सिर पर बाल बनाता रहता है तब तक तो सिर को उसी के नीचे रखना पड़ता है। इसलिए जब तक जमीन पर हम काश्त करेंगे और उस जमीन में यदि कोई तालाब आ गया तो वह भी हमारे अधिकार में है। हम काश्त करते हैं और हमारे अधिकार में जमीन है उसमें कोई बावड़ी है वह भी हमारे अधिकार में है। हम मन्दिर में ढोक देते हैं तो हमारा है और अगर ढोक नहीं देते हैं तो दूसरी बात है। लेकिन जनता मंदिर पर जाकर दर्शन करती है इसलिए वह मंदिर सार्वजनिक सम्पत्ति होनी चाहिए। तालाबों में क्या होता है? आपने जमीन कर ली है, फसल बो लेते हैं मगर हम क्योंकि तालाब से पानी पीते हैं मिट्टी लाते हैं और अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं और वह जनता के ज्यादा उपयोग में आता है, इसलिए जब बहुमत भी हमारा है इसलिए वह तालाब भी हमारे, पब्लिक के काम में आना चाहिए। तो अभी कई लोगों ने इस विषय पर बोला। हालांकि वह जमींदार तो नहीं हैं लेकिन पता नहीं

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

वह इन जमींदारों का ज्यादा फेवर कैसे कर गए। मगर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य हालां कि किसान हैं और कोटपुतली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि जमींदारों के साथ ऐसा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आपकी पढ़ाई-लिखाई भी हमारे गांव वालों की है, जमींदारों की नहीं है। इसलिए इसका जो भी उपयोग हो वह गांव के गरीब लोगों के लिए होना चाहिए। माननीय सदस्य जो पाली के हैं और उनका जो प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय राजस्व मंत्रीजी ने एक संशोधन सदन में प्रस्तुत किया। वैसे तो संशोधन पेश करने का अधिकार उनको नहीं था, लेकिन उस अधिकार के नहीं होने के बावजूद जब उनको अधिकार मिला, मतलब, प्रारम्भ में जब गलती हुई तो यह उसी का परिणाम है कि सदन का समय इस विवाद के अन्दर लगा। वरना यदि उनको संशोधन पेश करने के लिये उसी समय रोक दिया जाता जो कि नियमों के अनुसार नहीं था तो अब तक का समय इस विवाद में नहीं लग सकता था। खैर, एक बात अवश्य मालूम हुई कि माननीय राजस्व मंत्रीजी से यदि कोई संशोधन मंजूर करवाना हो तो उस संशोधन में एक बात अवश्य होनी चाहिए, उस संशोधन से एक भावना निश्चित रूप से निकलनी चाहिए कि उस संशोधन के द्वारा कहीं आपस में संघर्ष होता है या नहीं, इसे देखना चाहिए कि क्लास-वार जैसी स्थिति पैदा होती है या नहीं। यदि ये दो बातें संशोधन में हैं तो इस बात के लिए प्रूफ है कि माननीय राजस्व मंत्रीजी उसको स्वीकार कर लेंगे। बिना विवाद के, बिना परिणामों के सोचने के उसको स्वीकार कर लेंगे और उसका किन पर असर होगा, क्या असर होगा, इसको देखे बिना, आयन्दा बहस होगी या नहीं, उसके पक्ष में या विपक्ष में सदस्य बोलेंगे या नहीं, इन सब बातों को छोड़कर वे संशोधन को तुरन्त स्वीकार कर लेंगे। खैर, इस संशोधन से इतना लाभ अवश्य हुआ कि आयन्दा यदि माननीय राजस्व मंत्रीजी से कोई संशोधन स्वीकार कराना होगा तो संघर्ष किस प्रकार से करायें जायें इस प्रकार की भावना को लेकर उसमें कुछ बातें रखनी पड़ेंगी। माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन रखा उसके पक्ष में और विपक्ष में सदन के माननीय सदस्यों ने अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। अभी अभी एक माननीय सदस्य जो बोल रहे थे वे तो मन्दिरों और कुंओं से इतने आगे बढ़ गए कि नाई की हजामत और हजामत के लिए नाई के सामने जो सिर होता है इन सब बातों को कहते कहते लोगों के मस्तिष्क पर भी अधिकार करने की चेष्टा करने लगे। हो सकता है कि जैसा उन लोगों के दिमागों पर कई लोगों ने असर कर रखा है या दिमाग के सोचने की शक्ति को जब्त कर रखा है उस प्रकार की बातचीत भी यहां करते हैं। जो लोग स्वतंत्रतापूर्वक अपनी विचारधारा प्रस्तुत करें उन सारे अधिकारों को भी जब्त किया जाये। सराड़ा-सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य, हो सकते हैं कि पार्टी के व्हिप होने के नाते जो भी माननीय राजस्व मंत्रीजी कहें, उनकी इच्छा के विपरीत हो, उनका वे समर्थन करते ही हैं। इसके अलावा इस सदन में जितने भी वाद विवाद हुए; मैं ऐसा समझता हूँ कि सदन के अधिकांश सदस्यों ने इस बात का विरोध किया कि जो संशोधन माननीय राजस्व मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है वह संशोधन

(श्री भैरोंसिंह)

दो प्रकार से ठीक नहीं है। एक माननीय सदस्य ने और किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अच्छे वकील हैं, कानून के बारे में जिनका अच्छा ज्ञान है और राजस्व मंत्रीजी के कम्पिटीशन में खड़े भी हो सकते हैं, ऐसे माननीय सदस्य ने जब कानूनी बात को सामने रखते हुए इस बात की दलील दी कि जब इस प्रकार का कानून पहले से मौजूद है तो हमें स्पेशल लॉ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। उन्होंने पहली बात यह भी कही कि ईज़मेंट एक्ट के मातहत जहां अधिकारों के प्रश्न तय करने का प्रश्न आता है जब ऐसी स्थिति के अन्दर कॉमन लॉ है तो आज कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिसके आधार पर हम कोई स्पेशल लॉ बनायें। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि शायद मेरी बातों का माननीय राजस्व मंत्रीजी पर असर न हो, लेकिन किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं हैं उनका निश्चित रूप से असर होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं इस असर के विश्वास में बाकी की बातें न कहूँ तो मुझे उसका नुकसान भी होने का भय है। मैं चाहूंगा कि इस समय इस विषय पर वे सब बातें भी प्रस्तुत करूं........

श्री सभापति : (समय समाप्ति सूचक घंटी) सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं ५ बजे, शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५८ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

———

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार ४ दिसम्बर, १६५८)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	५१३८	कस्तूरचन्द आत्मज हीरालाल घरटमैन, बारां ।	
मेड़ता-पुष्कर रोड ।		म्यूनिसिपेलिटी द्वारा जमीनफरोख्त करने के सम्बन्ध में नजराना ।	
सरपंच किशनगढ़-रैनवाल ।		दौसा-लालसोट रोड का निर्माण ।	
चम्बल बैराज हेतु तार की खरीद ।		सिटी इम्प्रूवमेन्ट, कोटा द्वारा प्लॉट अलॉट करना ।	
सरकारी अस्पतालों में विज़िटर्स की नियुक्ति ।		पशुओं की चराई से आय ।	
बिलोचिस्तान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उदयपुर के चेयरमैन द्वारा रुपयों का गबन ।		बस्सी तहसील की दनाऊ पंचायत का हैड क्वार्टर देवगांव में रखने का प्रस्ताव ।	
सरपंच पीलीबंगा (तहसील सूरतगढ़) के खिलाफ शिकायतें ।		म्यूनिसपल बोर्ड, सांभर लेंक में सरकार द्वारा नामजद व्यक्ति ।	
बस रूट के परमिट, जिला गंगानगर ।		डिस्पेन्सरियां, जिला चित्तौगढ़ ।	
जयपुर पेपर मार्ट द्वारा कागजों के कोटा में गड़बड़ी ।		राजस्थान केनाल के सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर द्वारा शिड्यूल्ड कास्ट के उम्मीदवारों को रखने में भेदभाव पूर्ण नीति का बर्ताव ।	
भवातड़ा पुलिस थाना ।		किसानों द्वारा तकावी के लिए प्रार्थना-पत्र-जिला झालावाड़ ।	
आदिवासियों से जंगल से लकड़ियों की भारी लाने पर रकम की वसूली-माउन्ट आबू ।		बालोतरा नगरपालिका द्वारा सोने चांदी पर चुंगी-कर घटाने सम्बन्धी प्रस्ताव ।	
प्रधानाध्यापक, राजकीय हाई स्कूल भुसावर द्वारा पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र ।			

स्कम्भ

ग्राम लुआवद (तहसील इटावा) में थानेदार द्वारा अफीम की बरामदगी।

कोटा डिविजन में मलेरिया यूनिट द्वारा कार्य।

राजस्थान प्रदर्शनी सन् १९५७-५८ में कुल कितना सामान खरीदा व गुम हुआ।

डाइरेक्टर, आयुर्वेदिक विभाग द्वारा दौरा।

टीन व सीमेन्ट के कोटा में कमी-जिला झुन्झुनू।

बयाना-फतेहपुर-सीकरी (यू. पी.) की सड़क का निर्माण।

जलाऊ कोयले का कोटा, किशनगढ़।

बन्दियों को रियायत पाने के नियम।

सड़कों के अन्तर्गत आने वाली भूमि का मुआवजा।

चोरियां—रूपनगर।

पुलिस थाना गिडा के आसपास औषधालय का अभाव।

भरतपुर जिले के भिन्न भिन्न भागों तक बिजली पहुँचाने की योजना।

सदन में सदस्यों के यथास्थान बैठने की व्यवस्था सम्बन्धी ५२००

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाये गए उक्त प्रश्न पर हुए विवाद पर अध्यक्ष महोदय का निरूपण था कि अगर सम्बन्धित सदस्य, श्री मनरूपराम परिहार, स्पष्टीकरण करना चाहें तो उन्हें समय दिया जा सकता है।

स्कम्भ

सदन की मेज पर रखे गये पत्र ५२०४

(१) मोटर विहिकल्स रूल, १९५१में संशोधन संबन्धी गृह विभाग की विज्ञप्त श्री नाथूराम मिर्धा, यातायात मंत्री ने मोटर विहिकल्स एक्ट, १९३९ की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत गृह विभाग (ख) विज्ञप्ति संख्या डी० ७७७७। एफ० १।४ (१०) एच० बी०। ५८, दिनांक १४ अक्टूबर, १९५८ को जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स रूल्स, १९५१ में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखा।

(२) वित्त लेखा १९५६-५७तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन का उपस्थापन ५२०५ श्रीहरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री, ने राजस्थान राज्य का वित्त लेखा १९५६-५७ (१ अप्रेल, १९५६ से ३१ अक्टूबर, १९५६) तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा।

(३) नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स-ट्रक्शन कॉरपोरेशन इत्यादि के संचालकों के वार्षिक प्रति-वेदन का उपस्थापन। ५२०५

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री,

ने नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, न्यू देहली के संचालकों का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन तथा ६ जनवरी, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक के लेखों का विवरण सदन की मेज पर रखा।

पुरःस्थापित विधेयक। ५२०६

राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी (संशोधन) विधेयक, १९५८ ५२०६

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री, ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित किया।

विचारार्थ लिया गया विधेयक ५२१६

राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उन्मूलन विधेयक, १९५८

(अग्रेतर विचार-विमर्श)

उपरोक्त विधेयक पर आज पुनः खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड ४ बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड ५ : इस खण्ड पर सर्व श्री पी० के० चौधरी, मूलचन्द डागा, रघुवीरसिंह, दयाकृष्ण विजय व राजस्व मंत्री द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये। इसमें की गई बहस में १७ सदस्यों ने भाग लिया। श्री भैरोंसिंह (१४) अपना भाषण दे रहे थे कि सदन की बैठक स्थगित की गई।

शुक्रवार, दिनांक ५ दिसम्बर, १९५८ की कार्य-सूची

(१) सदन, सदस्य एवं संसद् के अवमान एवं विशेषाधिकार की अवहेलना सम्बन्धी मुख्य मंत्री का सरकारी संकल्प।

(२) राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन विधेयक, १९५८।

(अग्रेतर विचार)।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ८२६ का उत्तर देखिये)

Statement showing Tehsilwise number of applications received with their Demand and actual disbursement made under item purchase of bullocks and construction of wells.

S. No. Name of Tehsils.	BULLOCKS.				WELLS.				
	No. of appli-cations.	Amount Demanded.	No. of applications sanction.	Actual Disbursement made.	No. of appli-cations.	Amount demanded.	No. of applications sanction.	Actual Disburse-ment.	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Tehsil Patan	19	9,650	19	8,000	9	6,500	9	5,000	Block Area
2. „ Asnawar	59	17,375	18	3,000	—	—	—	—	Block Area
3. „ Pachpahar	168	71,250	20	4,000	81	60,725	11	5,000	
4. „ Dag.	82	27,450	20	4,000	89	52,150	6	5,000	
5. „ Gangdhar	93	19,982	30	4,000	19	9,500	13	5,000	
6. „ Pirawa	30	19,600	18	3,900	24	21,700	12	5,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. Tehsil Aklera	49	12.800	28	6,000	37	26,200	16	6,000	
8. ,, Bakani	50	5,700	47	5,000	62	33,100	20	7,000	
9. ,, Manoharthana	80	8,000	55	6,000	51	14,000	29	6,000	
10. ,, Khanpur	68	22,225	32	4,925	—	—	—	—	Block Area.
11. ,, S. Tehsil Sunel	51	24,000	15	3,100	36	29,000	20	5,950	
Total...	749	2,38,032	302	51,925	408	2,52,875	136	49,950	

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ८३५ का उत्तर देखिये)

संचालक आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर द्वारा किये गये डिविज़नवाइज़ राजकीय यात्राओं की संख्या का बर्षवार विवरण पत्र। दिनांक १६-७-५५

क्रमसंख्या	सन्	डिविज़नों के नाम						कुल संख्या
		कोटा	जयपुर	अजमेर	बीकानेर	जोधपुर	उदयपुर	
१.	१६५५-५६	–	३		१	२	४	१०
२.	१६५६-५७	१	१०		१	२	६	२३
३.	१६५७-५८	–	३२		४	२	८	४६
४.	१६५८-५६	१	११		४	१	६	२६

———

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ८०६ का उत्तर देखिये)

LIST OF THE MOTOR VEHICLES OPERATORS WHO WERE GRANTED STAGE CARRIAGE PERMIT DURING THE YEAR 1957.

S. No.	Name of the permit holder.	Route	No. of permit
1.	Nihal Singh, Ganganagar	Ganganagar-Unawali	1
2.	Adarsh Yatayat Sahakari Samiti Churu.	-do-	1
		Padampur-Raisinghnagar	1
3.	Sagarmal Rathi, Nohar.	Nohar-Taranagar	1
4.	M/s. Tewari Bus Service, Ganganagar	Padampur-Karanpur	1
		Hanumangarh-Suratgarh	1
		Padampur-Raisinghnagar	1
5.	M/s Banwari Lal, Hanumangarh	Hanumangarh-Rawatsar	1
6.	Ram Ratan, Rawatsar	-do-	1
7.	Pema Ram, Rawatsar	-do-	1
8.	Sohan Lal, Rawatsar	-do-	1
9.	Sri Nathu Ram	Ganganagar-Hanumangarh-Morjand	1
10.	M/s Amarnath Balveer Singh	Hanumangarh-Suratgarh	1
		Padampur-Raisinghnagar	1
		Anupgarh-Suratgarh	1
		Ganganagar-Hanumangarh	1
		Hanumangarh-Morjand	1
11.	M/s Randhir Singh	Aran-Karanpur	1
12.	Leela Dhar	Bhadra-Taranagar	1
13.	M/s Bharat Bus Transport, Bhadra		1
		-do-	1
14.	Chhagan Lal, Churu	Bhadra-Bhadra Sirsa	1
15.	Nand Lal, Ganganagar	Padampur-Raisinghnagar	1
16.	Om Prakash	-do-	1

1	2	3	4
17.	Sewak Transport Co-operative Society, Ganganagar	Padampur-Raisinghnagar	1
18.	Dalip Singh	-do-	1
19.	Bhagirath Prasad, Churu	-do-	1
20.	Ram Saran Kumar	-do-	1
21.	Shyam Sundra Bhagirath Pd.	-do-	1
22.	Khyali Ram, Raisinghnagar	-do-	1
23.	Niranjan Singh	-do-	1
24.	Kishan Lal, Ganganagar	-do-	1
25.	Shiwa Singh, Ganganagar	Anupgarh-Suratgarh	1
26.	Ghamandi Ram	Hindumalkot-Gangrnagar-Abhor	I
27.	Guru Charan Singh	-do-	1
		Hanumangarh-Ganganagar	1
28.	Lal Chand	Hanumangarh-Ganganagar-Abhor	1
		Ganganagar-Hanumangarh	1
29.	Gopi Chand	Hindumalkot-Ganganagar-Abhor	1
30.	Daulat Ram	-do-	4
31.	Brij Lal	-do-	1
32.	Rajasthan Transport Co-op. Society Ltd., Ganganagar	Hindumalkot-Abhor	1
		Ganganagar-Matily	1
3?.	Hanumandas Harish Chandra	Hindumalkot-Abhor	1
34.	Sajan Ram	-do-	1
35.	Chiman Lal S/o Ghamandi Ram	Ganganagar-Hanumangarh	1
		Hindumalkot-Ganganagar-Abhor	1
36.	Guru Bux Rai S/o Ghamandi Ram	-do-	1
37.	Nathu Ram S/o Puran Chand	-do-	1
38.	Nathu Ram S/o Shiv Lal	-do-	1

1	2	3	4
39.	Gurudayal Singh S/o Sher Singh	Hindumalkot-Ganganagar-Abhor	1
		Ganganagar-Hanumangarh	1
		Ganganagar-Matily	1
40.	Banwari Lal	Hindumalkot-Ganganagar-Abhor	1
		Hindumalkot-Abhor	1
41.	Rid Mal	Hindumalkot-Abhor	1
42.	Malkiat Singh	-do-	1
43.	Chanan Singh	-do-	1
44.	Puran Singh Ravendra Singh	-do-	1
45.	Hanumandas Dalip Singh	-do-	1
46.	Tej Raj	Ganganagar-Hanumangarh	1
47.	Dharam Chand	-do-	1
48.	Biru Mal	-do-	1
49.	Mohan Lal	-do-	1
50.	Guru Lakh Singh	-do-	1
51.	Har Nam Singh	-do-	1
52.	Gordhan Das	-do-	1
53.	Harbans Singh	-do-	1
54.	Hans Raj	-do-	1
55.	Ganesh Motor Transport Co-operative Society Ltd., G. N. R.	-do-	1
56.	Jaidev Jain, G.N.R.	-do-	1
57.	Som Nath Bhatia	-do-	1
58.	Jaikishan	-do-	1
59.	Roshan Lal	-do-	1
60.	Bhikam Chand	-do-	1
61.	M/s Desh Ram Prem Singh	-do-	1
62.	Vijai Transport, Bhadra	Bhadra-Sarsa	1

1	2	3	4
63.	Rania Chamar	Bhadra-Sarsa	1
64.	Zamindara Transport Co-operative Society Ltd. Ganganagar	-do-	1
65.	Ganganagar Motor Transport Co-op. Society Ltd., Ganganagar	-do-	1 1
66.	Subhas Transport Coop. Society. Nohar	-do-	1
67.	Jhumar Mal Nahata	Bhadra-Hissar	1
	1958		
1.	M/s Subhas Motor Transport Cooperative Society Ltd., Nohar	Nohar-Pallu	
2.	Shri Bal Chand S/o Banshi Lal, Nohar	-do-	1

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८१५ का उत्तर देखिये)

COPY OF APPLICATION OF SHRI N. R. JETLEY, HEAD MASTER GOVT. HIGH SCHOOL, BHUSAWAR, DATED 1-8-58 NO. 1 TO THE INSPECTOR OF SCHOOLS, BHARATPUR AND S. P. BHARATPUR, S. I. BHUSAWR ETC. 12 OFFICERS.

Subject:- Life in danger on account of Nihement threates and intereference in the administration by Shri Pandey Kehri Singh, a Congressman.

Sir,

I most humbly and respectfully beg to request you as under:

That I took charge as a Headmaster of the Govt. High School. Bhusawar (Bharatpur) on the 22-7-1958. On Wens. Thurs., Fri. and Mon. i.e. on 23rd, 24th, 25th & 28th July respectively some students threw stones at my residence. Some of my neighbours and I recognised them on Mon. the 28th July. They were mostly Failures of X A, X B and X C. On Tuesday, 29th July, I told this to shri M. L. Garg, my First Asstt. and to Shri P. C. Jain, my Asstt. Master, who were sitting at my residence at night. On Wed. the 30th July Shri M. L. Garg told all this mishap to all the students and the teachers in the Prayer Assembly that conduct of X Class Failure students was very hateful and added " Whosoever has done this mischief, should come forward and admit and he will be pardoned. Otherwise after thrcugh inquiry when we catch the real culprits, they will be dealt with severely. Also, if there is any plan of any person, he will also be dealt with.

Then on Thurs. 31-7-58 Shri Pandey Kehri Singh, along with some students came to the school, at about 10 A.M. He sided the students and began to abuse Shri M. L. Garg, who was on leave that day, in his absence for nothing, and began to harras me his loud shouts for about an hour and a half before all the teachers. It being the last day of the month, we had to close our accounts and complete our registers, but due to his interefrence, none of us could do even the smallest bit of school work. Thus he interferes with our work while we were all on duty.

He tried to threaten me saying " I have the greatest and personal influence over Shri Sukhadiaji, the Chief Minister of Rajasthan, the D. B., the D. B. F., the Inspector of Schools and the new Collector. Even Nehruji, Shri Dhebar and all the Top Most Officers of all the Departments

of India fear me on account of my out-spokenness and also because they all are corrupt and eat eggs and mutten and drink wine (inculding Nehruji and even all other Brahman Ministers), for the prohibition of which (i.e. wine). The Congressmen used to go on strike in the days of the British. Nehruji also fears me because he shields his corrupt Ministers. And I am the only fearless and out-spoken man in the Congress, and I never take even tea offered to me by any body.

He added. " All the students and their parents of this town are under my control. I have tried to provoke them but they are cowards. But X Class failure students have formed a union and they might go on strike very soon.

All the time Shri Pandey's attitude was revolting and his language was quite filthy and objectionable.

His sole motive was to shield the students' mischief by threatening and harassing me so that I should not take any step against the real culprits.

Now, Sir, I request your honour that such an intereference shall certainly break down the discipline of the school and the whole routine work of the school shall come to a stand still.

Under these circumstances, Sir, I would request you to come to rescue my prestige and life.

For the above act of kindness and equity I shall ever pray for your long life and prosperity.

Thanks in advance.

M. P. B. 24-11-58.

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ८२१ -का उत्तर देखिये)

सूची मुक्ति मार्ग जो ब्लॉक बी, नयापुरा में विक्रय किये गये हैं। कुल ४५ प्लॉट्स इस स्कीम के अंतर्गत काटे गये थे एवं अटाला स्कीम के अंतर्गत ११ प्लॉट काटे गये थे।

क्रम संख्या	प्लॉट नं०	नाम खरीददार
१.	१	मैसर्स बैनीमाधव राम गोपाल
२.	२	श्री रामेश्वर दयाल, एडवोकेट
३.	३	श्री कुंजबिहारीलाल ठेकेदार
४.	४	श्री विश्वंभरनाथ गुप्ता
५.	५	श्री चन्द्रभान एडवोकेट
६.	६	श्री भानमल इत्यादि
७.	७	श्री खिबचन्द धारीवाल, एडवोकेट
८.	८	श्री कृष्णगोपाल गिरधर गोपाल, बृजगोपाल दलेला
९.	९	श्री घनश्यामदास आत्मज हासोमल ललवानी
१०.	१०	श्री हंसराज पुरी
११.	११	श्री डॉ० गुरबीरसिंह
१२.	१२	श्री डॉ० प्रेमनाथ डाडा
१३.	१३	श्री आर० डी० कट्टा, स्टेनो
१४.	१४	श्री चिरंजीतलाल
१५.	१५	श्री दामोदरप्रसाद
१६.	१६	श्री जयन्तीप्रसाद भटनागर

Page No.120

१	२	३
१७.	१७	श्री रतनविहारी त्यागी
१८.	१८	श्री कन्हैयालालजी ऑडीटर
१६.	१६	श्री ओंकारलाल, एडवोकेट
२०.	२०	श्री केसरीसिंह, ओवरसीयर
२१.	२१	श्री एस० एम० कुलश्रेष्ठ प्रोफेसर
२२.	२२	श्री रणवीरदास चौधरी
२३.	२३	श्री सुखदयाल, डिप्टी रजिस्ट्रार
२४.	२४	श्री रामनाथ मेहता
२५.	२५	श्री रामलखन दुबे
२६.	२६	श्री बद्रीप्रसाद दुबे
२७.	२७	श्री आर० के० भारद्वाज
२८.	२८	श्री नवलकिशोर
२६.	२६	श्री चन्दालाल ओझा
३०.	३०	श्रीमती कृष्णाकुमारी खन्ना
३१.	३१	श्री के० मोहनलाल आत्मज श्री केदारलाल
३२.	३२	श्री राजेश्वरदयाल
३३.	३३	श्री प्रदुमन कुमार
३४.	३४	श्री डॉ० प्यारेलाल कवि
३५.	३५	श्री डॉ० रतनशंकर दुबे
३६.	३६	श्री ओमप्रकाश
३७.	३७	रिक्त विचाराधीन
३८.	३८	श्री इन्द्रदत्त स्वाधीन
३६.	३६	श्री धन्नालाल पटेल

१	२	३
४०.	४०	श्री प्रकाशनारायण
४१.	४१	श्री मुल्कराज भाटिया
४२.	४२	श्री घासीराम चतुर्वेदी
४३.	४३	श्री पन्नालाल
४४.	४४	श्री हरिचरणलाल
४५.	४५	श्री कन्हैयालाल आत्मज चोथाराम सिंधी
		अटाला - योजना - नयापुरा
४६.	१	श्रीमती रुक्मणी जटाशंकर भट्ट
४७.	२	श्री सोभाग्यमल सुराणा
४८.	३	श्री प्रतापसिंह सुराणा
४९.	४	श्री रामेश्वरदयाल भार्गव
५०.	५	श्री कनीभूषण ठाकुर
५१.	६	श्री डॉ० मूलराज
५२.	७	श्री इन्द्रसिंह
५३.	८	श्री रामनारायण सक्सेना
५४.	९	श्री राजेन्द्रनाथ चतुर्वेदी
५५.	१०	श्री प्रेमचन्द कन्सल
५६.	११	श्री प्रेमचन्द कन्सल

सूची भूमि भाग जो ब्लॉक भीमगंज मन्डी में विक्रय किये गये हैं। कुल ३५ प्लॉट काटे गये हैं।

क्रम संख्या	प्लाट नं०	नाम खरीददार	विशेष विवरण
		फर्स्ट स्टेज भीमगन्ज मन्डी इम्प्रूवमेन्ट स्कीम।	
१.	१	श्री रामजी एन्ड सन्स	
२.	२ अ	श्री लीला अगरवाल	
३.	२ व ३	श्री उजागरसिंह सेठी	
४.	४	श्री देवता श्रीधरलाल	
५.	५	श्री नारायणसिंह	
६.	६	श्री केप्टन बी० बी० मेहता	
७.	७	श्री रनवीरसिंह	
८.	८, ९ व १०	श्री सोभागमल लोढ़ा	
९.	११ व १२	श्री मन्त महाराव साहिब बहादुर, कोटा	
		सैकिन्ड स्टेज भीमगंज मन्डी इम्प्रूवमेंट स्कीमें ए ब्लाक	
१०.	३	श्री मती विधावन्ती	
११.	४	श्री बलवन्तसिंह	
१२.	५ व १४	श्री सम्पतराम मलिन	
१३.	१५	श्री दामोदरप्रसाद	
१४.	१६	श्री बलवन्तराम जैन	
१५.	१७	श्री पी० सी० जैन	
१६.	१८	श्री यादराम शर्मा	
१७.	१९	श्री बृजमोहनलाल भटनागर	
१८.	२०	श्री लक्ष्मीनारायण सान्डिल्य	

१	२	३	४
१६.	२१	श्री सुजानसिंह	
२०.	२२	श्रीमती लजवन्ती बाई	
२१.	२२ बी	श्री जगदीशप्रसाद गुप्ता	
२२.	२३	श्रीमती लीलाबाई	
२३.	२४	श्री सरदारसिंह	
२४.	२५	श्री दरगामसिंह	
२५.	२६	श्री मती राजकुमारी पत्नी अरमानसिंह	
२६.	२७	श्री राजेन्द्रसिंह, इन्द्रजीतसिंह जंगबहादुरसिंह श्यामसिंह	
२७.	२८	श्रीमती कृष्णाप्यारी खन्ना	
२८.	२६ व ३०	श्रीमती यशवन्तकौर	

सूची भूमि भाग जो गुमानपुरा अल्प आय गृह निर्माण योजना ब्लॉक -अ योजना के अन्तर्गत योजना-६० भूभाग काटे गये थे जिनका विवरण निम्नांकित है :

क्रम संख्या	प्लॉट नं०	नाम खरीददार	विशेष विवरण
		अ ब्लॉक	
१.	१	श्री माँगीलाल वर्मा	
२.	२	श्री रूपशंकर कम्बोलिया	
३.	३	श्री माधोलाल सद्दा	
४.	४	श्री जमनाधर शर्मा	
५.	५	श्री महेन्द्रप्रसाद प्रधान	
६.	६	श्री उजागरसिंह ठेकेदार	
७.	७	श्री सरदार ईश्वरसिंह	
८.	८	श्री सरदार करतारसिंह	
९.	९	श्री सरदार प्रीतमसिंह	
१०.	१०	श्री प्रतिपालसिंह	
११.	११	श्री चन्दरसेन	
१२.	१२	श्री एच० के० ठाकुर	
१३.	१३	श्री चेलाराम	
१४.	१४	श्री मानसिंह	
१५.	१५	श्री हुडलदास	
१६.	१६	श्री रामनारायण जैन	
१७.	१७	श्री आसूदामल	
१८.	१८	श्री जीवनराम	

१	२	३	४
१६.	१६	श्री टिलमल	
२०.	२०	श्री महेन्द्रकुमार नन्दवाना	
२१.	२१	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता	
२२.	२२	श्री बृजकिरण शर्मा	
२३.	२३	श्री देबीशंकर शर्मा	
२४.	२४	श्री विष्णुदत्त	
२५.	२५	श्री उमरावसिंह	
२६.	२६	श्री मंगतसेन भग्गा	
२७.	२७	श्री राजेन्द्रप्रसाद	
२८.	२८	श्रीहरिप्रसाद	
२६.	२६	श्री महेन्द्रसिंह	
३०.	३०	श्री गजाधरप्रसाद	
३१.	३१	श्री लक्ष्मीनारायण	
३२.	३२	श्री भंवरलाल जैन	
३३.	३३	श्री कृष्णगोपाल शर्मा	
३४.	३४	श्री गोविन्दलाल	
३५.	३५	श्री प्रभूनन्द शर्मा	
३६.	३६	श्री प्रीतमसिंह आत्मज जीवनसिंह	
३७.	३७	श्री श्रीकृष्ण	
३८.	३८	श्री कृष्णगोपाल विजय	
३६.	३६	श्री नन्दकिशोर जैन	
४०.	४०	श्री देवीदत्त शर्मा	
४१.	४१	श्री सरदार हरनामसिंह	

१	२	३	३
		ब्लॉक बी	
४२.	१	श्री सरदार हरनामसिंह आत्मज बल्ली जनीमतसिंह	
४३.	२	श्री नन्दलाल	
४४.	३	श्री सरवनसिंह	
४५.	४	श्री ताराचन्द	
		ब्लॉक डी	
४६.	१ व २	श्री बालचन्द भाल	(नगरपालिका कोटा से विक्रय की गई भूमि के एवज में दी गई)
४७.	३ व ४	श्री उजागरसिंह	(नगरपालिका कोटा से विक्रय की गई भूमि के एवज में दी गई)
४८.	५, ६ व ७	श्रीमती गायत्री देवी	(नगरपालिका कोटा से विक्रय की गई भूमि के एवज में दी गई)
४९.	८	मैसर्स पन्नालाल गणेशलाल	
५०.	९	श्री रामेश्वरनाथ हावा	
५१.	१०	श्री काशीराम बहामल	
५२.	११	श्री माधोलाल कानपुरिया	
५३.	१२, १३, १४ व १५	श्री अधिशासी अभियन्ता, चम्बल विकास योजना	
५४.	१६	श्री बृजगोपाल जोशी	
५५.	१७ व १८	श्री बी० बिशन नारायणसिंह	[नगरपालिका कोटा के विक्रय की गई भूमि के एवज में]
५६	१९	डा० एल बी० कामठ	

१	२	३	४
५७.	२०	डा० चन्द्र पदम	[नगरपालिका कोटा के विक्रय की गई भूमि के एवज में]
५८.	२४	श्री भैरूलाल 'काला बादल'	
५६.	२५	श्री मुरारीलाल गुप्ता	
६०.	२६	श्रीमती रामप्यारी	[नगरपालिका कोटा से विक्रय की गई भूमि के एवज में]
६१.	२७ व २८	श्री जोगेन्द्रनाथ तहसीलदार	[नगरपालिका कोटा से विक्रय की गई भूमि के एवज में]
६२.	२६	श्री तेजमल जैन	
६३.	३०	श्री लक्ष्मणस्वरूप पोरवाल	
६४.	३१	श्री हरिवल्लभ गौतम	
६५.	३२	श्री श्रीनाथ गौतम	
६६.	३३	श्री देवीशंकर सक्सेना	
६७.	३४	श्री बालकृष्ण पोरवाल	
६८.	३५	श्री केदारनाथ माझी	
६६.	३६	श्री चान्दमल गुप्ता	
७०.	३७	श्री कल्याणप्रसाद गुप्ता	
७१.	३८	श्री टी० के० असनागी	
		टीचर्स कॉलोनी, गुमानपुरा	
७२.	१	श्री राजबिहारीलाल मिश्रा	
७३.	२	श्री दलीपसिंह	
७४.	३	श्री नन्दलाल गुप्ता	

१	२	३	४
७५.	४	श्री भवानीसिंह	
७६.	५	श्री आर० सी० अग्रवाल	
७७.	६	श्री बालेश्वरप्रसाद त्यागी	
७८.	७	श्री आनन्दीलाल	
७९.	८	श्री सुरेशचन्द गुप्ता	
८०.	९	श्री राजेन्द्रकुमार	
८१.	१०	श्री चन्द्रशेखर भट्ट	

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक ४ दिसम्बर, १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५१४०	२	To omply	Comply
५१४२	अन्तिम से १०	....	all financial
५१४७	३	anging. c.	Managing
,,	अन्तिम से ६	to ha e	have
५१४६	६	ऑप कॉफी	आप कापी
५१५४	२	श्री तन सह	श्री तनसिंह
५१७८	१५	महोदय, में	महोदय, मैं
५१७६	४	निशनगढ़	किशनगढ़
५१६१	८	प.न्कशन्स	फंक्शन्स
५२१५	[illegible]	तो [illegible]के	तो आपके
५२१७	१३	एग्जिक्यूटि[illegible]	एग्जिक्यूटिव
५२१६	अन्तिम से ३	[illegible]	क्लॉज ४
५२२३	१६	ले लेता है और	ले लेता है और
५२२६	१६	दूसरा लाअर प्लेउ	दूसरा लोअर प्लेस
५२२६	१७	एवॉलिशन	एवोलिशन
५२३७	२	of the holber	of the holder
५२५३	अन्तिम से ७	Not only maself	Not only myself
५२७४	६	a specisl	a special
५३०१	२०	those rigl ts	those rights
५३२४	३	कु ।	कुऐ

१	२	३	४
५३२४	अन्तिम से १०	जमींदार	जमींदारी
५३२७	अन्तिम से ६	आदि प	आदि पर
,,	,, ८	भी सार्वजनक	भी सार्वजनिक
,,	,, ३	क्या डेफिनिशन	क्या डेफिनेशन
५३३४	,, ८	तदस्य	सदस्य
५३४२	,, ६	वित्रोध	विरोध
५३४६	३	हालां कि	हालांकि
५३५२	प्रश्न संख्या ५२०४	विज्ञप्त	विज्ञप्ति

———